चतुर्थ माला, खंड 10, अंक 11 मंगलवार 28 नवम्बर, 1967 / 7, अग्रहायण, 1889 (शक)

Fourth Series, Vol. X, No. 11 Tuesday, November 28, 1967/Agrahayana 7, 1889(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक, 11 मंगलवार, 28 नवम्बर, 1967/7 अग्रहायण, 1889 (शक)

No, 11. Tuesday, November 28, 1967/Agrahayana 7, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारा० प्र० संख्या

***S. Q. Nos.**

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
301.	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Price of consumer goods	.. 1493-1497
302.	खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन	F. A. O. Conference	.. 1497
325.	संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता	Food Aid from USA	.. 1498-1500
303.	दिल्ली में हलवाइयों को चीनी का वितरण	Release of Sugar to Halwais in Delhi	.. 1500-1503
304.	सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड	Wages Board for Cement Industry	.. 1503-1504
306.	चीनी का मूल्य	Price of Sugar	.. 1505-1508

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

308.	राशन सम्बन्धी नीति	Rationing policy	.. 1508-1509
309.	सहकारी आन्दोलन	Co-operative Movement	.. 1509
310.	तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Job Security in Oil Companies	.. 1509
311.	इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	.. 1509-1510
312.	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in U. P.	.. 1510
313.	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers	.. 1510
314.	लौह अयस्क खनन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Iron Ore Mining Industry	.. 1511

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
315.	किसानों के लिए प्रोत्साहन	Incentives to Farmers	.. 1511-1512
316.	भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों संबंधी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Heavy Chemicals and Fertilizer Industries	.. 1512
317.	दिल्ली में दूध की कमी	Milk Shortage in Delhi	.. 1512-1513
318.	चावल मिलों का सरकार के अधिकार में आना	Take-over of Rice Mills	.. 1513-1514
319.	भूमि राजस्व	Land Revenue	.. 1514
320.	पश्चिमी बंगाल में दाल की कमी	Dal Scarcity in West Bengal	.. 1514
321.	भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज	Interest on Provident Fund Accumulations	1515
322.	चुनाव याचिकाएं	Election Petitions	.. 1515
323.	सुपर बाजार	Super Bazars	.. 1516
324.	गेहूँ और चने के लिए समर्थन मूल्य	Support prices for Wheat and Gram	.. 1516
326.	भारत का खाद्य निगम	Food Corporation of India	.. 1516-1517
327.	चावल का आयात	Import of Rice	.. 1517
328.	खाद्यान्नों की वसूली में प्रगति	Progress in Procurement of Foodgrains	.. 1517-1518
329.	पाकिस्तान के साथ दूर-संचार की व्यवस्था	Tele-Communications Link with Pakistan	.. 1518
330.	जम्मू तथा काश्मीर में नामांकन, पत्रों का अस्वीकृत किया जाना	Rejection of Nomination Papers in J & K	.. 1518

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
2071.	वनस्पति घी का प्रभाव	Effects of Vanaspati Ghee	.. 1519
2072.	किसानों की सहकारी समितियाँ	Co-operative Societies of Farmers	.. 1519-1520
2073.	गुजरात में नियोजन कार्यालय	Employment Exchanges in Gujarat	.. 1520-1521
2074.	रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	.. 1521
2075.	कद्गालोर में टैलीफोन सम्बन्धी सुविधाएँ	Telephone Facilities at Cuddalare	.. 1521
2076.	गुजरात में नलकूप लगाना	Sinking of Tube-Wells in Gujarat	.. 1522
2077.	आदिम जातीय क्षेत्रों में सहायता कार्य	Relief Measures in Tribal Areas	.. 1522-1523
2078.	मध्य प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in Madhya Pradesh	.. 1523
2079.	मत्स्यपालन विकास	Development of Pisciculture	.. 1523
2080.	गुजरात में बेरोजगारी	Unemployment in Gujarat	.. 1524

तता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2081.	गंगापुर टेलीफोन केन्द्र में ट्रंक काल	Trunk Calls at Gangapur Exchange	.. 1525
2082.	आगरा–हिंडौन टेलीफोन लाइन	Agra-Hindaun Telephone Lines	1525
2083.	बिहार में कृषि ऋण निगम	Agriculture credit corporation in Bihar	.. 1525
2084.	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भूमिगत झील	Underground Lake in U.P. and Bihar	.. 1526
2086.	जालोर, राजस्थान में नलकूप	Tubewells in Jalore, Rajasthan	.. 1527
2087.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विचार-गोष्ठी	I. O. L. Seminar	.. 1527
2088.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को सुविधायें	Facilities to Farmers in Drought Affected Areas	1528
2089.	वनस्पति का उत्पादन	Vanaspati Production	.. 1528
2090.	केरल में वन संसाधन	Forest resources in Kerala	.. 1529
2091.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में ट्रांजिस्टरों की बिक्री	Sale of Transistors in Super Bazar, New Delhi	.. 1529
2092.	सिंगारेणी कोयला खानें	Singareni Coal Mines	.. 1530
2093.	कुओं की खुदाई की योजना	Scheme for sinking of Wells	.. 1530
2094.	बंगलौर में संसद का सत्र	Parliament Session in Bangalore	.. 1531
2095.	हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई	Food Supply to Himanchal Pradesh	1531
2096.	बाढ़ के दौरान बिहार को खाद्य संभरण	Food Supply to Bihar during Floods	1531
2097.	आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार	Central Warehouses in Andhra Pradesh	1532
2098.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम में संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	Joint Management Council in H.S.L., Visakhapathnam	1532
2099.	बर्मा शैल की दिल्ली शाखा का पुनर्गठन	Reorganisation in Burmah Shell, Delhi Branch	1532-1533
2100.	श्रम कल्याण सम्बन्धी मालवीय समिति	Malaviya Committee on Labour Welfare	.. 1533
2101.	पटसन मिलों का कार्य	Working of Jute Mills	.. 1533
2102.	चुनाव याचिकायें	Election Petitions	.. 1533-1534
2104.	खेमकरन नगर	Khemkaran Town	.. 1534
2105.	मदुरै में रेलवे डाक सेवा डिवीजन	R. M. S. Division at Madurai	.. 1535

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
2106.	भटनी शुगर मिल	Bhatni Sugar Mill	.. 1535
2107.	खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता	Food Self-Sufficiency	.. 1535-1536
2108.	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	.. 1536
2109.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में बरतनों की बिक्री	Sale of Utensils in Super Bazar, New Delhi	.. 1536
2110.	नई दिल्ली के सुपर बाजारों के मैनेजर	Managers in Super Bazar, New Delhi	.. 1536-1537
2111.	कूप निर्माण कार्य म	Well Construction Programme	.. 1537
2112.	पूर्वी पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा से आये हुए लोगों को फिर से बसाना	Resettlement of Migrants from East Pakistan, Ceylon and Burma	.. 1537-1538
2113.	सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Cotton Industries	.. 1538
2114.	डा० लोहिया स्मारक डाक टिकट	Dr. Lohia Commemoration Stamps	.. 1538
2115.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स द्वारा निधि की देय राशि	Provident Fund dues from Lakshmi Rattan Cotton Mills	.. 1538-1539
2116.	उत्तर प्रदेश के लिए गेहूँ का कोटा	Wheat Quota for U. P.	.. 1539
2117.	कानपुर में नियोजकों द्वारा भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Provident Fund by Employers in Kanpur	.. 1539
2118.	राज्यों में राशन की मात्रा में कटौती	Reduction of Ration in States	.. 1540
2119.	खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains	.. 1540-1541
2120.	चने का उत्पादन	Production of Gram	1541
2121.	खाल उतारने संबंधी योजना	Hide Flaying Scheme	.. 1541
2122.	विधि मंत्रालय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों का भरा जाना	Filling up of posts of Class I & II in Law Ministry	.. 1542
2123.	अधिकारियों का प्रशिक्षण	Training of Officers	.. 1542
2124.	कनाडा के कृषि विशेषज्ञ दल का दौरा	Visit of Canadian Team of Agricultural Experts	.. 1543

तारा० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
2125.	बाबू बरही और लडानिया के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Telephones at Post Offices of Babu Barhi and Ladania	.. 1543
2126.	गन्ना तथा चीनी का उत्पादन	Production of Sugarcane and Sugar	.. 1543-1544
2127.	बिहार में नए डाक व तार घर	New Post and Telegraph Offices in Bihar	.. 1544
2128.	मजूरी बोर्डों की सिफारिशें	Recommendations of Wage Boards	.. 1544-1545
2129.	खेतिहर मजदूर	Agricultural Labourers	.. 1545
2130.	सभी देशों को अमरीकी सहायता देने संबंधी सहकारिता समिति (केयर) द्वारा फार्मों को सहायता दिया जाना	C.A.R.E. help for Farms	.. 1545
2131.	राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये समाचार संबंधी तारों की दरों में वृद्धि	Increase in Press Cable Rates for Commonwealth Countries	.. 1545
2132.	सामुदायिक विकास आन्दोलन	Community Development Movement	.. 1546
2133.	बम्बई टेलीफोन कार्यालय भवन	Bombay Telephones Office Building	1547
2134.	बम्बई टेलीफोन व्यवस्था के लिये बहुमंजली इमारत	Multistoreyed Building for Bombay Telephones	.. 1547-1548
2135.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	Central Potato Reserch Institute, Simla	.. 1548
2136.	हरियाना में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tubewells in Haryana	.. 1548
2137.	जम्मू और काश्मीर को अनाज की सप्लाई	Food Supply to Jammu and Kashmir	.. 1548
2138.	मितोपयोग के उपाय	Austerity Measures	.. 1549
2139.	पढ़े लिखे व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment of Educated Persons	.. 1549
2140.	बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Waste Lands	.. 1549-1550
2141.	किसानों को भूमि का वितरण	Distribution of Land to Tillers	.. 1550
2142.	आरे में सरकारी बेकरी	Public Bakery at Aarey	.. 1550-1551

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
2143.	डाक व तार और रेल डाक सेवा विभागों के कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Employment of P & T and R. M. S. Departments	.. 1551
2144.	टेलीफोन बिलों का भुगतान	Payment of Bills of Telephone Connections	.. 1551
2145.	सीधे टेलीफोन करने की राजस्थान में व्यवस्था	S. T. D. Services in Rajasthan	.. 1551
2146.	किसानों के लिये ऋण	Credit for Farmers	.. 1552
2147.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार गेहूँ का बीज	Wheat Seeds produced by I.A.R.I.	1552
2148.	प्रतिपक्षी दलों के मुख्य सचेतकों को अनुसचिवीय सहायता	Secretariat Assistance of Chief Whips of Opposition Parties	.. 1552-1553
2149.	मूंगफली का उत्पादन	Production of Groundnut	.. 1553
2150.	चौथी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर	Additional Jobs under Fourth Plan	.. 1553
2151.	उपग्रहों से संचार व्यवस्था	Communication with Satellites	.. 1553-1554
2152.	सुपर बाजार	Super Bazars	... 1554
2153.	भारत का सर्वोत्तम ग्राम	India's best village	.. 1554
2154.	बन्द पड़े बगीचों को नियंत्रण में लिया जाना	Take over of closed Plantations	.. 1555
2155.	शार्क मछलियों का आतंक	Shark Menace	.. 1555
2156.	खारगोन में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange at Khargaon	.. 1556
2157.	खंडवा तथा खारगोन के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Linking Khandwa and Khargaon by Telephone	.. 1556
2158.	युद्ध-पीड़ित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of War victims	.. 1556-1557
2159.	एक राज्य से दूसरे राज्य में मोटा अनाज लाना ले जाना	Movement of coarse grains	.. 1557-1558
2160.	दिल्ली में श्रमिकों की कठिनाइयाँ	Difficulties experienced by labourers in Delhi	.. 1558
2161.	भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक व्यय	Administration expenses of F.C.I.	.. 1558-1559
2162.	नये मजूरी बोर्ड	New Wage Boards	.. 1559

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	UBJECT	पृष्ठ/PAGE
2163.	बंकोला और कुरदीह कोयला खानों में हड़ताल	Strikes in Bankola and Kuardih Collieries	.. 1559
2164.	स्वेज नहर के रास्ते से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains via Suez Route	.. 1559-1560
2165.	पाकिस्तान को तकनीकी मिशन	Technical Mission to Pakistan	.. 1560
2166.	मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exch anges in M.P.	.. 1560
2167.	दिल्ली दुग्ध योजना के टोकन	D.M.S. Tokens	.. 1560-1561
2169.	दिल्ली में घेराव	Gherao in Delhi	.. 1561
2170.	मछली पालन में भारत की स्थिति	India's position in Fishery	.. 1561
2171.	पंजाब सर्किल के डाकखानों में डाक विभाग संबंधी लेखन सामग्री का न मिलना	Non-availability of Postal stationery in Post Offices in Punjab Circle	.. 1561-1562
2172.	सरकारी संस्थाओं को आयातित ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of imported Tractors to Government Institutions	.. 1562
2173.	ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors	1562
2174.	राज्यों को ट्रैक्टरों का अलाटमेंट	Allotment of Tractors to States	.. 1563
2175.	मुर्गी पालन योजनाएँ	Poultry Farming Schemes	.. 1564
2176.	दिल्ली में बेरोजगारी	Unemployment in Delhi	.. 1565
2177.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी बनाया जाना	Ghee Production by D.M.S.	.. 1565
2178.	मनीपुर में लघु सिंचाई योजनाएँ	Minor Irrigation Schemes in Manipur	.. 1565
2179.	किसानों में असंतोष	Agrarian Unrest	.. 1566
2180.	दो फसलें उगाना	Double Cropping	.. 1566-1567
2181.	संकर ज्वार और गेहूँ का उत्पादन	Production of Hybrid Jowar and Wheat	.. 1567
2182.	सरकारी उपक्रमों में श्रम अधिकारी	Labour Officers in Public Undertakings	.. 1567-1568
2183.	लोकसभा की बैठक पर प्रति घंटा खर्च	Hourly Cost of Lok Sabha Sitting	.. 1568

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2184.	उप-चुनाव	Bye-elections ..	1568
2185.	'अपना टेलीफोन लगवाइए' योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connection under O. Y. T. Scheme	1568-1570
2186.	डाक से तार भेजना	Postal Transmission of Telegrams ..	1570-1571
2187.	कर्मचारी भविष्य निधि में से धन निकालना	Withdrawals from the Employees Provident Fund ..	1571
2188.	संसद् सदस्यों के लिये सड़क परिवहन से यात्रा करने की सुविधाएँ	Road Travel Facilities for M. Ps. ..	1571
2189.	पुस्तकों पर डाक शुल्क की दरें	Postal Charges on Books ..	1571-1572
2190.	काजू का उत्पादन	Production of Cashew Nuts ..	1572
2191.	मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges in M. P. ..	1572-1573
2192.	भाण्डागार निगम	Warehousing Corporation ..	1573
2193.	मनीपुर में मक्का के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध	Control on Movement of Maize in Manipur ..	1574
2194.	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund ..	1574
2195.	विधि मंत्रियों का सम्मेलन	Law Ministers' Conference ..	1574-1575
2196.	बिहार के लिये धान का मूल्य	Paddy Price for Bihar ..	1575-1576
2197.	उड़ीसा में खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in Orissa ..	1576
2198.	उड़ीसा में तूफान से हानि	Loss due to Cyclone in Orissa ..	1576
2199.	केरल राज्य में रेलवे डाक सेवा की इमारतें	R.M.S. Buildings in Kerala State ..	1577
2200.	उड़ीसा में ढेंनकनाल डिवीजन में डाक व तार विभाग के कर्मचारी	P. & T. Employees in Dhenkanal Division in Orissa ..	1577
2201.	केरल में डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाएँ	Postal Telegraph and Telephone Facilities in Kerala ..	1577-1578
2202.	दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गोदामों में अनाज खराब हो जाना	Damage of Foodgrains in Godowns in Delhi and U. P. ..	1578

अता० प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2203.	अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Act into Hindi	..1578-1579
2204.	पंजाब श्रमजीवी पत्रकार संघ	Punjab Working Journalists Union	.. 1579
2205.	डाक तथा तार विभाग को घाटा	Losses to Posts and Telegraph Department	.. 1579
2206.	सूरतगढ़ प्रक्षेत्र	Suratgarh Farm	.. 1579-1580
2207.	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	.. 1580
2208.	मनीपुर में चीनी की कमी	Sugar Shortage in Manipur	.. 1580
2209.	मनीपुर में धान तथा आलू के बीजों की खरीद	Purchase of Paddy and Potato Seeds in Manipur	.. 1581
2210.	ट्रंक वालों के लिये मीटर	Trunk Call Meters	.. 1582
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 1582
	सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) विधेयक	Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Bill	.. 1583-1590
	खंड 2 से 11 तथा 1	Clauses 2 to 11 and 1	..
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
	श्री दामानी	Shri S. R. Damani	
	श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri Geroge Fernandes	
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	..
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	
	करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1967	Taxation Laws (Amendment) Bill 1967	.. 1590-1603
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
	श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandeker	
	श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
	श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
	श्री न. कु. सांघी	Shri N. K. Sanghi	
	श्री एस. एम. जोशी	Shri S. M. Joshi	
	श्री दामानी	Shri S. R. Damani	
	श्री पी. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Reports of Public Accounts Committee ..	1603-1611
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री ना० स्व० शर्मा	Shri N. S. Sharma	
श्री स० कुन्दू	Shri S.Kundu	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
डा० चन्ना रेड्डी	Dr. Chenna Reddi	
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagnnath Rao	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28 नवम्बर, 1967/7 अग्रहायण, 1889 (शक)
Tuesday, November 28, 1967/ Agrahayana 7, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prices of Consumer Goods

*301. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that prices of consumer goods such as foodgrains, milk, pulses, oil and vegetables have spiralled very high as compared to those obtaining in 1960 ; and

(b) if so, whether Government propose to make the said commodities available to the public on the prices prevailing in 1960 through Consumer Stores ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। सन् 1960 के मूल्यों पर इन वस्तुओं को वितरित करना इस समय सम्भव नहीं है। फिर भी सरकार उन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती रही है।

Shri Molahu Prasad : Whether the question of fixing prices of essential Commodities came up in the recent food Ministers and Chief Ministers Conference, and if so, the results thereof ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी नहीं, परन्तु सम्मेलन में खाद्यान्न आदि के बढ़ते मूल्यों पर चिन्ता अवश्य प्रकट की गई थी और इसी कारण वसूली का कार्यक्रम बनाया गया है और इस सम्मेलन में इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था।

Shri Molahu Prasad : Whether any steps are proposed to be taken to fix prices in view of the cost of tilling, irrigation, seeds, fertilizers, labour etc. as is done in respect of industry ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, परन्तु फिर भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा सरकार को अपनी सिफारिशें भेजते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है ।

Shri, Shri Chand Goyal : Whether Government would examine the causes of continuously rising prices inspite of bumper crops and checking deficit financing ? Why this is not being done despite such favourable conditions ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : फसल अच्छी होने की आशा के फलस्वरूप मूल्य कम होने लगे हैं । वास्तव में 28 अक्तूबर और 18 नवम्बर के बीच के पिछले 22 दिनों में खाद्यान्न मूल्य सूचकांक में, 1966 के इसी अवधि में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में 3.4 प्रतिशत की कमी हुई है ।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गत वर्ष के मुकाबले में इसी अवधि में मण्डियों में 40 प्रतिशत अधिक गल्ला आया। कुछ राज्यों में यह वृद्धि बहुत अधिक हुई है। उदाहरणत: मध्य प्रदेश में अक्तूबर में 600 प्रतिशत वृद्धि हुई, मद्रास में 240 प्रतिशत वृद्धि हुई है और केरल में भी 114 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पश्चिमी बंगाल में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है और गल्ले के मूल्य घटने की ओर यह बहुत स्वस्थ निशानी है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has tried to see the prospects by comparing figures of market arrivals. But the problem is far greater than that. May I know whether this is a fact that manure and fertilizers were not prepared from the raw material available in the country such as excreta, bones etc. ? Bones which were required for the preparation of P2 O5 were also being exported, oilseeds husk was also being exported. Although enough sub-soil water was available, yet we did not give priority to that. Only 4 percent power was supplied ? Whether it is also a fact that prices have risen due to fall in production consequent to neglect of irrigation and fertilizers etc. ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से भिन्न है। फिर भी मूल्य वृद्धि मुख्यत: गत दो वर्ष में भयंकर सूखे पड़ने और खाद्य के उत्पादन में भारी कमी होने के कारण हुई है ।

श्री मि० सू० मूर्ति : उपभोक्ता वस्तु निगम शीघ्र बनाने के प्रस्ताव का क्या बना ?

श्री रंगा : एक अन्य निगम ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस समय यह विचाराधीन नहीं है ।

श्री कण्डप्पन : क्या सरकार को पता है कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के नियंत्रण तथा विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार के पास जो सर्वव्यापी अधिकार है उनके कारण कुछ राज्यों में तेल तथा चीनी जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन में वहाँ की सरकारों के लिये समस्या पैदा हो गई है और यदि हाँ, तो उन्होंने राज्य सरकारों के सहायतार्थ क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में ऐसी बहुत सी वस्तुओं के मूल्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं और आवश्यक अधिकार राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किए गए हैं ताकि मूल्य वृद्धि रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा सके। परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कई अन्य कठिनाइयों तथा अर्थव्यवस्था में कई विपरीत प्रभावों के कारण गत कुछ वर्षों से मूल्य तेजी से बढ़े हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : फसल अच्छी होने की संभावनाओं के होते हुए और खाद्य उत्पादन 9.5 करोड़ मीटरी टन होने पर चालू वर्ष में खाद्यान्न वसूली के बारे में सरकारी अनुमान क्या हैं?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : 70 से 80 लाख मीटरी टन गल्ले की वसूली होने की हमें आशा है। यह अनुमान कृषि मूल्य आयोग ने बताया है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह मामला उठा था और वहां बताया गया था कि 60 से 70 लाख मीटरी टन तक गल्ला वसूल किया जा सकेगा।

श्री स० मो० बनर्जी: यह बात अब मान ली गई है कि सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में अथवा मूल्यों को आगे बढ़ने से रोक पाने में बुरी तरह असफल रही है। क्या यह सच है अथवा क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि सभी वस्तुओं के थोक तथा खुदरा भावों में काफी अन्तर होता है? क्या चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों को भारी दण्ड देने का प्रयोजन करने वाला कोई विधान पेश करने का उनका कोई प्रस्ताव है ताकि मूल्य वृद्धि रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जा सके?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: पहले ही काफी कठोर उपबन्ध विद्यमान हैं और इन्हें और कड़ा करने वाला विधेयक संसद के समक्ष है।

जहाँ तक थोक तथा खुदरा भावों में अन्तर का संबंध है, यह तो सामान्य समय में भी होता है। परन्तु जहाँ तक गल्ले का संबंध है, औपचारिक तथा अनौपचारिक राशन लागू करने के फलस्वरूप लगभग 24 करोड़ लोगों को उचित मूल्यों पर गल्ला उपलब्ध किया जाता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण लागू किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : खुले आम नहीं मिलता है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: खुली मंडी में यह अन्तर तो है। परन्तु मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ वस्तुओं के थोक और खुदरा भावों में अन्तर अनुचित रूप में अधिक है।

Shri M. R. Sharma : At the commencement of new season the price of wheat was Rs. 100/- per quintal and procurement was made at this very rate but later on prices fell to Rs. 80/- per quintal and farmers have enough stocks with then even now. May I know what steps Government propose to take to draw out these stores from farmers ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा सदस्य महोदय ने आरोप लगाया है मूल्य-वृद्धि के लिये भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में विभिन्न राज्यों में वसूली भाव ही बने रहे हैं और ये भाव केन्द्रीय सरकार के परामर्श से घोषित किए गए थे। विभिन्न राज्यों में उपलब्ध गल्ले की वसूली कर ली गई थी। कुछ राज्यों में, जहाँ मशीनरी प्रभावी थी अच्छी वसूली हुई। अन्य राज्यों में कुछ त्रुटियों के कारण किसानों ने इस आशा से अनाज नहीं निकाला कि बाद में उन्हें उसके अधिक दाम मिलेंगे।

श्री रंगा: मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आँकड़ों से भी उनके आशावाद की पुष्टि नहीं होती। जहाँ मंडियों में 50 से 60 प्रतिशत तक अधिक अनाज आया है वहाँ मूल्य केवल 3.5 प्रतिशत ही घटे हैं। क्या सभी जगह सस्ते अनाज की दुकानें ठीक प्रकार से चल रही हैं और क्या इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। क्या उत्तर तथा दक्षिण में विशेषकर उड़ीसा राज्य में जहाँ सूखा, तूफान तथा बाढ़ से क्षति हुई है और अधिक सस्ते अनाज की दूकानें खोलने का विचार है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैंने कहा था कि 40 प्रतिशत से अधिक अनाज मंडियों में आया। कुछ राज्यों में 6 गुना अधिक अनाज आया। मूल्यों पर मंडियों में आये अनाज का प्रभाव कुछ समय बाद पड़ेगा। एक दो मास इसमें लग सकते हैं।

जहाँ तक सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का संबंध है, देश भर में बहुत सी दुकानें खोली गई हैं। इस समय इनकी संख्या 1,53,000 है। यदि किसी स्थान विषेश पर कोई कठिनाई है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा और दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। परन्तु भारत सरकार की नीति इनकी संख्या में वृद्धि करने की नहीं है।

श्री रंगा : और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इन क्षेत्रों में राहत कार्य आरम्भ करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम राज्य सरकारों को उपहार स्वरूप गेहूँ अथवा मक्की गरीब लोगों में बाँटने के लिये देते हैं।

श्री रंगा: क्या उड़ीसा तथा बिहार में भी कोई कार्यवाही की गई?

श्री जगजीवन राम: जी हाँ, हमने इन राज्यों के लिये भी गेहूँ तथा मक्की उपहारस्वरूप अलाट की है।

श्री को० सूर्यनारायण : मूल्य-वृद्धि रोकने और अनाज के व्यापार में होने वाली बुराइयाँ रोकने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार वर्तमान उपभोक्ता सहकारी भंडारों के स्थान पर जो जन साधारण के लिये विशेषकर गावों में विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं, उत्पादक-एवं उपभोक्ता सहकारी भंडार खोलने पर विचार करेगी?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: सरकार पूरे देश में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को प्रभावी सहायता दे रही है। नीति अथवा आर्थिक दोनों प्रकार की सहायता उन्हें दी जाती है और हम चाहते हैं कि लोग शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में स्वतः ऐसे संगठन का गठन करें ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

Shri Prakash Vir Shsatri : Whether a delegation met Shri Jagjivan Ram and drew his attention to the fact that the cause of rise in prices of consumer goods like pulses is movement of pulses into other States including border States from where they are smuggled to other countries; If so, the steps being taken by Government in this regard ?

Shri Jagjivan Ram : We have no such information from any State Government. But State Governments are asked to be constantly vigilant to prevent smuggling.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been reported in the press today itself that a delegation from Madhya Pradesh called on him.

Shri Jagjivan Ram : They were traders and they always say only one thing that restrictions on movement should be withdrawn and I tell them that it cannot be done at present.

Shri Prakash Vir Shastri : Remove, them.

Shri Jagjivan Ram : Not for the present. How could I do that for unbashing looting ?

श्री हेम बरुआ: कुछ समय पूर्व माननीय उप-प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ने दिये जायेंगे। इस संदर्भ में क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि अब जब कि उनके इस आश्वासन के बावजूद मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगजीवन राम: अनाज के मूल्यों का प्रभाव उत्पादित वस्तुओं पर पड़ता ही है। फसल की अच्छी संभावनाओं के फलस्वरूप अनाज के मूल्यों में कमी होनी आरम्भ हो गई है जबकि मुख्य फसल अभी मंडियों में आनी है। निःसन्देह अनाज के भावों में काफी कमी हो जायेगी और इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी पड़ेगा।

श्री हेम बरुआ: मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। मैं तो यह जानना चाहता था कि उप-प्रधान मंत्री जी के आश्वासन के संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री जगजीवन राम: एक महत्वपूर्ण कदम अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना है।

श्री अमृत नाहाटा: अनाज के मूल्यों में शहरी अथवा ग्रामीण लोगों के परस्पर विरोधी हितों की दृष्टि से सस्ते अनाज की नीति से देश में खाद्यान्न उत्पादन को धक्का लगता है। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि अनाज को सस्ता करने की नीति छोड़ दी जायेगी (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय: हम इस समय इन प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर रहे। अगला प्रश्न।

(प्रश्न संख्या 325 के बारे में)

Shri Shiv Chandra Jha : I resquest that Question no. 325 should also be taken up alongwith this.

अध्यक्ष महोदय : हाँ ठीक है।

खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन

*302. **श्री मयावन** : **श्री शिव चन्द्र झा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रोम में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी?

खाद्य, तथा कृषि सामुदायक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) अन्य औपचारिक मदों के अतिरिक्त सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था:

(1) खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य उत्पादन संसाधन कार्यक्रम;
(2) कृषि उत्पादन के लिए इन्डीकेटिव वर्ल्ड प्लान;
(3) खाद्य और कृषि संगठन के सामान्य रूप का पुनर्विलोकन;
(4) 1968–69 के दो वर्षों के लिए खाद्य और कृषि संगठन के कार्यक्रम का प्रारूप तथा बजट;
(5) खाद्य और कृषि संगठन के सामान्य तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों में अनुवाद के लिए अरबी तथा जर्मनी भाषाओं का प्रयोग;
(6) नए महानिदेशक की नियुक्ति तथा संगठन की समितियों के लिए निर्वाचन;
(7) नए सदस्यों का प्रवेश।

संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता

*325. **शिव चन्द्र झा, श्री मयावन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रोम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान अगले वर्ष 60 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की सप्लाई सम्बन्धी भारत की प्रार्थना पर अमरीकी सरकार के अधिकारियों से विचार विमर्श किया था;

(ख) क्या अमरीकी सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

खाद्य तथा कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अमरीकी कृषि सचिव खाद्य तथा कृषि मंत्री से मिले थे और उनसे कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं तथा 1968 के लिये हमारी खाद्यान्नों की आवश्यकताओं के बारे में विचार-विमर्श किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether at the time when he discussed the question of supply of foodgrains with American officials in Rome, the American officials suggested some such condition this time as has never been suggested by them earlier.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): हमने अमरीका के राज्य-सचिव के साथ कृषि-उत्पादन की संभावना, कृषि स्थिति और बाहर से अनाज मँगाने की जरूरतों के बारे में सामान्य विचार-विमर्श किया। मेरे सामने कोई नई शर्त नहीं रखी गई थी।

Shri Shiv Chandra Jha : Whether it is not a fact that America has suggested that India should abolish zonal food system first only then foodgrains can be imported from America. Whether it is also a fact that this question was raised in the discussions? If so, the reaction of hon. Minister in regard thereto ?

Shri Jagjiwan Ram : Many points were discussed but decision about zonal restrictions will be taken by us and not by anybody else and zonal restrictions will not be removed for the time being.

श्री स० कुन्दू: हम सब जानते हैं कि खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक श्री बी० आर० सेन हैं जिन्होंने इस संगठन के लिए मूल्यवान काम किया। अब हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि वह अब वहाँ नहीं रहेंगे। समस्या इस तरह है: सदस्यों की समिति समझती है कि भारत सरकार ने उस परियोजना सहायता का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया है जो खाद्य तथा कृषि संगठन से मिली है। दूसरे, सरकार की गलत विदेश नीति के कारण भी वे इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में हमारे एक सुविख्यात व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जब वह रोम में थे तो क्या उन्होंने वहाँ पर पूरी गम्भीरता से श्री सेन की नियुक्ति का प्रश्न उठाया और उन्होंने उसकी उम्मीदवारी का समर्थन किया और क्या वह यह कहने के लिए तैयार हैं कि महानिदेशक के पद के लिए उनका समर्थन न कर सकने से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को भी बट्टा लगाया है।

श्री जगजीवन राम : यहाँ पर व्यक्ति विशेष के बारे में विचार-विमर्श करना वांछनीय नहीं है। वास्तव में हमने डा० सेन के नाम का समर्थन किया लेकिन पात्रता का प्रश्न उठाया गया। समिति की बैठक में योग्यता के आधार पर पात्रता का तकनीकी प्रश्न उठाया गया। यह निर्णय किया गया कि पिछले वचनों और संकल्पों को देखते हुए डा० सेन प्रत्याशी बनने के पात्र नहीं हैं इसलिए भारत की विदेश नीति आदि का प्रश्न नहीं उठता। हमने उसका अनुमोदन किया और जो कुछ हो सकता था किया लेकिन यह तकनीकी प्रश्न उठाया गया और यह विनिर्णय दिया गया कि वह पात्र नहीं है।

श्री स० कुन्दू : वे जानते थे कि ऐसी तकनीकी कठिनाई है। फिर भी उन्होंने उसका समर्थन किया और उसे निष्कासित कर दिया गया। यह भारत की प्रतिष्ठा पर एक कलंक है। आपने उसका समर्थन क्यों किया?

श्री जगजीवन राम : इसके बारे में कानूनी विशेषज्ञों की राय अलग-अलग थी। कुछ लोगों का विचार था कि वह इसके योग्य हैं और कुछ लोगों का विचार था कि वह पात्र नहीं हो सकते। अन्ततः इसका फैसला मतदान द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्दू मंत्री के उत्तर से सहमत न हों। लेकिन उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 1967 के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसपर इस सम्मेलन में चर्चा की गई, उल्लिखित है कि भारत में कृषकों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं उनसे प्राथमिक किसानों को लाभ नहीं होता। यह मूल्य केवल माध्यमिक बाजारों में मिलते हैं। यह एक प्रकार की निन्दा है जो खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत की खाद्य नीति की की है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने इसपर विचार किया है और क्या वह खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन में की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करेगी?

श्री जगजीवन राम : हम जो वसूली मूल्य नियत करते हैं वे वसूली मूल्य उत्पादकों के लिए होते हैं और अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसे प्रबन्ध किए हैं जिससे किसानों और उत्पादकों को वह वसूली मूल्य जरूर मिले जो हम नियत करते हैं। जब कभी हमें किसी क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है तो कि मूल्यों के कम होने की संभावना है और व्यापारी वसूली मूल्य से कम मूल्य अदा कर रहे हैं तो सरकार उत्पादकों से सीधे खरीद करने की व्यवस्था करती है। इस तरह हम इस बात का निश्चय करते हैं कि उत्पादकों को वसूली मूल्य जरूर मिले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन के बारे में प्रश्न किया था। क्या उनका कहना है कि रिपोर्ट गलत है क्योंकि जब रिपोर्ट तैयार की गई उस समय डा० सेन महानिदेशक थे। क्या उन्होंने खाद्य तथा कृषि संगठन का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिए कदम उठाये हैं कि उन्हें ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिये।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वहाँ किसी ऐसी बात का उल्लेख किया गया है जिसका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है। लेकिन यह पिछली अवधि के सम्बन्ध में है। वास्तव में पिछले 2 वर्षों के दौरान हमने वसूली मूल्यों सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है। अब मैं यह नहीं समझता कि हमारे वसूली मूल्य किसी तरह अलाभदायक हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: मंत्री महोदय ने कहा है कि डा० सेन के नामांकन के बारे में कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वह खाद्य तथा कृषि संगठन की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं कि वह 4 वर्ष से अधिक समय के लिए महानिदेशक नहीं रह सकते। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के 11वें अधिवेशन द्वारा यह निश्चय किया गया था कि 4 वर्ष का नियम डा० सेन पर लागू नहीं होगा और यदि हाँ, तो दूसरी तकनीकी कठिनाइयाँ क्या हैं?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियम का अलग-अलग अर्थ लगाया जाता है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वर्ष कितना अनाज आयात करने का अनुमान लगाया गया है और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई मंत्री महोदय की बातचीत के अनुसार किन-किन देशों से अनाज का आयात किया जायेगा?

श्री जगजीवन राम: मैं इस बात का पता लगाने के लिए रोम नहीं गया था कि कौन सा देश भारत को कितना अनाज देगा। मैं खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। मैंने खाद्यान्न की जरूरतों के बारे में किसी दूसरे देश से कोई बातचीत नहीं की।

श्री राजाशेखरन: क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महानिदेशक के पद के चुनाव के सम्बन्ध में चिली के नामांकन का अनुमोदन तथा समर्थन किया था? यदि हाँ तो क्या मैं जान सकता हूँ कि चिली के उस उम्मीदवार का समर्थन करने के क्या कारण थे, जो अन्त में हार गया?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: हमने श्री बी० आर० सेन के नाम का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर दो बार दिया गया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: तत्पश्चात् कोई भी राष्ट्र चुनावों के लिए किसी भी दूसरे राष्ट्र का समर्थन कर सकता है।

दिल्ली में हलवाइयों को चीनी का वितरण

*303. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दशहरा तथा दिवाली के त्यौहारों पर दिल्ली के लिये कितनी चीनी दी गई थी;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मिठाइयाँ बनाने के लिये दी गई चीनी में से 70 प्रतिशत चीनी काले बाजार में बिकी;

(ग) क्या यह भी सच है कि हलवाइयों ने नियंत्रित दरों पर सप्लाई करने के लिये बहुत कम मात्रा में मिठाइयाँ बनायी थीं और उन्होंने ऊँचे दामों पर काफी मात्रा में मिठाइयाँ बेचीं और बर्फी तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची गयी थीं;

(घ) क्या सरकार ने इन कदाचारों के बारे में कोई जाँच कराई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) 12,600 क्विंटल।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ०): दिल्ली प्रशासन को निर्धारित दामों से ऊँचे दामों पर मिठाइयाँ बेचने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रशासन ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि बर्फी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची गई।

Shri Prem Chand Verma : Whether it is a fact that Delhi Administration had issued sugar between 2 to 3 thousand tonnes to its Councillors for distribution among the people? Whether it is also a fact that the Councillors allotted sugar to their relatives, party workers and friends by bogus ways and thus the sugar purchased at the rate of Rs. 1.50 a Kilo was sold at Rs. 6.00 a kilo? I want to know whether Government have received such complaints? Whether it is also a fact that a Councillor had earned between Rs. 10,000 and 12,000 in this sugar scandal ? I also want to know whether Government is prepared to make any Judicial enquiry in this regard ?

खाद्य, तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

Shri Prem Chand Verma : Both Delhi and Himachal Pradesh are Union Territories and the population of both these areas is more or less equal. 12,600 tonnes of sugar have been allotted to Delhi. I want to know the quantity of sugar allotted to Himachal Pradesh, the population of which is equal to that of Delhi ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : महोदय, यह विशेष बंटन समान रूप से पूरे देश में त्योहारों के लिये किये गये थे और मासिक कोटे का 20 प्रतिशत प्रत्येक राज्य को अनुपात से अलाट किया गया था।

Shri Prem Chand Verma : I had asked the quantity of sugar allotted to Himachal Pradesh but he had stated the percentage.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक राज्य को 20 प्रतिशत अधिक चीनी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश को भी 20 प्रतिशत अधिक चीनी अवश्य मिली होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the quantity of sugar supplied to Delhi Administration was less than the quantity demanded by them? What was the quantity of sugar demanded by them and the quantity of sugar supplied ?

It has been stated that a few cases were received and action was being taken in those cases. I want to know the action being taken and the number of cases so reported ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, all the big Halwais are Congressmen.

अध्यक्ष महोदय: इसमें कांग्रेस या किसी दूसरे दल की कोई बात नहीं है। यह दिल्ली का प्रश्न है और इस में सभी लोग हैं।

श्री कँवर लाल गुप्त : चोर बाजारिये और कांग्रेस एक हैं।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में सभी दलों के लोग है। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिये।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं सभा की सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि हम दिल्ली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य की यह शिकायत उचित नहीं है कि दिल्ली को कम चीनी अलाट की गई थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked the quantity of sugar demanded and the quantity of sugar supplied.

Shri Jagjiwan Ram : Whatever the quantity of sugar demanded, the State Governments do not get the quantity of sugar as demanded by them. It is a fact that Delhi had been getting preferential treatment and we had been giving more sugar to Delhi as compared to others.

Secondly, he wanted to know the action being taken by us. Perhaps Hon. Member has not understood the reply. The action will shortly be taken by the Delhi Administration.

Shri Hukam Chand Kachwai : The number of cases ?

Shri Jagjiwan Ram : For this notice may be given.

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the quantity of sugar taken by Hon. Minister every month ?

Mr. Speaker : You also take.

Shri Sarjoo Pandey: Whether it is a fact that sugar was released by Delhi Administration on the occasion of Diwali but Muslims did not get sugar on the occasion of Bakrid and complaints have also been received in this regard ? If so, the action taken in this regard ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: हम त्योहारों के लिए अतिरिक्त कोटा देते हैं। लेकिन जहाँ तक वितरण व्यवस्था का सम्बन्ध है, यह देखना दिल्ली प्रशासन का काम है कि हम जो अतिरिक्त कोटा देते हैं उस से सभी सम्प्रदायों की जरूरत ठीक तरह पूरी हो।

Shri Manubhai Patel : Some over-enthusiastic colleagues of Shri Malhotra, Chief Executive Councillor of Delhi, had said that there had not been any blackmarketing in Delhi. Whether it is not a fact that Shri Malhotra had made a statement in this regard, if so, whether attention of Government has been drawn to the said statement ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमें मुख्य कार्यकारी पार्षद के इस वक्तव्य की कोई जानकारी नहीं है।

श्री नम्बियार : इस बात को देखते हुए कि साधारण आदमी को चीनी लेने में भारी कठिनाई होती है और इस बात को भी देखते हुएकि सरकार आंशित विनियंत्रण की बात सोच रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या लोग चोरबाजार जाये बिना और चीनी का दाम 6 से 8 रुपये प्रति किलो दिये बिना थोड़ी ज्यादा चीनी ले सकते हैं ? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है ? क्या साधारण व्यक्ति को चीनी का अधिक अच्छा वितरण सुनिश्चित करने की कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हलवाइयों की चीनी देने के सम्बन्ध में है और उनका प्रश्न साधारण व्यक्ति को चीनी देने के सम्बन्ध में हैं।

श्री नम्बियार: मैं वितरण की नीति के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री सय्यद अली : मैं खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वह रमजान के लिए चीनी दे रहे हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस प्रयोजन के लिए कुछ अतिरिक्त चीनी अलाट की गई है।

श्री गाडिलिंगन गौड : चीनी के आंशिक विनियंत्रण के बाद दिल्ली में राशन की दुकानें चीनी की सप्लाई बिल्कुल नहीं कर रही हैं। इसका क्या कारण है ?

श्री जगजीवन राम : राशन की दुकानों द्वारा सप्लाई के लिए दिल्ली प्रशासन को कुछ चीनी अलाट की गई है चाहे इसकी मात्रा कम कर दी गई है। इस व्यवस्था से पहले हम 1,59,000 टन चीनी का वितरण पूरे देश में करते थे अब हम 100,000 टन चीनी दे रहे हैं। इसलिए राशन की दुकानों ने अनुपात से सप्लाई में कमी कर दी है।

श्री गाडिलिंगन गौड : साउथ एवेन्यु में राशन की दुकान पर मुझे बताया गया कि राशन की दुकान पर चीनी नहीं है।

श्री पीलू मोदी : क्योंकि उन्होंने नार्थ एवेन्यु पर बहुत ज्यादा कृपा की है।

Shri K. N. Tiwary : 2.9 million tonnes of sugar is consumed in the country. Hon. Minister has just said that Delhi is getting more sugar. I want to know the percentage of sugar given to Delhi and the percentage of sugar allotted to other States despite shortage of sugar ?

Shri Jagjiwan Ram : The quota of all States has been reduced proportionately.

Shri Prem Chand Verma : He has said that he is giving more sugar for Delhi.

Shri Kanwar Lal Gupta : Previously 250 grams of Sugar per week per head was being given. Now it has been reduced to 200 grams. In addition to this, special quota for marriages etc. was given to halwaies or quota was given to Members. Now it is not being given by Delhi Administration. Sugar is given for ration only and not far any other purpose. Delhi Administration have requested the Minister that more quota of sugar may be given to them. In view of special conditions of Delhi, whether Hon. Minister would allot more quota to Delhi Administration for distribution in Delhi and/or give quota directly to those halwais who are not getting any quota at present and as a result of which the prices of sweetmeats have increased to a great extent because sugar is selling at Rs. 5 and Rs. 6 per Kilo in the open market in Delhi?

Shri Jagjiwan Ram : I understand that hon. Member is aware that same policy applies to Delhi in the matter of sugar which is applicable to other parts of the country. Whether we should allot special quota to Delhi when Executive Councillors of Delhi Administration say something: Hon. Member should himself realise this thing. Delhi has been treated at par with other parts of the country in the matter of distribution of sugar. After reduction in sugar, the proportionate quota is being given to Delhi Administration. But as Delhi has been getting more, therefore every citizen of Delhi is getting more after reduction also as compared to other States. As regards halwais, they can purchase from open market. We will give sugar in ration to domestic consumers.

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

*304. **श्री उमानाथ:** **श्री नायनार:**

श्री रमानी: **श्री एस्थोस :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ। मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट 14 अगस्त, 1967 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी।

(ख) रिपोर्ट में की कई सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री उमानाथ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में इतना अधिक समय लग गया है और मजदूरों को कोई भी राहत नहीं मिली है, मैं

यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसके विचारार्थ और इस पर निर्णय करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय कब घोषित करेगी ?

श्री हाथी : मैं आशा करता हूँ कि निर्णय लगभग एक पखवाड़े में घोषित कर दिया जायेगा ? दूसरे अन्तरिम राहत सम्भवतः दी गई थी ।

श्री उमानाथ : कोई अन्तरिम राहत नहीं दी गई । इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ ।

श्री हाथी : पहले मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी मजदूरों को 5.48 राहत 1 जनवरी 1965 से दी गई थी ।

श्री उमानाथ : इन मजूरी बोर्डों के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन में यह समझौता हो गया था कि मजूरी में एक बार संशोधन कर देने के बाद पाँच वर्ष तक कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये । इसका मतलब यह हुआ कि पाँच वर्ष पूरा होने के तुरन्त बाद उन्हें मजूरी में दूसरा संशोधन करवाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । क्रियान्विति की तारीख के बारे में मजूरी बोर्ड अपनी सिफारिश कर सकते हैं । तो पाँच साल की अवधि के तुरन्त बाद क्या सरकार यूनियनों के समझौतों और निर्णयों को इस आयोग की नियुक्ति की तारीख से अमल में लायेगी ?

श्री हाथी : मेरे विचार में मजूरी बोर्ड इस पर विचार करेगा और मजूरी में वृद्धि कौनसी तारीख से की जायेगी, इसकी भी सिफारिश करेगा ।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि, आयोग की सिफारिश कुछ भी हो किन्तु क्योंकि भारतीय श्रम सम्मेलन में यह फैसला हो गया था कि पाँच वर्ष के तुरन्त बाद मजूरी में दूसरा संशोधन कर दिया जायेगा, तो सरकार इसे आयोग की नियुक्ति की तारीख से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी ?

श्री हाथी : मैं इस पर विचार करूँगा ! मैं इसका तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री रमानी: मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को प्रस्तुत करने में इतनी लम्बी देरी को और सम्बन्धित मजदूरों को अन्तरिम राहत देने के बारे में कई दूसरे मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और इस उद्योग ने भारी मुनाफा कमाया है और इस मुनाफे का एक भाग राजनीतिक दलों में भी दान के रूप में वितरित कर दिया गया है, सरकार ने सीमेंट मजूदरों को अन्तरिम राहत देने के महत्वपूर्ण मामले पर विचार क्यों नहीं किया । पहले मजूरी बोर्ड में तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की और दूसरे मजूरी बोर्ड में भी उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया । क्या सरकार की यह नीति है कि सीमेंट मजदूरों को कोई अन्तरिम राहत नहीं मिलनी चाहिये ?

श्री हाथी : मैंने कहा है कि अन्तरिम राहत दी जा चुकी है ।

श्री रमानी : इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

श्री नम्बियार : यह केवल कहा गया है, क्रियान्वित नहीं किया गया ।

श्री हाथी : यह मेरी जानकारी है । 8 फरवरी, 1965 को जयपुर में हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने पहले मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी मजदूरों को 1 जनवरी, 1965 से 5.48 रुपये की तदर्थ अन्तरिम राहत देने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी । सरकार ने अपने संकल्प दिनांक 31 मई, 1965 में इन सिफारिशों को स्वीकार किया था । राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि इन सिफारिशों को पूर्णरूपेण क्रियान्वित कर दिया गया है ।

चीनी का मूल्य

*306. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री कृष्ण मूर्ति :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े नगरों में खुले बाजार में चीनी 6 रुपये से 8 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक रही है;

(ख) यदि हाँ, तो खुले बाजार में चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत की गई है और यदि हाँ, तो उन्होंने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (ग) 23 नवम्बर, 1967 तक केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को चीनी का मासिक कोटा आबंटित करती थी और राज्यों के अन्दर निर्धारित मूल्य पर चीनी के वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारें करती थीं। खुले बाजार में बिक्री के लिए कोई भी चीनी आवंटित नहीं की गई थी। तथापि, 23 नवम्बर, 1967 से खुले बाजार में बिक्री के लिए कुछ चीनी दी गई है। इस चीनी के बाजार में पहुँचने पर उसके मूल्य स्थिर हो जाएँगे। ऐसी चीनी के मूल्य निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने किन परिस्थितियों में चीनी पर से आंशिक रूप में नियंत्रण हटाने का फैसला किया ? क्या यह सच है कि इस घोषणा के बाद खुले बाजार में चीनी के मूल्य में 2 रुपये से 3 रुपयें और इससे भी ज्यादा की वृद्धि हो गई ? खुले बाज़ार में चीनी की बिक्री के लिये क्या कोई मूल्य निर्धारित किया जा रहा है और यदि हाँ, तो वह मूल्य क्या है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। देश में चीनी दो श्रेणियों में वितरित की जा रही है। एक तो नियंत्रित श्रेणी है और इसका नियंत्रित मूल्य होगा। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत जो चीनी खुले बाजार में बिक्री के लिये उपलब्ध होगी वह खुले बाज़ार के मूल्य पर बेची जायेगी। यह निर्णय क्यों किया गया, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दे दिया है। चीनी उद्योग में स्थिति बड़ी कठिन है। माननीय सदस्य जानते हैं कि 1965 और 1966 में हमारा उत्पादन 35 लाख टन था। फिर गन्ने की खेती में कमी होने के कारण और गुड़ और खांड-सारी के साथ प्रतियोगिता के कारण, उत्पादन घट कर 21 लाख टन हो गया। मैं मोटे तौर पर ये आंकड़े बता रहा हूँ। आशंका है कि इस वर्ष उत्पादन घटकर 17 या 15 लाख टन ही रह जायेगा और इसके फलस्वरूप देश में चीनी की भारी कमी हो जायेगी। उत्पादन में कमी हो जाने के कारण जो उद्योग शीरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें बड़ी कठिनाई होगी ? यदि इस बारे में नीति सम्बन्धी कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो सम्भावना है कि गुड़ और खांडसारी की प्रतियोगिता में फैक्टरियों को गन्ने की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल सकेगी।

इन मामलों के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ भी परामर्श किया गया और चीनी के उत्पादन की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये बहुत से मुख्य मंत्रियों ने नियंत्रण को पूर्ण रूप से हटाये जाने का सुझाव दिया था किन्तु पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाना एक खतरनाक कदम होता।

Shri Madhu Limaye : What are the names of those Chief Ministers who had suggested the removal of the control ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक मुख्य मंत्री को छोड़कर लगभग सभी मुख्य मंत्रियों ने कहा था।

श्री उमानाथ: उस एक मुख्य मंत्री का क्या नाम है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: हमें अभी इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था और उसके बाद यह कदम उठाया गया था और मेरे विचार में इससे उत्पादन बढ़ेगा । जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक उपभोक्ताओं की समस्या हल नहीं होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : चीनी की कमी है या चीनी का उत्पादन 28 लाख टन से घटकर 19 से 20 लाख टन हो गया है। चीनी उद्योग में उत्पादन से वसूली तक और वितरण में भी जो कई गोलमाल हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उनकी छानबीन करने के लिये कोई आयोग स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे विचार में चीनी उद्योग में कोई भारी गोलमाल नहीं हुआ है। माननीय सदस्य को यह प्रश्न आंशिक नियंत्रण से पहले पूछना चाहिये था। उस समय चीनी खुले बाज़ार में उपलब्ध नहीं थी। अभी भी यह हाल में ही खुले बाज़ार में आनी शुरू हुई है। चीनी के खुले बाज़ार में आने में और उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि आदेश 23 तारीख को जारी किये गये थे और कुछ फैक्टरियों को ये आदेश कल या परसों ही मिले होंगे। मूल्य कुछ समय बाद ही स्थिर हो सकेगा।

यह कहना ठीक नहीं है कि चीनी उद्योग में कोई गोलमाल हुआ है । माननीय सदस्य व्यर्थ में ही आरोप लगा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : खुले बाज़ार में चीनी इससे भी पहले मिलती थी। हो सकता है बड़े शहरों में जहाँ सांविधिक राशन-व्यवस्था या संशोधित राशन-व्यवस्था लागू है वहाँ पर राशन की दुकानों में चीनी उपलब्ध हो किन्तु बहुत से स्थानों पर खास तौर से गाँवों में चीनी 10 रुपये से 12 रुपये प्रति किलो पर बेची जा रही थी।

खाद्य, तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): श्री बनर्जी उस समय की बात कर रहे हैं जब फैक्टरियों को खुले बाज़ार में चीनी बेचने की इजाजत नहीं थी। चीनी कारखानों में जितनी चीनी तैयार होती थी वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित कर दी जाती थी। राज्य के अन्दर चीनी का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती थी। राज्य सरकारें उन्हें आवंटित चीनी को राज्यों के अन्दर सांविधिक राशन व्यवस्था या आंशिक राशन व्यवस्था या उचित मूल्यों की दुकानों या किसी और प्रकार से वितरित करती थी। हो सकता है कि चीनी प्राप्त करने वाले कुछ उपभोक्ता चीनी को नियंत्रित मूल्य से भी ऊँचे दामों पर बेच देते हों किन्तु नीची कारखानों को चीनी खुले बाज़ार में बेचने की इजाज़त नहीं थी (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कृष्णमूर्ति: केन्द्रीय सरकार के जिम्मेदारी संभालने से पहले, गन्ने के उत्पादन और मूल्यों के निर्धारण का सारा काम राज्य सरकार पर ही था। वह एक स्वर्ण काल था। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि 1949 में मद्रास में जब श्री रामास्वामी रेड्डियार मुख्य मंत्री थे तब गन्ने का मूल्य 56 रुपये प्रति टन था और चीनी 50 पैसे प्रति किलो बिकती थी.....

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत पहले की बात है। उनका प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्णमूर्ति: अब न तो किसानों को फायदा होता है और न ही उपभोक्ताओं को। अब तो केवल चोर बाज़ारी करने वालों को ही फायदा होता है। अब मूल्य 73 रुपये प्रति टन निर्धारित

किया गया है और इसके बावजूद भी किसानों को फायदा नहीं होता है ! उपभोक्ताओं को भी कोई फायदा नहीं होता है। माननीय मंत्रियों ने खुले बाजार में चीनी का मूल्य लगभग पाँच रुपये प्रति किलो बताया है। किन्तु मूल्य नियंत्रण में ढील देने के बाद कुछ लोग चीनी कारखाने में चीनी की एक बोरी के लिये 350 रुपये देने के लिये तैयार हैं और फिर वे इसे 4 या 5 रुपये प्रति किलो पर बेचते हैं। क्या सरकार चीनी के उत्पादन और वितरण को विकेन्द्रित करके यह काम फिर राज्य सरकार को सौंप देगी ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मुसीबतें कम हो सकें ?

श्री जगजीवन राम: जहाँ तक मेरी जानकारी है, कृषकों को उचित मूल्य मिल रहा है। सारी योजना यही थी। जैसा मैंने बताया है 2.75 रुपये प्रति मन जो मूल्य निर्धारित किया गया था वह हमने अनुमान से ही कर लिया था ताकि 60 प्रतिशत नियंत्रित चीनी जो हम लेंगे हम उसका मूल्य निधारित कर सकें। हम किसानों को 2.75 रुपये से भी अधिक दाम देना चाहते थे और देश के कई भागों में किसानों को 2.75 रुपये से भी अधिक मूल्य दिया जा रहा है। मद्रास में, जहाँ से मेरे माननीय मित्र आये हैं, वहाँ पर कृषकों ने कारखानों के साथ समझौता कर लिया है कि वे उन्हें न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर सप्लाई करेंगे किन्तु 40 प्रतिशत चीनी को खुले बाजार में बेचने से फैक्टरियों को जो लाभ होगा उसमें कृषकों का भी कुछ हिस्सा होगा।

श्री कृष्णमूर्ति : लाभ में हिस्सा देने के सम्बन्ध में जो यह समझौता है उसे कार्यान्वित करने का क्या कोई तरीका है ?

श्री जगजीवन राम : खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का अभी उत्पादन भी नहीं हुआ है। उसका उत्पादन होने के बाद और उसकी खुले बाजार में बिक्री किये जाने के बाद इस बात पर विचार किया जायेगा। किन्तु उत्पादकों के प्रतिनिधियों से मुझे पता चला है कि उन्हें न्यूनतम निर्धारित मूल्य से भी अधिक मिल रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश में कहीं पर भी गन्ना 2.75 रुपये की दर से नहीं बेचा जा रहा है। कृषक इसे अधिक ऊँचे दामों पर दे रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में और भी ज्यादा दाम दिये जा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में प्रतियोगिता इतनी तीव्र है कि.....

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने मूल्य निश्चित किया है? वे 2.75 रुपये पर नहीं खरीद रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : कहीं पर यह 4 रुपये हैं, कहीं 4.50 रुपये और कई जगहों पर 5 रुपये भी है। कई स्थानों पर शुरू में उन्होंने 3.50 रुपये से शुरू किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मूल्य क्यों नहीं बढ़ाते ?

श्री जगजीवन राम : इस योजना के अधीन कृषकों को लाभ हो रहा है और खुले बाजार में चीनी के आने से क्या प्रभाव होगा, इसका उसी समय पता चलेगा तब चीनी खुले बाजार में मिलने लगेगी। यह योजना लगभग चार दिन पहले ही, 23 तारीख को शुरू हुई है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Hon. Minster is aware that even when there was complete control over sugar, the people in the rural areas were facing great difficulty in getting the sugar and whether it is also a fact that in the event of partial control or partial decontrol, the controlled sugar will be distributed only in cities and the people in rural areas will be left to the mercy of the profiteers and if so, whether Government have any policy of making sugar available in the rural areas at the controlled price? Is there any such scheme under the consideration of the Chief Ministers or the Government of India ?

Shri Jagjiwan Ram : As I said, the sugar is allotted by the Central Government to the State Government. We do not specify that the sugar is to be distriuted only in the cities and not in the rural areas and it is also not correct to say that all the State Governments supply sugar only in the cities and not in the villages. Many State Governments have introduced a system of distributing the Sugar in the rural areas also. But this arrangement will have to be left to the State Governments. From here, we cannot control the distribution of the sugar by the State Governments. But it is right that the sugar should also be made available in the rural areas.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : चीनी उद्योग को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि दोनों मंत्रियों ने बताया है, उसे ध्यान में रखते हुये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि गन्ना बहुत ऊँची दरों पर बेचा जा रहा है, क्या सरकार के लिये गन्ने के मूल्य में संशोधन करना सम्भव नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : नहीं, इस समय मैं पूर्ण विनियंत्रण को वांछनीय नहीं समझता।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : जब कभी भी नियंत्रण का प्रश्न उठाया जाता है तभी सप्लाई की कमी की बात कही जाती है। आजकल आंशिक विनियंत्रण है। क्या मंत्री महोदय को विश्वास है कि यह आंशिक विनियंत्रण किसी भी तरह से सफल हो जायेगा ? आंशिक विनियंत्रण तो आंशिक पवित्रता जैसा ही है।

श्री जगजीवन राम : मेरे पुराने मित्र अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने कहा है 60 प्रतिशत चीनी नियंत्रित होगी और 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेची जायेगी ! वास्तव में, चीनी कारखानों को गन्ना खुले बाजार से खरीदना पड़ता है, और खुले बाजार में गन्ने का मूल्य 2.75 रुपये से भी बहुत अधिक है। क्या यह सच है कि जिस 60 प्रतिशत चीनी का मूल्य नियंत्रित है उसमें चीनी मिल उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है और अपने उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेचकर भी उद्योग के लिये यह नुकसान पूरा करना बड़ा कठिन होगा ? दूसरे, जिन चीनी कारखानों पर सरकार का नियंत्रण है उन्होंने काम करना शुरू क्यों नहीं किया है ?

श्री जगजीवन राम: यह सारी योजना इसलिये बनाई गई थी ताकि कारखाने गुड़ उद्योग की प्रतियोगिता में और अधिक मूल्य दे सकें। उद्योग उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेच सकेगा। इस प्रकार वह उस नुकसान को पूरा कर लेगा जो उसे गन्ने का अधिक मूल्य देने के कारण बाकी 60 प्रतिशत पर उठाना पड़ता है। जहाँ तक सरकार द्वारा नियंत्रित कारखानों का सम्बन्ध है, उनमें काम शुरू होने वाला है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राशन सम्बन्धी नीति

308. **श्री दो० चं० शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी फसल को देखते हुए राशन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख) नई दिल्ली में 26 और 27 सितम्बर, 1967 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 1967-68 में अपनाई जाने वाली खाद्य नीति पर सामान्यतः विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में इस बात पर मतैक्य था कि खाद्यान्नों की वर्तमान वितरण तथा राशनिंग जारी रहनी चाहिये।

सहकारी आन्दोलन

*309. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आन्दोलन देश में अधिक सफल नहीं हो सका है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास तथा उसे व्यवस्थित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी० 1760/67)

तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

*310. **श्री उमानाथ:** **श्री ज्योतिर्मय बसु:**
श्री प० गोपालन : **श्री अब्राहम:**
श्री गणेश घोष: **श्री रमानी:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उद्योग सम्बन्धी जाँच आयोग को तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के बारे में कितनी सफलता मिली है;

(ख) आयोग द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) जब तक आयोग का काम चल रहा है तबतक तथाकथित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) आयोग ने संतोषजनक प्रगति की है।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार 29 फरवरी, 1968 तक।

(ग) 28 अप्रैल, 1967 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में तैल कम्पनियों से जाँच आयोग की कार्यवाही-चलने के दौरान यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की प्रार्थना की गई।

इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

*311. **श्री भगवान दास:** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री विश्वनाथ मेनन: **श्री एसथोस :**
श्री रामऔतार शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपने काम में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) सरकार के पास उसका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है; और

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जनता की सुनवाई पूरी हो गई है और बोर्ड ने अपनी अन्तिम सिफारिशों के बारे में निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

(ख) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि बोर्ड अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर सकेगा।

(ग) बोर्ड का गठन दिसम्बर, 1964 में किया गया था और उसने अंतरिम सहायता की सिफारिश की है। इंजीनियरी उद्योग के आकार और विषमांग स्वभाव तथा निपटाए जाने वाले मामलों की पेचीदगी पर विचार करते हुए यह महसूस किया जाता है कि इस मामले में कोई परिहार्य देरी नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

*312. **श्री मरण्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुड़ के दाम तेज होने तथा नयी फसल की उपज के आधार पर चीनी के 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर नियंत्रण जारी रखने के सरकारी निर्णय के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी की 13 मिलें बन्द होने वाली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) यह सच है कि गुड़ के दाम तेज होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ डिवीज़न के चीनी कारखाने 15 रुपये प्रति क्विंटल से कम दामों पर गन्ने की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में गुड़ के दाम गिरने से स्थिति में सुधार होना चाहिये।

उर्वरकों के मूल्य

*313. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान, जापान, अमरीका तथा इंगलैंड की तुलना में भारत में उर्वरकों के विद्यमान मूल्य कितने कम अथवा अधिक हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त देशों की अपेक्षा भारत में ये मूल्य काफी अधिक हैं और यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये संख्या एल०टी० 1761/67)**

लौह अयस्क खनन उद्योग के लिए मंजूरी बोर्ड

*314. **श्री रमानी:** **श्री अ० क० गोपालन:**
श्रीमती सुशीला गोपालन: **श्री प० गोपालन:**
श्री सेकवोरा: **श्री कामेश्वर सिंह:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क खनन उद्योग से संबंधित मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित न की जाने के विरोध में गोआ खनन श्रमिक कल्याण संघ ने 3 नवम्बर, 1967 को एक दिन की हड़ताल करने का नोटिस दे दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूचित की गई कठिनाई मुख्यतः वैयक्तिक इकाइयों की मजूरी वृद्धि के बोझ को वहन करने की क्षमता के बारे में है।

(ग) 3 नवम्बर, 1967 को एक सांकेतिक हड़ताल की गई। यह जाँच की जा रही है आया कि इस सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त हुआ था।

(घ) मजूरी बार्ड की सिफारिशें संविधिक नहीं है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारी सलाह और अनुनय द्वारा इनकी क्रियान्वित कराने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। गोआ में, इस सम्बन्ध में एक विवाद समझौते के लिए भेज दिया गया है।

किसानों के लिए प्रोत्साहन

*315. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के वर्ष 1967 के वार्षिक प्रतिवेदन में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आर्थिक प्रोत्साहनों के अभाव के बारे में कड़ी आलोचना की गई है;

(ख) क्या उस प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि भारत में तथाकथित 'राज सहायता-प्राप्त' मूल्यों से गाँवों में वास्तविक किसानों को लाभ नहीं होता, बल्कि ये मूल्य केवल माध्यमिक बाजारों के लिए हैं; और

(ग) यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा की गई कटु आलोचना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कृषि जिन्स मूल्यों सम्बन्धी नीति में संशोधन करने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन में ही यह स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन के रूप में लाभप्रद मूल्य देने के लिये हाल ही में कुछ प्रयास किए हैं।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया गया है कि छोटे किसानों को कम से कम समर्थन मूल्यों से कोई लाभ न होगा। भारत सरकार प्रत्येक फसल के लिए राज्य सरकारों की सलाह से वसूली मूल्य स्थिर करती है जो समर्थन मूल्यों से अनिवार्य रूप से अधिक होता है। सम्पूर्ण खरीदारी वसूली मूल्यों के आधार पर की जाती है। भारत सरकार भारत के खाद्य निगम के माध्यम से तथा राज्य सरकारें यह प्रयास कर रही हैं कि देश में ऐसे विक्रय स्थान पर्याप्त संख्या में खोले जायें जहाँ प्रत्येक किसान, जो अपनी उपज को घोषित वसूली मूल्यों पर बेचना चाहता है, अपनी उपज बेच सके। चूंकि सरकार किसानों को लाभप्रद तथा उत्साहवर्द्धक मूल्य देने की नीति का अनुसरण कर रही है, इसलिये उक्त प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के आधार पर नीति में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

316. **श्री राममूर्तिः** **श्री प० गोपालनः**

श्री एस्थोसः **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने कितनी प्रगति की है;

(ख) इस बोर्ड का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या नियोजकों ने अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु नियोजकों को सहमत करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) बोर्ड ने मजूरी में अंतरिम वृद्धि की सिफारिश की है। इसने संबंधित पक्षों की सुनवाई के लिए बम्बई, बंगलौर और दिल्ली में सार्वजनिक बैठकें भी की हैं।

(ख) सार्वजनिक सुनाई अगले मास पूरी होने की आशा है और तब बोर्ड अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें बुलायेगा। निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि यह रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की जायगी।

(ग) सूचना मिली है कि ये सिफारिशें केरल, आंध्र प्रदेश और मद्रास में आंशिक रूप से लागू हो गई हैं। अन्य राज्य सरकारों से प्रगति रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) इन सिफारिशों में कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इनकी क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से अनुनय और सलाह तथा श्रमिकों की सौदा-शक्ति द्वारा कराई जा रही है।

दिल्ली में दूध की कमी

*317. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध की बार-बार होने वाली कमी और उसके परिणामस्वरूप दिल्ली के नागरिकों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूध की सप्लाई को निश्चित और स्थायी आधार पर बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी कुरियन समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के अनुसार परम्परागत दूध विक्रेताओं के आधिपत्य को उन स्थानों में समाप्त कर सके हैं जो उनके गढ़ थे;

(ग) सहकारी समितियों के जरिये दूध प्राप्त करने के बारे में दिल्ली दुग्ध योजना का क्या अनुभव है तथा दूध ठंडा करने के कौन-कौन से तथा कितने केन्द्र सहकारी समितियों को सौंपे गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने बीकानेर के गाय के दूध वाले क्षेत्रों का पूरी तरह पता लगाया है तथा बीकानेर से यदि दूध लिया जा रहा है, तो कितना; और

(ङ) क्या दिल्ली के चारों ओर से दूध इकट्ठा किए जाने वाले क्षेत्र की परिधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि कुरियन समिति ने संकेत दिया था?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली दुग्धयोजना सहकारी समितियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध करने में सफल नहीं हो सकी है। किथोर दूध एकत्रण तथा ठण्डा करने वाला केन्द्र यू० पी० प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन को सितम्बर, 1964 में सौंप दिया गया था। फैडरेशन ने इस केन्द्र को चलाना लाभदायक नहीं पाया और उसने दिल्ली दुग्धयोजना को यह केन्द्र इस वर्ष अप्रैल में वापिस कर दिया।

(घ) बीकानेर में वर्तमान दूध सम्भालने की क्षमता केवल दूध की उस मात्रा तक ही सीमित है जो कि उस बर्फखाने में जमायी जा सकती है, जहाँ पर दूध को दिल्ली भेजने से पहले जमाया जाता है। अधिक दूध होने के समय (flush season) 16,000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन उपलब्ध किया गया।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध एकत्र करने के क्षेत्र के समीप वाले जिलों में अनेक दुग्ध पदार्थ कारखाने स्थापित होने के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना का यू० पी० में दूध एकत्र करने का क्षेत्र सीमित है। हरियाणा तथा राजस्थान में दूध इकट्ठा किए जाने वाले क्षेत्रों की परिधि को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चावल मिलों का सरकार के अधिकार में आना

*318. **श्री हर दयाल देवगुण:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चावल मिलों को अपने अधिकार में लेने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सब चावल मिलों को अपने अधिकार में लेने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सब चावल मिलों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह होगा

कि उन सबको मुआवजा दिया जाये और इसके लिये एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त बिना पूर्व योजना के मिलों को सरकार के नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया से पूर्ति की व्यवस्था बिगड़ जायेगी। इन सभी कारणों के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि धान कूटने वाले उद्योग के आधुनिकीकरण और सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र में अधिक चावल मिल खोलने के कार्य को पहले लिया जाये तथा इसके बाद चावल मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचा जाये।

भूमि राजस्व

*319. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा भूमि राजस्व पर रियायतें देने के कारण उन राज्यों के विकास की गति धीमी हो गई है;

(ख) क्या जिन राज्यों ने भूमि राजस्व में कमी की है उन्हें यह घाटा अन्य करों द्वारा पूरा करने का निर्देश दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्ना साहिब शिन्दे): (क) इस सीमा तक कि भूमि राजस्व में रियायतें देने से राज्य के संसाधनों में कमी होती है, समस्त उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं और राज्यों के विकास को धक्का लगता है।

(ख) और (ग) भू-राजस्व राज्य सरकारों का विषय है; अतः इस बारे में केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में दाल की कमी

*320. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल के दाल व्यापारियों द्वारा रेलवे वैगन और शेडों से दालों को न छुड़ाने के परिणामस्वरूप राज्य में दाल की कृत्रिम कमी हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत राज्य को विशेष अधिकार देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि कलकत्ता में रेल से प्राप्त दालों के प्रेषण को व्यापारी नहीं छुड़ा रहें हैं जिससे बाजार में दालों की कृत्रिम कमी हो गई है।

(ख) राज्य सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में एक संशोधन करने तथा भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन नियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया है।

(ग) इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज

321. **श्री दामानी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि में जमा राशि को कुछ अन्य प्रकार की प्रत्याभूति पत्रों में विनियोजित करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ताकि भविष्य निधि से अधिक आय हो सके जिससे कि जमा कर्ताओं को अधिक दर पर ब्याज दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख): वर्तमान वित्तीय वर्षा के दौरान सरकार ने श्रमिक भविष्य निधि में जमा धनराशि के 20 प्रतिशत तक धन को किन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करने की अनुमति दी है चाहे ये प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय या किसी रज्य सरकार द्वारा बनाई और जारी की गई हों। बकाया रकम को विशिष्ट केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित करना पड़ता है। अगले वर्ष स्थिति पर फिर विचार किया जायगा।

चुनाव अर्जियां

*322. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक, जम्मू-काश्मीर में निर्वाचन-अधिकरणों में कितनी निर्वाचन अर्जियाँ लम्बित थीं तथा कितनी निर्वाचन अर्जियाँ निपटाई जा चुकी थीं;

(ख) विनिश्चित न किए गए मालों की संख्या कितनी है और अब तक उनके न निपटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों में निपटाने में कितना समय लगेगा?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) और (ख) जम्मू-काश्मीर विधान सभा की बाबत फाइल की गई 57 निर्वाचन अर्जियाँ निर्वाचन अधिकरणों को निर्देशित की गई थीं।

इनमें से केवल एक अर्जी निर्वाचन अधिकरण, श्रीनगर द्वारा निपटाई गई।

दूसरी अर्जी व्यतिक्रम के कारण, निर्वाचन अधिकरण, पुंच्छ द्वारा खारिज कर दी गई, किन्तु उस अर्जी के प्रत्यावर्तन के लिए एक आवेदन फाइल किया गया।

12 सितम्बर, 1967 को जम्मू-काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1967 के प्रवृत्त होने पर सभी 56 अर्जियाँ जम्मू-काश्मीर उच्च-न्यायालय को अन्तरित हो गईं। उच्च न्यायालय द्वारा इनमें से किसी अर्जी के निपटाए जाने के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) चूंकि ये अर्जियाँ उच्च न्यायालय के पास हैं, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि उनको निपटाने में कितना समय लगेगा।

Super Bazars

*323. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Super Bazars opened at various places are running at a loss ;

(b) whether it is also a fact that Super Bazars have not only failed to check the rising prices but certain commodities are being sold there at higher prices than the market prices ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps taken by Government to make commodities available at fair prices and to reduce the administrative expenditure of the Super Bazars ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) No Sir. Out of 48 Super Bazars opened so far, only 15 were reported to be in loss.

(b) The Super Bazars are generally aiming at an active price policy i.e. selling slightly below the market prices.

(c) The question does not arise.

(d) Negotiations have been finalised with leading manufacturers of a number of essential consumer articles with a view to ensuring their supply to consumer cooperatives at a rate admissible at the first point of distribution. To reduce the administrative expenditure of Super Bazars, steps are being taken to evolve rational staffing pattern and formulate suitable norms of administrative expenditure.

गेहूँ और चने के लिए समर्थन मूल्य

*324. **श्री चन्द्र गोयल: श्री प्र० न० सोलंकी**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967–68 की फसल के गेहूँ और चने का, जो कि 1968–69 में बेचे जायेंगे, समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) इस वृद्धि का सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकर मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) गेहूँ के बारे में यह वृद्धि 2.25 रुपए से 2.50 रुपए प्रति क्विंटल तक जबकि चने के सम्बन्ध में 3 रुपए प्रति क्विंटल है।

(ग) अधिप्राप्ति मूल्य तथा बाजार मूल्य न्यूनतम सहाय्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक होने से किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जाती है।

भारत का खाद्य निगम

*326. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय खाद्य निगम के कार्यों का खुले रूप से विरोध कर रही हैं और वे निगम को कार्य नहीं करने दे रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने निगम के कार्यों में कठिनाइयां उपस्थित की हैं; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रत्येक राज्य में भारत के खाद्य निगम के कार्य-व्यापार तथा उसके द्वारा राज्य में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का निश्चय संबंधित राज्य सरकार तथा निगम के बीच विचार-विमर्श के आधार पर किया जाता है।

चावल का आयात

*327. **श्री मधु लिमये**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बम्बई की एक फर्म लुइस ड्रेफस के माध्यम से चावल के आयात का एक सौदा किया गया था जिसके अन्तर्गत 190 डालर प्रति टन की दर से सफेद चावल का, जिसमें 40 प्रतिशत टूटा भी शामिल था, आयात किया गया था जबकि इसी किस्म का चावल, जिसमें 35 प्रतिशत टूटा भी शामिल था, 186 डालर प्रति टन से देने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने चावल का आयात किया गया था;

(ग) क्या इस सौदे के बारे में कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्यानों की वसूली में प्रगति

*328. **श्री वी० चं० शर्मा :** **श्री देवराव पाटिल :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उनके खाद्यान्नों के वसूली आन्दोलन में अब कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र की आशायें किस सीमा तक पूरी हुई हैं, और

(ग) इससे देश की आयातित खाद्यान्नों पर निर्भरता कितनी कम हो जायेगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शन्दे): (क) और (ख) यद्यपि कुछ राज्यों में चालू खरीफ के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है लेकिन बहुत से राज्यों में केवल दिसम्बर के मध्य से शुरू होगी। जिन क्षेत्रों में अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है वहाँ पर प्रगति सन्तोषजनक है। तथापि, अभी यह बताना मुश्किल है कि चालू वर्ष में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में सरकार ने जो पूर्वानुमान लगाया है वह पूरा हो जाएगा अथवा नहीं।

(ग) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति से देश में उपलब्धि नहीं बढ़ती है और इसलिये इससे आयात पर असर नहीं पड़ सकता है। अच्छी पैदावार होने से आयात में केवल कटौती की जा सकती है। अच्छी पैदावार होने की सम्भावना से चालू वर्ष में देश की आयातित खाद्यान्नों पर कम निर्भर रहना सम्भव होना चाहिये।

पाकिस्तान साथ के दूरसंचार की व्यवस्था

*329. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के दोनों भागों के साथ दूरसंचार व्यवस्था अब पुनः चालू हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ। पाकिस्तान के दोनों भागों के साथ दूर संचार सम्बन्ध फिर से चालू हो गए हैं (1-11-67 से)।

(ख) यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से यथोचित काम कर रही है।

जम्मू-काश्मीर में नामनिर्देशन-पत्रों का अस्वीकृत किया जाना

*330. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले साधारण निर्वाचनों के समय जम्मू-कश्मीर में 141 व्यक्तियों के नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकार कर दिए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो ये नामनिर्देशन-पत्र किस आधार पर अस्वीकृत किये गए थे ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जिन अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किए गए थे उनकी संख्या 140 थी न कि 141।

(ख) जिन आधारों पर नाम निर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किए गए थे, वे ये हैं:-

(i) प्राधिकृत आफिसर के समक्ष, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का न लिया जाना और उस पर हस्ताक्षर न किए जाना;

(ii) निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति का या निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की सम्यक् प्रति का रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश न किया जाना ;

(iii) प्रतिभूति-निक्षेप का न किया जाना;

(iv) राज्य सरकार के साथ संविदा का होना;

(v) राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना;

(vi) प्रस्थापक या अभ्यर्थी द्वारा, नामनिर्देशन-पत्र का सम्यक्तः हस्ताक्षरित न होना; और

(vii) अभ्यर्थी की आयु का 25 वर्ष से कम होना।

वनस्पति घी का प्रभाव

2071. **श्री डाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सरकारी प्रयोगशाला इज्जतनगर (बरेली) द्वारा, बनस्पति का चूहों पर प्रभाव तथा इस सम्बन्ध में चूहों पर किये गये प्रयोगों के बारे में अक्टूबर 1965 में तैयार किये गये प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव स्वास्थ्य पर वनस्पति के हानिकारक प्रभाव के बारे में सरकार के पास जो जानकारी है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने अक्टूबर 1965 में चूहों पर बनस्पति के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। हाँ, 1950 में इस संस्थान ने "चूहों, तेलों तथा बनस्पति पर अध्ययन" नामक एक प्रतिवेदन तैयार किया था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में प्रकाशित की गई थी और यह बिकने वाला प्रतिवेदन है। संसदीय पुस्तकालय में भी यह पुस्तक उपलब्ध है :

(क) जो निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में दिये गये हैं, उस सम्बन्ध में प्रयोग 1944–50 के दौरान इज्जतनगर स्थित प्रयोगशाला में किये गये थे। चूंकि ये निष्कर्ष तत्सम्बन्धी विद्यमान जानकारी से विपरीत निकले हैं इसलिये भारत सरकार ने अनेक राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में, जिनमें इज्जतनगर की प्रयोगशाला भी सम्मलित है, इन निष्कर्षों की सत्यता या असत्यता का पता लगाने के लिये सहयोग के आधार व्यवस्थित रूप से अनुसंधान कराने की शुरुआत की है। इन अनुसंधोनों से पता चला है कि अपरिष्कृत या परिष्कृत मूंगफली के तेल की तुलना में 37 डिग्री सेन्टीग्रेड पर पिघलने वाले वनस्पति से कोई हानि नहीं होती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में हैदराबाद स्थित पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला ने बाद में जो अनुसंधान किये हैं उनसे यह पता चला है कि वनस्पति, मक्खन, घी, गोले का तेल आदि अधिकतम चिकनाई वाले पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से सीरम कोलेस्टेराल के स्तर में वृद्धि होती है जिससे चक्रीय (कारोनरी) हृदरोग होने की बहुत अधिक सम्भावना होती है। खूराक के सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण किये गये हैं उनसे मालूम हुआ है कि देश में अधिकांश जनता चिकनाई वाले पदार्थ कम मात्रा में प्रयोग करती है। परिषद के विचार में जो लोग चिकनाई अधिक लेते हैं, उनके लिये उसी अनुपात में तरल तेल लेना भी वांछनीय है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Co-operative Societies of Farmers

2072. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated for advancing long term loans to the cooperative societies of farmers during 1967-68 for agricultural purposes ;

(b) whether the commercial banks are also prepared to advance loans to the farmers during the current financial year and if so, their number ; and

(c) the total amount of loans likely to be advanced by these banks to the farmers?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Government have allocated Rs. 15 crores for assistance to cooperative land mortgage/development banks during the current year for advancing long term loans to farmers. The total loan advances of these banks during the year are expected to be about Rs. 80-85 crores.

(b) and (c) Commercial banks have agreed to subscribe to the debenture issues of cooperative land mortgage/development banks to the extent of about Rs. 17 crores during the year. The number of banks who will actually subscribe can be known only after the end of the year.

गुजरात में नियोजन कार्यालय

2073. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1967 की अन्तिम तारीख को, गुजरात राज्य के कैरा जिले में नियोजन कार्यालयों की सहायता से नियुक्ति अवसर खोजने वाले शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या थी ;

(ख) इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कितने थे ;

(ग) इनमें से अनुसूचित आदिम जाति, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार कितने थे ; और

(घ) शिक्षितों में फैली बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) से (ग) शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक पास और इससे अधिक) से सम्बन्धित नवीनतम आंकड़े नीचे लिखे गए है:—

प्रार्थियों का वर्गीकरण	30 जून 1967 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम		31 दिसम्बर 1966 की नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	
	सभी प्रार्थी	**अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	अनुसूचित आदिम* जाति के उम्मीदवार	
1	2	3	4	
मैट्रिक से कम पढ़े लिखे (जिनमें अनपढ़ भी शामिल हैं)	3,643	493	7	

1	2	3	4
मैट्रिक पास (जिनमें हायर सेकण्डरी और इन्टरमीडिएट पास भी शामिल हैं)	2,740	248	2
ग्रेजुएट	260	11	–
पोस्ट ग्रेजुएट	15	2	—
कुल जोड़	6,658	754	9

*नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वालों की शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित जानकारी प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को इकट्ठी की जाती है।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में जानकारी प्रतिवर्ष दिसम्बर में इकट्ठी की जाती है। आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

(घ) योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, आशा है, बेरोजगार लोगों को, जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल है, बड़ी संख्या में नियोजन अवसर मिलेंगे।

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

2074. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1967–68 के दौरान, रूस से 4,000 और डी-टी-14 वी ट्रैक्टर मंगवाने के लिए आयात लायसेन्स जारी करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

जनवरी, 1967 में, सन् 1967–68 के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2,000 डी–टी 14–बी ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए राज्य व्यापार निगम और रूसी सम्भरण कर्त्ताओं के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। विभिन्न राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए और देशीय संसाधनों से पूरी होने वाली माँग को ध्यान में रखते हुए, सन् 1967-68 के दौरान और अधिक ट्रैक्टरों आयात के करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कड्डालोर में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाएँ

2075. **श्री कृष्णमूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कड्डालोर में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरण दे दिये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) अक्टूबर 1967 में टेलीफोन केन्द्र में 300 लाइनों से बढ़ाकर 500 लाइनें कर दी गई हैं और दिसम्बर 1967 तक वहाँ 100 लाइनें और बढ़ा दी जायेंगी। केबिल तथा अन्य सामान देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में नलकूपों की खुदाई

2076. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राज्य में 1967–68 की अवधि में नलकूपों की खुदाई के लिए ऋण माँगा है;

(ख) यदि हाँ, तो गुजरात सरकार ने किस प्रकार का ऋण माँगा है;और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में गुजरात सरकार द्वारा 1967–68 की अवधि में राज्य में नलकूपों की खुदाई के लिए ऋण की स्वीकृति की कोई प्रार्थना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, मौजूदा वित्तीय वर्ष 1967–68 में, योजना आयोग ने गुजरात की राज्य योजना में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 5.30 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी है।

राज्य सरकारों को 1958–59 से केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की संशोधित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय, सहायता 'कृषि उत्पादन', 'लघु सिंचाई' तथा 'भूमि विकास' आदि विकास शीर्षकों के अन्तर्गत ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है न कि अलग अलग योजनाओं के आधार पर। संशोधित पद्धति के अनुसार, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, जिसमें नलकूप भी शामिल हैं, 1967-68 के अन्तिम समय में गुजरात सरकार को ऋण तथा अनुदान रूप में जो आवश्यक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाएगी, वह राज्य सरकार से प्राप्त हुए व्यय के आकड़ों के आधार पर होगी। इस दौरान, प्लान योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपाय और साधन के रूप में अग्रिम धन स्वीकृत किया जाता है।

आदिम जातीय क्षेत्रों में सहायता कार्य

2077. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति सलाहकार परिषद ने यह आरोप लगाया है कि गुजरात में अभाव वाले आदिम जातीय क्षेत्रों में सहायता कार्य पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने गुजरात सरकार को सहायता कार्यों के लिये कितनी सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार से इस विषय पर जानकारी माँगी गई है, जो प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारत सरकार ने गुजरात सरकार को दुर्भिक्षग्रस्त लोगों को राहत देने के लिये निम्नलिखित सहायता दी है :

1. राज्य सरकार को 1966–67 के दौरान तथा 1967–68 में अब तक राहत कार्यों पर तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुएँ खरीदने के लिये लगभग 290.25 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है;
2. राज्य सरकार को 3500 टन गेहूँ तथा 2000 टन मक्का लोगों को मुफ्त बाँटने के लिये दी गई है।

3. बच्चों तथा जच्चा/तथा जच्चा होने वाली महिलाओं में बाँटने के लिये राज्य को 353 किलोग्राम बिस्कुट इस वर्ष के लिये नियत किये गये हैं।

4. गुजरात सरकार को गत वर्ष राहत कार्यों के लिये 3 गाड़ियाँ उपहारस्वरूप दी गई थीं और इस वर्ष एक ट्रक उसे और दिया जा रहा है।

Co-operative Movement in Madhya Pradesh

2078. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made a provision for giving loan or assistance to Madhya Pradesh Government to strengthen the Co-operative movement in Madhya Pradesh during 1967-68 ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The following allocations of loans and grants have been made :

(Rs. in lakhs)

Scheme	Loan	Grant
1. State Plan Schemes	42.20	48.70
2. Centrally Sponsored Schemes	37.45	9.80
3. Scheme of Agricultural Credit Stabilisation Fund.	—	57.00
4. Purchase of debentures of the Land Mortgage Bank	96.00	—
Total	175.65	115.50

Development of Pisciculture

2079. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount earmarked for the development of pisciculture industry in Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan period ; and

(b) the amount earmarked for Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The total amount earmarked for the development of pisciculture in Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan was Rs. 39.50 lakhs. An additional sum of Rs. 8.63 lakhs was provided under Crash Programme during the Third Plan period.

(b) The amount provisionally earmarked for Pisciculture in Madhya Pradesh during the IV Plan is Rs. 159.69 lakhs.

गुजरात राज्य में बेरोजगारी

2080. **श्री द० रा० परमार:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के नियोजन कार्यालयों में 1966–67 के दौरान और चालू वर्ष में सितम्बर 1967 तक, कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों ने अपने नाम दर्ज करायें और इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार कितने थे,

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति तकनीकी योग्यताएँ रखते थे, और

(ग) नियोजन कार्यालयों की सहायता से नियुक्ति अवसर पानेवाले तकनीकी योग्यता प्राप्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की अलग-अलग संख्या क्या थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक पास और अधिक पढ़े लिखे) से सम्बन्धित नवीनतम आंकड़े *नीचे लिखे गए हैं :—

प्रार्थियों का वर्गीकरण	नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरो में दर्ज नाम		नियुक्ति सहायता पाने वालों की संख्या	
	31 दिसम्बर 66 को	30 जून 67 को	जनवरी-दिसम्बर 66 के बीच	जनवरी-जून 1967 के बीच
1. शिक्षित बेरोजगार (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े लिखे)	33,262	41,944	7,022	2,765
2. अनुसूचित जाति (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े लिखे)	2,627	**	11,493@	666@
3. अनुसूचित आदिमजाति (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े लिखे)	727	**	687@	319@
4. तकनी योग्यता प्राप्त	4,129	5,765	1,051	573

*नियोजन कार्यालयों के नाम दर्ज कराने वालों की शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी जानकारी प्रति वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर 1967 को इकट्ठी की जाती है।

**जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में आंकड़े वर्ष में एक बार, दिसम्बर में, इकट्ठे किए जाते हैं।

@यह जानकारी सभी श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के (अशिक्षि सहित) उम्मीदवारों की है। शिक्षित बेरोजगार लोगों के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Trunk Calls at Gangapur Exchange

2081. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the daily average of incoming and outgoing trunk calls operated by Gangapur Exchange (Rajasthan) ;

(b) the daily average of calls cancelled in Gangapur Exchange due to defect in this line ; and

(c) the average monthly income to Government from Gangapur exchange ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral). (a) Incoming 50 and outgoing 100 calls.

(b) Information is not available. 50 calls are cancelled due to all the causes, such as, PP not available, No reply, Line out of order, etc.

(c) Rs. 7,600/- (approx).

Agra-Hindaun Telephone Lines

2082. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agra-Hindaun Telephone lines connected to Gangapur Exchange (Rajasthan) generally remain out of order ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) There have been frequent interruptions on the Agra Hindaun telephone lines.

(b) The disturbances have been due to the reconstruction work being carried out on the route. This work has now been completed and the performance of the line has improved.

बिहार में कृषि ऋण सहकारी निगम

2083. **श्री भोगेन्द्र झा:** **श्री मयावन:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सरकार तथा बिहार सहकारी संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि ऋण निगम स्थापित करने के बारे में विरोध प्रकट किया है और माँग की है कि सारा ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से सुलभ किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) कुछ समय पूर्व बिहार सहकारी संघ ने बिहार में कृषि ऋण निगम स्थापित न करने का आग्रह किया था। तथापि, बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें सैद्धान्तिक तौर पर प्रस्तावित निगम की स्थापना करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर सरकार का इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने का विचार है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भूमिगत झील

2084. **श्री विभूति मिश्र**: मंत्री क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी भू-गर्भ सर्वेक्षण दल द्वारा गंगा के उत्तरी मैदानों में जल संसाधनों के विषय में किये गये अन्वेषणों के परिणाम उपलब्ध हैं। क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में संसार भर में सबसे बड़ी भूमिगत झील मौजूद है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भूमि की सिंचाई के लिए इस भूमिगत झील के पानी से लाभ उठाने की किसी उपयुक्त योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन योजनाओं का विवरण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) सरकार को उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गंगा के मैदानों में प्रचुर जल संसाधनों की मौजूदगी का पता है।

(ख) और (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भूमि गत जल विकास की योजनाओं को, जिनमें खुदाई के कुओं का निर्माण, बोरिंग करना, कुओं को गहरा करना, कम गहरे तथा गहरे नलकूपों की खुदाई करना, पम्प सेट लगाना आदि कार्य शामिल हैं, बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। इन दोनों राज्यों के जलौढ़ क्षेत्रों में अच्छे भूमिगत जलभृतों से जल के संसाधनों का यथासंभव विकास किया जा रहा है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से प्रदर्शित होता हैं :-

क्रम संख्या	मद	तीसरी योजना के अन्त में मौजूद संख्या	1966-67 में खोदे गए	1967-68 की अवधि में खोदे जाने है
	बिहार :			
1	खुदाई के कुओं का निर्माण	2,13,879	10,263	22,000
2	खुदाई के कुओं का बोरिंग	6,961	3,753	10,000
3	गैर-सरकारी नलकूप	5,269	1,170	6,000
4	राजकीय नलकूप	1,025	52	175
5	पम्प सेट	18,473	21,812	27,000
	उत्तर प्रदेश :			
1	खुदाई के कुओं का निर्माण	10,54,794	84,340	70,000
2	खुदाई के कुओं का बोरिंग	1,06,106	68,469	80,000
3	गैर-सरकारी नलकूप	23,990	24,996	21,000
4	राजकीय नलकूप	7,689	428	443
5	पम्प सेट	34,283	23,180	22,000

गतिमान विकास कार्यक्रमों की सहायता के लिए भूमिगत जल के सर्वेक्षण व अन्वेषण के कार्यों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जलोर, राजस्थान में नलकूप

2086. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जलोर जिला में 200 नलकूपों बनाने के लिए केन्द्र द्वारा एक स्वतन्त्र योजना हाथ में ली गई थी किन्तु उस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं की गई है ; और

(ख) उस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी प्रगति होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) राजस्थान के जलोर जिला में 200 नलकूप बनाने के लिए एक योजना राजस्थान सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी। भूमिगत जल निर्धारण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन के न होने के कारण इस योजना को खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त न हो सका। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ समन्वेशी नलकूप संगठन ने राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के अन्तर्गत ऐसा अध्ययन शुरू किया है। 2-12-1961 को हस्ताक्षारित प्लान आफ आपरेशन में रखी गई परियोजना की अवधि 4 वर्ष है। तब तक कृषि उत्पादन बढ़ाने में इन नलकूपों की उपयोगिता का अध्ययन करने की दृष्टि से और मात्रात्मक सम्भाव्य साधन और जल की किस्म के सम्बन्ध में कुछ अनुमान लेने के विचार से जलोर जिला में पहले ही निर्मित नलकूपों को चलाने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए राजस्थान सरकार को प्रार्थना कर दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

2087. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'पेट्रियाट', दिनांक 27 अगस्त, 1967 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सेमिनार के लिए भारतीय दल के सम्बन्ध में छपे समाचार की और दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि भारत सरकार के मुख्य श्रमायुक्त तथा दो अन्य प्रतिनिधियों ने कोपनहेगन में सेमिनार में भाग लिया;

(ग) उन पर खर्च की गई कुल विदेशी मुद्रा कितनी थी ; और

(घ) उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सेमिनार में भाग लेने से भारत को क्या लाभ हुआ है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा पर कोई खर्च नहीं किया गया।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वेतन और मजूरी के संबंध में सेमिनार की व्यवस्था की थी। भारतीय प्रतिनिधि इस क्षेत्र में अन्य 15 विकासशील देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ अनुभव का आदान-प्रदान कर सके और डेनमार्क सहित जो कि सर्वोत्तम देश था, उन देशों में प्रचलित नीति और रिवाजों को जान सके।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को सुविधायें

2088. **डा० प० मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के कृषकों को सरकार क्या सुविधायें दे रही है जहाँ सूखे की परिस्थितियाँ मौजूद हैं तथा जहाँ अब तक सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं है; तथा

(ख) ऐसी सुविधाओं पर अभी तक मौजूदा वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई और मौजूदा योजना के प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि व्यय की जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों में के लिए जहाँ सिचाई संसाधन मौजूद नहीं हैं या बहुत कम हैं, लघु सिंचाई के कार्यों पर होने वाले व्यय की मात्रा को काफी बढ़ा दिया गया है। पहली योजना की अवधि में कुल 60 करोड़ रुपए व्यय किये गये थे, जबकि इसकी तुलना में दूसरी व तीसरी योजना की अवधि में यह व्यय बढ़कर क्रमश: 140 करोड़ रुपए व 368 करोड़ रुपए हो गया। 1966–67 से 1970–71 की अवधि में 760 करोड़ रुपए (जिसमें सहकारी क्षेत्र के 200 करोड़ रुपए भी शामिल हैं) का व्यय करने का प्रस्ताव है। पहली 3 योजनाओं की अवधि में 187.0 लाख एकड़ नई भूमि के लिए सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था की गई और 1966–67 से 1970–71 की अवधि में 120 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था करने का तदनुरूपी लक्ष्य रखा गया है। गैर सरकारी लघु सिंचाई कार्यों पर अधिकाधिक जोर दिया जाता रहा है और कृषकों को व्यक्तिगत रूप में ऋण व उपदानों के रूप में सहायता दी गई है। भविष्य में गैर सरकारी कार्यों, विशेषकर प्राइवेट नलकूपों को प्रोत्साहित करने और कृषकों को डीजल व बिजली से चलने वाले पम्प सैटों की खरीद में सहायता देने की नीति है। सहकारी ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य कृषि उद्योग निगमें पम्प सैटों के हायर-प्रचेंज कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं।

(ख) मौजूदा वर्ष के वास्तविक व्यय के बारे में वर्ष की समाप्ति पर ही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। फिर भी चालू वर्ष में अधिक खाद्य उत्पादन क्षेत्र में कुल व्यय 102.80 करोड़ रुपए हुआ है और इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र से 65 करोड़ रुपए का कुल व्यय होने की संभावना है।

वनस्पति का उत्पादन

2089. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

श्री नाथूराम अहिरवार : **श्री गं० च० दीक्षित :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के उत्पादन के लिये नये एकक स्थापित करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण, जिसे सरकार ने हाथ में लिया था, इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के, उनके वर्तमान बिनौला निकालने वाले संयंत्र में 7500 टन क्षमता के वनस्पति तेल संयंत्र लगाने सम्बन्धी आवेदन पर कोई निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

केरल में वन संसाधन

2090. **श्री चक्रपाणि :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री अब्राहम : **श्री नायनार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में वन संसाधनों के विकास और उनका उचित उपयोग करने के बारे में विश्व बैंक विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हाँ। दोनों सदस्यों ने, जो खाद्य तथा कृषि संगठन / पुनर्निर्माण विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक मिशन के थे, और जिन्होंने गत वर्ष केरल का दौरा किया था यह सिफारिश की थी कि केरल में शीघ्र पैदा होने वाले पौधे उगाये जा सकते हैं और वे लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चे माल के प्रयोग में लाये जा सकते हैं। मिशन ने अपने प्रतिवेदन में 'आलेव परियोजना' के बारे में कहा है कि 'उसमें इतनी प्रगति हो रही है कि उसकी आगे जाँच की जा सकती है।

(ख) भारत सरकार ने इस बीच मिशन के प्रतिवेदन के इस भाग पर विचार कर लिया है और वह महसूस करती है कि भारतीय विशेषज्ञ दूसरे विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लिये बिना इस परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहियें। इस रिपोर्ट के तैयार होने के पश्चात् इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या विदेशी साधनों से सहायता लेना जरूरी है।

Sale of Transistors in Super Bazar, New Delhi

2091. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there are arrangements in the Super Bazar, New Delhi to sell the small-sized transistor radios ;

(b) if so, the number of such transistors sold there per month and the amount of income accrued as a result thereof ;

(c) whether the battery cells used in such transistors are not available in the Super Bazar; and

(d) if so, whether keepng in view the difficulties experienced by the users, Government have made arrangements for the regular supply of battery cells ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupdaswamy). (a) Yes, Sir.

(b) The average number of transistors sold per month is 4,000 of the value of Rs., 3,40,000.

(c) Battery cells are supplied at the time of sale of transistor. As regards cells for replacement, in recent months the supply has not been adequate to meet the full demand.

(d) Government have negotiated for supply to consumer cooperatives by two of the principal manufacturers-M/s Union Carbide India Ltd. and M/s Esterla Batteries Ltd. The shortage in battery cells in recent months was mainly due to the lock-out in the factory of Union Carbide.

Singareni Coal Mines

2092. **Shri Onkar Singh:** **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Sharda Nand: **Shri A. B. Vajpayee :**
Shri Uma Nath: **Shri K. Ramani :**
Shri E. K. Nayanar: **Shri P. P. Esthose :**
Shri K. M. Abraham: **Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the labourers of the Singareni Coal Mines had resorted to strike recently to press their demands ;

(b) if so, their demands and the number of the labourers who were on strike and how long the strike continued ; and

(c) the steps taken by Government to settle the dispute ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) The unions operating in Singareni Collieries demanded the modification of the recommendation of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry in respect of categorisation and wage structure of workers. 26,343 workers were involved in the strike which lasted from 20.10.67 to 30.10.67.

(c) The dispute was first taken up in conciliation by the Regional Labour Commissioner (C), Hyderabad. On failure of conciliation, the Government referred the dispute to Industrial Tribunal, Hyderabad for adjudication on 30.10.1967. Simultaneously the continuance of the strike was prohibited under section 10(3) of the I.D. Act. The strike was called off on 31.10.1967.

Scheme for Sinking of Wells

2093. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Ministe rof **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the scheme for sinking 50 lakhs of wells in the country under minor irrigation scheme ;

(b) if so, the number of tube-wells, pucca and kuchha wells to be constructed under that scheme, State-wise ; and

(c) the expenditure to be shared by the Centre in respect of each State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Government has not formulated any scheme for sinking of 50 lakhs wells in the country. However, Scheme-wise proposals for implementation under minor irrigation programme are formulated for each State and discussed and finalised on year to year basis with reference to availability of resources.

(b) A statement showing the details of the ground water schemes like dug-wells, boring and deepening of dug-wells, private tubewells, State tubewells and the pumpsets proposed to be implemented during the period 1966-67 to 1970-71 under the various States is laid on the Table of the House [**Placed in library. See No. LT-1762/67**].

(c) A total outlay amounting to Rs. 760 crores, including Rs. 200 crores from the Co-operative Sector, has been proposed for the minor irrigation programme during the period 1966-67 to 1970-71. According to the pattern of Central financial assistance introduced from 1st April, 1967, a grant of 15% and loan of 60% will be provided by the Government of India to the State Governments for all minor irrigation schemes irresective of their nature. Actual Central assistance will be released to the various State Governments on the basis of actual expenditure subject to the ceiling agreed to for each year.

बंगलौर में संसद् का अधिवेशन

2094. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर में लोक सभा का अधवेशन करने में, जैसा कि कुछ लोक सभा सदस्यों ने सुझाव दिया था, लगभग कितना खर्च होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : बंगलौर में लोक सभा का अधिवेशन करने में होने वाले लगभग खर्च की गणना संबंधित अधिकारियों के परामर्श से की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

2095. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के भण्डार से जुलाई से दिसम्बर, 1967 तक की अवधि के लिये कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की माँग की और अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1967 के महीनों में हिमाचल प्रदेश को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिये गये ; और

(ख) नवम्बर और दिसम्बर के महीनों के लिये हिमाचल प्रदेश को आयातित खाद्यान्नों की कितनी मात्रा आवंटित की गई और और अब तक कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) हिमाचल प्रदेश ने जुलाई से दिसम्बर 1967 की अवधि के लिये 93.4 हजार टन खाद्यान्न माँगे थे। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में 26.1 हजार टन खाद्यान्न सप्लाई किये गये।

(ख) हिमाचल प्रदेश का नवम्बर 1967 के लिये 5.6 हजार टन आयातित गेहूँ का कोटा नियत था जब कि उसे 18 नवम्बर, 1967 तक 1.4 हजार टन खाद्यान्न भेजा गया। दिसम्बर 1967 के लिये भी उसे 5.6 हजार टन कोटा नियत रहेगा।

बाढ़ के दौरान बिहार को खाद्य सम्भरण

2096. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री भी घरन :
श्री विश्वम्भरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उस राज्य में हाल की बाढ़ों के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनाज का विशेष कोटा भेजने के लिये प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो बिहार सरकार ने अनाज की कितनी मात्रा के लिये कहा था ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा भेजी गयी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी, हाँ।

(ख) 10,000 टन

(ग) बिहार को निःशुल्क वितरण के लिये 9,547 टन मक्का का उपहार दिया गया था।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार

2097. **श्री नरसिम्हा राव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने भाण्डागार बनाये गए हैं; और

(ख) इन भाण्डागारों में इस समय कितना चावल है और इनसे कितना चावल दूसरे राज्यों को सप्लाई किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने आन्ध्र प्रदेश में अब तक 23 भाण्डागार बनाये हैं तथा एक इमारत को खरीद कर उसे भाण्डागार बनाया है।

(ख) इन 24 भाण्डागारों में 21 अक्तूबर, 1967 को चावल का भण्डार 9,409 टन था।

इन भाण्डागारों से अन्य राज्यों को 1966 में 5,698 टन और 1967 में 31 अक्तूबर, 1967 तक 14,430 टन चावल सप्लाई किया गया था।

एच० एस० एल० विशाखापटम में संयुक्त प्रबन्ध परिषद

2098. **श्री नंबियार :** **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम में कोई प्रबन्ध परिषद नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो से गठित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ।

(ख) अनेक प्रयत्न किए गए, जिनमें मैनेजमेंट और यूनियन के साथ वैयक्तिक विचार-विमर्श करना भी शामिल है, परन्तु इससे लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

बर्मा शैल की दिल्ली शाखा का पुनर्गठन

2099. **श्री नंबियार :** **श्री भगवानदास :**

श्री रमानी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री उमानाथ :**

श्री चक्रपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बर्मा शैल की दिल्ली शाखा द्वारा शुरू की गई पुनर्गठन की एकपक्षीय योजना की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने एकपक्षीय पुनर्गठन योजना के विरुद्ध मैनेजमेंट के साथ मामला उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रम कल्याण सम्बन्धी मालवीय समिति

2100. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित विभिन्न कल्याण योजनाओं के संचालन की जाँच करने और उनमें सुधार सुझाव के लिए नियुक्त की गई श्रम कल्याण सम्बन्धी मालवीय समिति कब स्थापित की गई थी;

(ख) इसका गठन और विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समिति की अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) 5 अगस्त, 1966।

(ख) एक विवरण, जिसमें इसका गठन और विचारार्थ विषय दिए गए हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1763/67]

(ग) जी नहीं।

(घ) सितम्बर, 1968 के अन्त तक।

जूट मिलों का कार्य-संचालन

2101. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या यह जानने के लिए कि क्या वर्तमान मजूरी दरों में संशोधन की आवश्यकता है जूट मिलों के कार्य-संचालन में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

जूट मिलों का वर्तमान मजूरी-विन्यास अगस्त, 1960 में जूट उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट सितम्बर 1963 में प्रस्तुत की गई और सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की घोषणा 27-9-1963 को की गई। तब से केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे कोई जाँच नहीं की गई है।

निर्वाचन अर्जियाँ

2102. **श्री श्रीचंद गोयल :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री शारदा नंद : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री ना० स्वा० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1967 में साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के पश्चात् फाइल की गई निर्वाचन-अर्जियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अब तक राज्यवार कितनी-कितनी निर्वाचन-अर्जियाँ का विनिश्चय किया जा चुका है;

ग) ऊपर भाग (क) में वर्णित निर्वाचन-अर्जियों में से, सभी लंबित अर्जियों के लगभग कितने समय में निपटाये जाने की संभाव्यता है; तथा

(घ) पूर्वोक्त ऐसी निर्वाचन-अर्जियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके विनिश्चयों के आधार पर लोक सभा तथा राज्य विधान-मंडलों के लिए उपनिर्वाचन आवश्यक हो गए हैं।

विधि मंत्री (श्री गोविंद मेनन) :

(क), (ख) और (घ) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1764/67**]

(ग) वर्तमान विधि के अधीन, उच्च न्यायालय निर्वाचन-अर्जियों के विचारण के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि सभी लंबित निर्वाचन-अर्जियों का निपटान लगभग कब हो जाना सम्भाव्य है। इनके अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हर आदेश से अपील उच्चतम न्यायालय में होती है, अतः इस प्रश्न पर कोई निश्चित संकेत देना और भी कठिन है।

Khemkaran Town

2104. **Shri Raghuvir Singh Shastri: Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma : Dr. Surya Prakash Puri ;
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in rehabilitating the Khemkaran town ;

(b) the time by which this town is likely to be fully developed ; and

(c) whether normal business has started in the **Mandis** there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) The schools, dispensaries, Civil and veternary hospital of Khem Karan are functioning properly. Facilities of electricity, transport and railway etc. have been restored.

Reconstruction of 1470 houses have been completed. 179 shops have been reconstructed. One post office has started functioning.

A statement indicating the up-to-date position regarding the rehabilitation assistance given to the residents of Khem Karan town and other measures taken for the rehabilitation of the town is laid on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT-1765/67**].

(b) A scheme has been sanctioned for the construction of a complex of public buildings and a residential colony at Khem Karan which is estimated to cost Rs. 35 lakhs. A major part of the public buildings complex is expected to be completed by the 31st March, 1968 and the rest might take another 3 or 4 months. It is expected that the town will be fully developed within another year.

(c) **Yes, Sir.**

मदुरै में रेलवे डाक सेवा डिवीजन

2105. **श्री नायनार :** **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० गोपालन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे डाक सेवा का एक डिवीजन, जिसका मुख्यालय मदुरै में है, बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक आदेश जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) रेलवे डाक सेवा डिवीजन, जिसका मुख्यालय मदुरै में है, स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु उसे स्थापित करना उचित नहीं समझा गया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भाटनी शुगर मिल

2106. **श्री नायनार :** **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री राममूर्ति : **श्री प० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलुनापत मोतीलाल भाटनी शुगर मिल, भाटनी, उत्तर प्रदेश के प्रबन्धकों ने मिल को बन्द करने का नोटिस दे दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है; और

(ग) यदि नहीं, तो जाँच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस मिल को खुलवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे): (क) मिल के प्रबन्धों ने मिल को बन्द करने का नोटिस 16 मई, 1967 को दिया था। अब उसे वापिस ले लिया गया है।

(ख) से (घ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त की गई जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रश्न पर कि क्या उक्त मिल का प्रबन्ध लेने के लिए सरकार को किसी एक व्यक्ति अथवा बहुत से व्यक्तियों को प्राधिकार देना चाहिये अथवा नहीं, विचार किया जा रहा है।

खाद्य में आत्मनिर्भरता

2107. **श्री य० द० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य में आत्मनिर्भरता सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का इरादा रखती है जो कृषि सम्बन्धी नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा और आगामी वर्षों में आत्मनिर्भर होने के सम्बन्ध में सुझाव देगा; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का क्या ब्यौरा है, और आयोग की स्थापना कब तक की जाएगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय श्रम सम्मेलन

2108. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमानाथ :**

श्री अब्राहम: **श्री पी० राममूर्ति**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1967 के दौरान भारतीय श्रम सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) अभी तक 1967 में भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं हुआ।

(ख) सम्मेलन के जनवरी, 1968 में होने की आशा है। 1967 में स्थायी श्रम समिति के दो अधिवेशन हुए।

Sale of Utensils in Super Bazar, New Delhi

2109. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Super Bazar at New Delhi purchased utensils worth about Rs. 2 lakhs in the beginning and that utensils worth Rs. 30,000/- only have been sold so far ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that certain commodities are being sold at prices higher than the standard prices fixed ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) ;

(a) The total value of purchases of utensils by Super Bazar during 1966-67 has been nearly Rs. 9½ lakhs. Utensils worth about Rs. 9 lakhs were sold during this period.

(b) The question does not arise.

(c) The Super Bazar is not dealing in any consumer goods for which there is any statutory fixed price.

(d) The question does not arise.

Managers in Super Bazars, New Delhi

2110. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of departmental managers in addition to the general manager in the Super Bazars in New Delhi and their monthly salaries ;

(b) whether these aforesaid managers have also been provided with accommodation and Car facilities ; and

(c) the categories in which the remaining employees have been put and their pay scales :

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupdaswamy):

(a) There are 14 departmental managers in addition to the General Manager in the Super Bazars in New Delhi. Their monthly salaries are given in the Statement laid in the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1766/67.]**

(b) No, Sir.

(c) The various categories in which the remaining employees of the Super Bazars have been put and their pay scales is given in the Statement laid on the table of the House. **[Placed in library See No. LT-1766/67]**

कुएं निर्माण का कार्यक्रम

2111. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चतुर्थ योजना में शामिल किए गए कुएं निर्माण के कार्यक्रम को कार्यरूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक केन्द्र ने इसपर क्या खर्च किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख) राज्यों/संघ क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा से आये हुए लोगों को फिर से बसाना

2112. **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों और बर्मा तथा श्रीलंका से प्रत्यावर्तन करने वाले लोगों को मैसूर के रायचूर जिले में बसाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसपर कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान से आने वाले बर्मा या श्रीलंका से प्रत्यावर्तन करने वाले लगभग 1000 परिवारों को रायचूर जिले के सिंधानुर तालुक में लगभग 5020 एकड़ गैर सरकारी भूमि पर बसाने का विचार किया गया है। यह भूमि तुंगभद्र परियोजना की कमांड के अन्तर्गत आती है और जो पानी वहाँ पर उपलब्ध है उससे खरीफ और रबी की फसलों को बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। प्रत्यावर्तन करने वाले लोगों को ग्रुप फार्मों में बसाया जायेगा और प्रत्येक ग्रुप में 20 परिवार होंगे। ग्रुप फार्म योजना के अधीन, सरकार तकनीकी सलाह देने, मार्गदर्शन करने और उपकरणों, बीजों, उर्वरकों, खाद और पशु-पालन के साधनों आदि के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करती है जबकि फसल की खेती की जिम्मेदारी ग्रुप की ही होगी। प्रत्येक परिवार को लगभग 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि देने के अलावा प्रत्येक परिवार को

लगभग एक तिहाई-एकड़ भूमि घर आदि बनाने के लिए भी देने का विचार है। यह योजना मैसूर सरकार की मदद से पूरी की जायेगी। मैसूर सरकार को आवश्यक ऋण तथा अनुदान (78.065 लाख रुपए ऋण के रूप में और 26.365 लाख रुपए अनुदान के रूप में) दे दिए जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत एक परिवार के पुनर्वास में 10,550 रुपए की औसत लागत आने का अनुमान है।

(ग) मोटे तौर पर 104.43 लाख रुपए।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

2113. **श्री गणेश :** **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री पी० राममूर्ति : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसपर क्या निर्णय लिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० लोहिया स्मारक डाक टिकट

2114. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स से भविष्य निधि की बकाया रकम

2115. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लि० से कर्मचारी भविष्य निधि के सम्बन्ध में कितनी धनराशि बाकी है और बकाया राशि किस समयावधि की है;

(ख) उपर्युक्त राशि में से नियोजकों द्वारा श्रमिकों की मजूरी से काटी गई धनराशि कितनी है; और

(ग) कम्पनी से भविष्य निधि की बकाया रकम वसूल करने के लिए क्या दीवानी और फौजदारी कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) सितम्बर, 1966 तक, जब प्रतिष्ठान ने काम करना बन्द कर दिया, 10.71 लाख रुपए।

(ख) लगभग आधा।

(ग) वसूली कार्यवाही शुरू की गई थी, परन्तु अब राज्य सरकार ने मैनेजमेंट को बकाया राशि मासिक किस्तों म अदा करनेकी अनुमति दे दी है और वसूली कार्यवाही बन्द कर दी है।

उत्तर प्रदेश के लिये गेहूँ का कोटा

2116. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 31 अक्तूबर, 1967 को दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिले थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कानपुर में कानूनी राशन की आवश्यकता पूरी करने के लिए गेहूँ का कोटा बढ़ाने की माँग की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को चावल देने का भी वचन दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्यों की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा करने के वास्ते राज्यों का आवंटन केन्द्र द्वारा किया जाता है। अतः कानपुर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूँ का कोई विशेष आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर के श्रमिकों द्वारा भविष्य निधि का भुगतान न करना

2117. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर के विभिन्न नियोजकों से भविष्य निधि के बकाया की कुल राशि वसूल हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं।

(ख) संबंधित नियोजकों द्वारा अदायगी न करना।

(ग) दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन और/या वसूली कार्यवाही द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है और कुछ मामलों में राज्य सरकार ने नियोजकों को बकाया रकम किस्तों में अदा करने की अनुमति दे दी है।

राज्यों में राशन की मात्रा में कटौती

2118. **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा कानूनी तौर पर राशनिंग व्यवस्था करने वाले क्षेत्रों में 1 जून, 1967 के पश्चात् राशन में कटौती करनी पड़ी थी ;

(ख) राशन में राज्यवार राशनिंग व्यवस्था में क्षेत्र-वार कितनी कमी की गई थी ; और

(ग) पूरा राशन कब से मिलने लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) कानूनी तौर पर राशनिंग व्यवस्था करने वाले क्षेत्रों में से, ग्रेटर कलकत्ता शहरों के आसनसोल समूह में और सिलीगुरी में ही 1–6–1967 के बाद राशन की मात्रा में कटौती करनी पड़ी थी। विभिन्न राज्यों में अनौपचारिक रूप से राशनिंग व्यवस्था करने वाले क्षेत्रों में राशन की जितनी मात्रा दी जाती है वह अलग अलग राज्यों में और क्षेत्रों में और अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न है और यह मात्रा राज्य में वितरण के लिये उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा के और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के राज्य सरकार द्वारा निर्धारण पर निर्भर करती है। किसी राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के आन्तरिक वितरण के मामले में केन्द्रीय सरकार सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करती और उन क्षेत्रों में जहाँ कानूनी तौर पर राशनिंग व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर राशन की कितनी मात्रा दी जाती है इसके बारे में ताजा जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास नहीं होती।

(ख) ग्रेटर कलकत्ता शहरों के आसनसोल समूह और सिलीगुरी में 100 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह।

(ग) स्टाक स्थिति में सुधार होते ही।

खाद्यान्न का आयात

2119. **श्री मधु लिमये:** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष में खाद्यान्नों के आयात के लिए अपना कार्यक्रम बना लिया है;

(ख) क्या इन आयातों के सम्बन्ध में सरकार ने अमरीका तथा अन्य देशों से बातचीत आरम्भ कर दी है;

(ग) विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के क्या-क्या मूल्य बताये गए हैं;

(घ) अमरीकी जहाजों से खाद्यान्नों में ढुलाई तथा भाड़ा आदि के अन्य भुगतान की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) अगले वर्ष इन आयातों के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा तथा अन्य राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमन्।

(ग) और (घ) इन ब्यौरों का पता लगाने का समय अभी नहीं आया है।

(ङ) अन्तिम प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

चने का उत्पादन

2120. **श्री मधु लिमये :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : **श्री शारदानन्द :**

श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1966–67 में चने का कितना उत्पादन हुआ और 1967–68 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) किन-किन राज्यों में चने का उत्पादन आवश्यकता से कम होने की संभावना है:

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) क्या चने को लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1966–67 के दौरान चने का राज्य वार उत्पादन दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1767/67] 1967–68 के लिए चने की निजाई हो रही हैं और इस समय उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़ कर कोई अन्य राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चना पैदा नहीं करता।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित पाँच राज्यों द्वारा दिये गये अधिशेष से कमी वाले राज्यों की आवश्यकताएँ यथासम्भव पूरी की जायेंगी।

(घ) जी, नहीं, इस समय नहीं।

खाल उतारने की योजना

2121. **श्री राम चरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली तीन योजनावधियों में खाल उतारने की योजनाओं पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिकता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत सरकार द्वारा खाल उतारने की योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्वीकृत की गई। इन योजनाओं पर किया गया खर्च निम्नलिखित है:—

दूसरी योजना	4,25,000 रुपये
तीसरी योजना	17,97,000 रुपये

विधि मंत्रालय में वर्ग I और II के पदों का भरा जाना

2122. **श्री रामचरण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गत पाँच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत, विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए वर्ग I और II के पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों में से भरे गए वर्ग I और वर्ग II के पदों की संख्या कितनी है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री यूनुस सलीम):

(क) वर्ग I 23 वर्ग II 12

(ख) वर्ग 1 कोई नहीं वर्ग II 1

अधिकारियों को प्रशिक्षण

2123. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली 3 योजनाओं की अवधि में खाद्य और कृषि संगठन कोलम्बो प्लान यू० एस० ऐड० आदि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्तर्गत विभागों के कई सौ अधिकारियों को (जिनमें केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं) प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में कितने अधिकारी प्रशिक्षित किए गए; और

(ग) उनके प्रशिक्षण आदि पर कितने रुपए का व्यय सरकार ने तथा कितने रुपए का अन्य विभिन्न निकायों ने वहन किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) पिछली 3 योजनाओं के दौरान विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत जितने अधिकारियो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनके बारे में जानकारी निम्न प्रकार है:—

सहायता निकाय	कुल संख्या
एफ० ए० ओ०	272
यू० एस० ऐड	1,155
कोलम्बो प्लान	527
कुल :	1,954

(ग) विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च सम्बन्धित बिदेशी सहायता निकायों द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार/राज्य सरकारों के देयता स्थानीय खर्च तक सीमित हैं, जिसमें वेतन, आन्तरिक यात्रा तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। इन मदों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना कठिन है। सरकार के पास विदेशी निकायों द्वारा किए जाने वाले व्यय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारत में कनाडा का दल

2124 **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि, खाद्य उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में कनाडा की सहायता की सम्भाव्यता की खोज के लिए अक्तूबर 1967 में कृषि विशेषज्ञों का कैनेडियन दल भारत में आया था ?

(ख) क्या उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; तथा

(ग) क्या वे अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) टास्क फोर्स पर राष्ट्रीय सहायता कार्यालय, कनाडा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बाबू बरही और लडानिया के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन

2125. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले में बाबू बरही और लडानिया नेपाल सीमा पर हैं और उनके बीच में कमला न होने के कारण जिले के अन्य भागों के साथ एकमात्र पुल के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सम्पर्क नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दो स्थानों के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) लडानिया भारत-नेपाल सीमा पर है और बाबू बरही भारतीय राज्य क्षेत्र में 10–12 मील पर है और लडानिया से बाबू बरही का सम्पर्क एकमात्र पुल द्वारा है।

(ख) से (घ) एक विशेष मामले के तौर पर (सीमा पर होने के कारण) लडानिया में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। लगभग 3 महीनों में इस काम के पूरा हो जाने की आशा है। बाबू बरही में एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की जाँच की गई थी और क्योंकि इससे विभाग को हानि होती थी, इसलिए 10 वर्ष के लिए 1,860 रुपये प्रतिवर्ष की गारन्टी की शर्तें रखी गई थीं। इच्छुक दल ने शर्तें स्वीकार नहीं की हैं और इस योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

Production of Sugarcane and Sugar

2126. **Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8271 on the 8th August, 1967 and state :

(a) the reasons for Bihar being the only State in the country where the production of sugarcane and the area under cultivation instead of increasing have decreased by the end of

the Third Plan period (1965-66) as compared to the end of Second Plan period. (1960-61); and

(b) the steps being taken to check this trend ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Sugarcane is grown mostly under rainfed conditions in Bihar. The severe drought in 1965-66 was responsible, in the main, for decrease in the area and consequently production.

(b) To check the downward trend in the area and production of sugarcane in Bihar, the following steps have been taken :—

1. The State Government has been advised to give more emphasis to the improvements of irrigation facilities in the sugarcane-growing areas.
2. The existing intensive development programmes in the State have been revitalised.
3. The intensive cultivation of sugarcane is being extended to more factory areas.
4. Special allotment of fertilisers is being made to the State for sugarcane.
5. The price of sugarcane has been raised.

बिहार में नये डाक व तार घर

2127. **श्री शिव चन्द्र झा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नये स्थान में एक नया डाकघर, एक नया तारघर और एक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिये कौन-सी विशिष्ट बातें होना आवश्यक हैं;

(ख) जनवरी, 1967 से अब तक बिहार में कितने नये डाकघर खोले गये हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) एक नये उप-डाकघर के पोस्टमास्टर का प्रारम्भिक वेतन तथा भत्ते क्या हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) से (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1768/67]

मजूरी बोर्डों की सिफारिशें

2128. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है; और

(ख) इन उद्योगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)

(क) कुछ प्रतिष्ठानों ने अक्रियान्विति की जो शिकायतें की हैं वे अधिकांशत: निम्नलिखित मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के बारे में हैं:—

(1) कच्चा लोहा, चूना और डोलोमाईट खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड (अंतरिम सहायता तथा अंतिम सिफारिशें)।

(2) इंजीनियरी उद्योग (अंतरिम सहायता) ।

(ख) इन सिफारिशों में कोई कानूनी शक्ति नहीं है। परन्तु इस समय इनकी क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा अनुनय और सलाह तथा श्रमिकों की सौदा-शक्ति द्वारा कराई जा रही है।

खेतिहर मजदूर

2129. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहार मजदूरों के लिए कोई राष्ट्रीय मजूरी नीति है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 कृषि के रोजगार पर लागू होता है। खेतिहर मजदूरों संबंधी अखिल भारतीय गोष्ठी जो अगस्त, 1965 में हुई थी, ने यह सिफारिश की कि कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए किसी भी हालत में मजूरी 1 रुपया प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिए। आगे उसने यह सुझाव दिया कि उचित सरकारें भी तुरन्त समितियाँ नियुक्त करें और न्यूनतम मजूरी कितनी और होनी चाहिए इस बात का निर्णय करने के लिए वे सब पहलुओं पर विचार करें। राज्य सरकारों से इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए प्रार्थना की गई है।

किसानों के लिये केयर सहायता

2130. **वासुदेव नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर ने केरल तथा राजस्थान म 2000 एकड़ के फार्मों को उपकरण जुटाने तथा विकसित करने में अपनी सहायता पेश की है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रमण्डलीय देशों को प्रेस केबल की दरों में वृद्धि

2131. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों को प्रेस समुद्री-तार (केबल) भेजने की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके कारण क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) भारत में, राष्ट्रमडलीय देशों को "साधारण" प्रेस तार भेजने की, आकलन दर को 1 सितम्बर, 1967 से 8 पैसे प्रतिशब्द से बढ़ा कर 25 पैसे प्रतिशब्द कर दिया गया है।

(ख) 8 पैसे प्रति शब्द की पुरानी दर, सेवा की लागत से बहुत ही कम और घाटे वाली थी। राष्ट्रमण्डल से बाहर के देशों के लिये भारत से भेजे जाने वाले प्रेस तारों पर लागू होने वाली दर इससे बहुत अधिक थी और राष्ट्रमण्डलीय प्रेस तार-परियात के लिये नीची दर कायम रखने में कोई तर्कसंगति नहीं थी।

सामुदायिक विकास आन्दोलन

2132. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास विभाग का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में विलय होने के उपरान्त सामुदायिक विकास आन्दोलन द्वारा की गई प्रगति का कोई अनुमान लगाया गया हैं;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या सम्भावनाएँ हैं;

(ग) जिन राज्यों ने इस कार्यक्रम में संशोधन का सुझाव दिया है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) राज्यों द्वारा सुझाये गये अथवा स्वयं मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री० एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जनवरी, 1966 में दो मंत्रालययों के विलय के बाद सामुदायिक विकास खण्डों मे कार्य में आवश्यक सुधारों के लिए और खण्ड कार्यक्रमों का विकास की गति और चालू योजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने के लिए उपायों की रूपरेखा तैयार की गई थी। इन्हें अक्तूबर, 1966 में हुए राज्य विकास कमिश्नरों और राज्यों के सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में विचार के लिए रखा गया। आगामी कार्रवाई को अन्तिम रूप देते के प्रश्न को, जैसा कि राज्यों के सामुदायिक विकास पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी, नवम्बर .1966 में राज्य मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया। इसे पुनः अप्रैल, 1967 मे आम चुनावों के बाद उठाया गया। इस मामले में एक राष्ट्रीय मतैक्य पर पहुचने के लिए राज्य मुख्य मंत्रियों और सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रियों का एक सम्मेलन 29 दिसम्बर, 1967 को बुलाने का प्रस्ताव है। इसलिए प्रस्तावित सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन की क्रियान्विति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय 260 करोड़ रुपए दिखाया गया है। कार्यक्रम के उपागम और उद्देश्यों का जैसी कि 1966 में हुए सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई, उल्लेख योजना दस्तावेज में भी किया गया है।

(ग) और (घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आवश्यक रूपभेदों पर 1966 में आयोजित सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन द्वारा विचार किया गया था। राज्य सराकारों के साथ आगे विचार-विमर्श करके इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इनके अलावा, किसी राज्य ने कार्यक्रम में रूपभेद करने के लिए कोई विशेष सुझाव नहीं दिया है और न ही केन्द्र द्वारा किसी का प्रस्ताव है।

बम्बई टेलीफोन कार्यालय भवन

2133. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री चक्रपाणि: **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन कार्यालय के भवन पर किराये के रूप में बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1966-67 में प्रतिमास कितनी राशि किराया के रूप में दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि भवन के मालिकों को काफी बड़ी धनराशि (ब्याजमुक्त) पेशगी दी गई है ;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ङ०) मालिक को ब्याजमुक्त बड़ी धनराशि किन बातों को ध्यान में रख कर दी गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख) 1966-67 के दौरान कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यालय गोदाम आदि के किराये के रूप में 92,534/- रुपये की धनराशि प्रति मास दी गई।

(ग) और (घ) 4, 93,685 रुपये की धनराशि चार इमारतों के लिए ब्याज रहित निक्षेप के रूप में अदा की गई है।

(ङ) मालिकों ने पेशगी के बिना ज्यादा ऊँचा किराया माँगा और पेशगी सहित कम रिकाया माँगा और दूसरी बात विभाग को वित्तीय दृष्टि से लाभदायक लगी।

बम्बई टेलीफोन व्यवस्था के लिए बहुमंजली इमारत

2134. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** **विश्वनाथ मेनन :**
श्री चक्रपाणि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई टेलीफोन व्यवस्था के लिए एक बहुमंजली इमारत बनाने के लिए कैडेल रोड, बम्बई में एक प्लॉट लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि इस इमारत का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ०) सरकार का निर्माण कार्य कब से आरम्भ करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) हाँ, जी ।

(ख) नवम्बर, 1962 में।

(ग) और (घ) इस प्लाट में ट्रंक केन्द्र, स्वचालित केन्द्र, डाकघर, विभागीय तारघर और निवासीय एककों जैसे कई महत्वपूर्ण एककों को जगह दी जानी है ? नवीनतम किस्म के 'क्रासबार' उपकरण की आवश्यकताओं से मेल बिठाने के लिए आवास की योजना बदली जानी है।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित संशोधित अधिकारों से मेल बिठाने के लिए आवासीय एककों की योजनाओं में भी हेरफेर किया जाना है।

(ङ) पहले प्रक्रम का निर्माण-कार्य 1969-70 में आरम्भ होने की संभावना है।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

2135. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने हाल ही में आलुओं के रोगों का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना; और

(ग) इस सम्बन्ध में वास्तव में किस प्रकार का अनुसंधान हो रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे :

(क) जी हाँ।

(ख) स्वीकृत अनुदान की राशि 6,39,320 रुपए हैं।

(ग) एक वितरण सभा पटल पर रक्खा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1769/67]

हरियाणा में समन्वेषी नलकूप

2136. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में हरियाणा में समन्वेषी नलकूप खोदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) **और** (ख) केन्द्रीय कृषि विभाग के अधीन समन्वेषी नलकूप संगठन सम्भवतः चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में गुड़गाँव जिले में और अंशत हरियाणा के हिसार तथा रोहतक जिलों में भू-जल की खोज सम्बन्धी कार्यों को शुरू कर सके। हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उपरोक्त जिलों में स्थानों का निरीक्षण करने के लिए स्थान चुनाव समिति में एक अधिकारी नियुक्त करे।

जम्मू और काश्मीर को अनाज की सप्लाई

2137. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 से लेकर अक्टूबर 1967 तक की अवधि के दौरान जम्मू और काश्मीर को कितना अनाज सप्लाई किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 5.58 लाख मीटरी टन।

मितोपयोग के उपाय

2138. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से खाद्यान्नों के आयात में संभावित विलम्ब को दृष्टि में रखते हुये सरकार का विचार मितोपयोग के उपाय लागू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अमरीका से आयात किये जाने वाले खाद्यान्न में कोई विलम्ब नहीं हुआ और कोई नये मितोपयोग उपायों का प्रस्ताव नहीं है, और

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

शिक्षित बेरोजगार

2139. **श्री समर गुहा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में मैट्रिक, हायर सेकण्डरी, बी० ए०, बी० काम, बी० एस०-सी० एम० ए० और एम० एस० सी० पास बेरोजगार लोगों की राज्यानुसार संख्या क्या हैं;

(ख) इंजीनियरों, पालीटेकनिक का डिप्लोमा रखने वालों, कृषक और प्रशिक्षित मजदूरों में फैली बेरोजगारी के राज्यानुसार आँकड़े क्या हैं; और

(ग) नियोजन अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) विभिन्न श्रेणी के बेरोजगार व्यक्तियों से सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं नियोजन अवसर खोजने वालों, जिनके नाम नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे, से सम्बन्धित जानकारी साथ लगे विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1770/67]

(ग) योजनाओं में सम्मिलित, कृषि, उद्योग, यातयात और संचार आदि से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, आशा है, इन श्रेणियों के बेरोजगार लोगों को बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे।

पर्ती भूमि का सुधार

2140. **श्री समर गुहा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनाव के पश्चात् खाद्यान्न उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों में जललग्न तथा अन्य प्रकार की कितनी एकड़ बेकार भूमि का सुधार किया गया है;

(ख) इस अवधि में विभिन्न राज्यों में एक फसल की कितनी भूमि को दो-फसलों की भूमि में परिणित किया गया है; और

(ग) आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक राज्य में पृथक् रूप से कितनी बेकार भूमि को सुधारने तथा एक-फसल की कितनी-कितनी भूमि को दो फसलों की भूमि में परिणित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किसानों को भूमि का वितरण

2141. **श्री समर गुहा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के कब्जे में निहित भूमि किसानों में वितरित कर दी गई है।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने रेलवे अधिकरण, चाय के बागों, कारखानों, औद्योगिक संस्थाओं और गैर सरकारी भू-स्वामियों के कब्जे में पड़ी हुई बेकार भूमि, जो कृषि योग्य है, को अखिल भारतीय आधार पर अर्जन करने के लिए कदम उठाए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1771/67]

'आरे' में सरकारी बेकरी

2142. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरे में सरकारी बेकरी चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार आस्ट्रेलिया से किस प्रकार का सहयोग कर रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस परियोजना के लिये सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा और इस संबंध में राज्य सरकार ने किस प्रकार की सुविधायें दी हैं;

(ग) क्या बेकरी की इस परियोजना के संबंध में विदेशी खाद्य टैक्नोलौजी विज्ञों की सलाह माँगी गई हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो उनसे परामर्श करने में कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) इस परियोजना में उबलरोटी का उत्पादन कब आरंभ हो जाएगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीअन्नासाहिब शिन्दे):

(क) आस्ट्रेलिया सरकार ने बम्बई में बेकरी संयंत्र के लिये मशीनरी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपहारस्वरूप दी है। वे संयंत्र स्थापित करने और उसे चालू करने के लिये इंजीनियरों और बेकरी टैकनोलोजी विज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कर रहे हैं।

(ख) बम्बई के बेकरी एकक की अनुमानित लागत 40.52 लाख रुपये है। राज्य सरकार ने 'आरे' दुग्ध कालोनी में भूमि एक रुपया प्रति वर्ष के नाममात्र पट्टे पर दी है।

(ग) विदेशी तकनीकी ज्ञानियों की सलाह परियोजना के कुछ विशेष पहलुओं पर ली गई है।

(घ) भारत सरकार को इसके लिये कोई व्यय नहीं करना पड़ा है।

(ङ) दिसम्बर, 1967 में प्रयोगात्मक तौर पर संयंत्र चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

Houses for Emlpoyees of P & T and R.M.S. Departments

2143. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme for constructing houses for employees of Posts and Telegraphs and R.M.S. Departments ; and

(b) if so, the district-wise number of houses to be constructed in Rajasthan ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) A statement showing quarters existing and those under construction or proposed to be constructed Districtwise is laid on the table of the House [**Placed in Library. See No. LT-1772/67.**]

Payment of Bills of Telephone Connections

2144. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bills in respect of installing Telephone connections during the last General Elections in Delhi are still awaiting payment by the political parties concerned ;

(b) if so, the party-wise figures of the amount outstanding ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government for realising the outstanding amount ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a), to (c) : The information is not readily available. The same is, however, being collected and will be placed on the table of the Sabha.

S. T. D. Service in Rajasthan.

2145. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of districts in Rajasthan State where Subscribers' Trunk Dialling Service has been introduced ;

(b) the names of the districts where it is likely to be introduced this year ;

(c) whether Kotah Rajasthan is also included in those districts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Jaipur City.

(b) Nil.

(c) No.

(d) Kotah City at present is a manual exchange. This is being automatised by 1971. Subscriber Trunk Dialling facility is likely to be provided thereafter.

किसानों के लिये ऋण

2146. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें किसानों को सस्ते ऋण के विषय में अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) सहकारी समितियां किसानों को फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत ऋण दे रही हैं। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे सहकारी समितियों द्वारा ली जा रही ब्याज की दरों की जांच करें और परिचालन कुशलता के अनुरूप अधिकतम सम्भव सीमा तक उनमें समीकरण लाएं। सरकार उपयुक्त मामलों में उन किसानों को उत्पादन प्रयोजनों के लिए तकावी ऋण भी देती है जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्पादित गेहूं के बीज

2147. **श्री रणधीर सिंह:** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्पादित गेहूँ की एस-227 तथा एस–308 किस्मों का बीज केवल दिल्ली राज्य के कृषकों को ही दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले एक वर्ष की अवधि में विभिन्न राज्यों को इस बीज की कितनी-कितनी मात्रा दी गई; और

(ग) यह बीज किन निकायों के माध्यम से वितरित किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) संलग्न विवरण में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1773/67]

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को केवल संस्थान में विकसित हुई नई किस्मों के केवल 'न्यूक्लियस' बीजों का उत्पादन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आधार बीजों का संवधन करने के लिए ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य के कृषि विभागों को दे दिये जाते हैं और उसके पश्चात् ये रजिस्टर्ड बीज उत्पादकों को दे दिये जाते हैं। 1967 के रबी के मौसम में, बीजों के ढेर में से बीजों की थोड़ी-थोड़ी मात्रायें कृषकों को पहले आए पहले ले जाए के आधार पर दी गई।

विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को कार्यालय सम्बन्धी सुविधायें

2148. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को कार्यालय सम्बन्धी सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) छठे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने सिफारिश की है कि संसद्/विधान मंडलों में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को उप-मंत्रियों के समान प्राप्त सुविधाएं देनी चाहियें।

(ख) और (ग) इस विषय पर सम्बन्धित सरकारों द्वारा यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

मूंगफली का उत्पादन

2149. **श्री यशपाल सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति एकड़ मूंगफली के उत्पादन में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि मूंगफली से प्रति एकड़ उत्पादन में प्रति वर्ष उतार-चढ़ाव होता रहा है, तथापि सन् 1949-50 से 1964–65 तक के रुख को अध्ययन करने से उत्पादन में कमी आने का पता नहीं लगता, बल्कि अध्ययन से पता चलता है कि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। अज्ञातपूर्व सूखा के कारण अन्य कई फसलों की भाँति सन् 1965-66 और 1966–67 के दौरान उत्पादन में कमी हुई।

मूंगफली सम्बन्धी स्टेट पैकेज यूनिट्स के अतिरिक्त, पैकेज आफ प्रैक्टिसिज़ को अपनाकर मूंगफली की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए केन्द्रचालित योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन अतिरिक्त रोजगार अवसर

2150. **श्री यशपाल सिंह:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन निश्चित 1,90,00,000 अतिरिक्त नियोजन अवसर जुटाने के लक्ष्य को प्राप्ति हितार्थ। पर्याप्त कार्य किया जा रहा है : और

(ख) यदि हाँ, तो उसका खुलासा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के आधीन विभिन्न कार्यक्रमों पर होने वाले विनियोगों का अन्तिम स्वरूप निश्चित नहीं हुआ है अतः चौथी पंचवर्षीय योजना काल में उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त नियोजन अवसरों का इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

उपग्रह से संचार

2151. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही:** क्या **संचार** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 8371 के 9 अगस्त, 1967 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच, पूना के निकट, उपग्रहों से संचार संबंध स्थापित करने वाला भूमि-स्थित केन्द्र स्थापित करने के हेतु उपस्कर के आयात के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि ऐसा हुआ है, तो इस विषय में किये गये निर्णय का विवरण क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री :(श्री इ० कु० गुजराल):(क) जी हाँ ।

(ख) जापान तथा कनाडियन फर्मों से टेण्डर माँगे गये हैं क्योंकि इस प्रायोजना के लिये जापान तथा कनाडा से ही आवश्यक उधार मिलने की संभावना है।

सुपर बाजार

2152. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में विभिन्न राज्यों में कितने सुपर बाजार खोले गए; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वमी)

(क) और (ख) एक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

राज्य का नाम	पिछले तीन महीनों में जिन-जिन स्थानों में सुपर बाजार खोले गये	इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को जितनी-जितनी राशि दी गई । (लाख रुपये में)		
		ऋण	अनुदान	योग
1. पश्चिमी बंगाल	1. हावड़ा 2. नार्थ कलकत्ता	14.50	1.575	16.075
2. उत्तर प्रदेश	3. मेरठ	5.71	0.49	6.20
3. पंजाब	4. अमृतसर	4.50	0.65	5.15
4. महाराष्ट्र	5. पूना	2.75	0.25	3.00
5. बिहार	6. राँची	4.125	0.415	4.54
6. आन्ध्र प्रदेश	7. विशाखापत्तनम	4.50	0.65	5.15

भारत का सर्वोत्तम ग्राम

2153. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 के भारत के सर्वोत्तम ग्राम का नाम क्या है और वह कहाँ स्थित है; और

(ख) उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) भारत के 1966–67 के लिये सर्वोत्तम गाँव का चुनाव अभी तक नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंद बागानों को संभालना

2154. **श्री अदिचन:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंद बागानों को संभालने के लिए बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने अपनी पिछली बैठक में बागानों को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर विचार किया था;

(ख) क्या कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी):

(क) और (ख): जी हाँ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

Shark Menance

2155. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the measures being taken by Government to remove the menance of sharks which usually damage fishermen's nets and eat valuable small fish in a large quantity ;

(b) whether it is a fact that superior quality chrome-leather is manufactured from the skin of sharks ;

(c) if so, the progress made in regard to the manufacture of leather of this type at a commercial level ;

(d) whether it is also a fact that shark flesh is in great demand in foreign countries ; and

(e) if so, the measures taken by Governments to export it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahinb Shinde) ; (a) It has not been feasible to take special measures to remove the menance of sharks although it is recognised that there should be a check on the shark population. It is expected that with the development of offshore and deep sea fishing, this will be achieved to some extent by larger catch of sharks incidental to trawling operations. It has not been found economical under present conditions to fish for sharks only although the technique of catching shark is fairly well known.

(b) and (c) Investigations at the Central Institute of Fisheries Technology have shown the possibility of manufacturing superior quality leather from shark skins. The Central Leather Institute, Madras has also evolved suitable techniques to manufacture quality leather from shark skins.

Commercial manufacture of shark leather will only be practicable when landings of sharks increase substantially to make sufficient raw material available.

(d) and (e) Shark flesh is not much in demand in foreign countries, although small quantities of cured shark are exported to Ceylon.

Automatic Telephone Exchange at Khargaon

2156. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether steps are being taken to convert the telephone exchange at Khargaon in the West Nimad District into an automatic exchange in view of the fact that 80 per cent of the automatic exchange equipment are already there ; and

(b) if so, when the automatic telephone system is likely to function ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Khargaon is at present a 150 lines manual exchange and this will be expanded when necessary, to meet demands. There is no proposal for conversion to automatic at present. The equipment referred to, stands allotted for Jaora where the existing auto exchange needs expansion.

(b) The automatisation of Khargaon will be taken up when sufficient demand builds up.

Linking Khandwa and Khargaon by Telephone

2157. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to connect Khandwa and Khargaon by telephone to cater to the needs of authorities and public who experience great difficulty in making contacts at Bhikhangaon Municipal Town situated midway between these two places ;

(b) if so, the time by which this link would be established ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gukjral) : (a) Yes.

(b) About two years.

(c) Does not arise.

युद्ध पीड़ित लोगों का पुनर्वास

2158. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के फलस्वरूप पंजाब, राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्रों में कितने व्यक्ति बेघर हो गए थे और सम्पत्ति की अनुमानत: कितनी हानि हुई थी:

(ख) उनको पुन: बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उनमें से कितने लोग पूरी तरह से पुन: बसा दिए गए हैं;

(ग) उनके पुनर्वास पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है; और

(घ) पुनर्वास की ऐसी योजनाएँ कौन सी हैं जो अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) तीन राज्यों में विस्थापित हुए व्यक्तियों की संख्या यह है—

जम्मू तथा काश्मीर	लगभग 3 लाख व्यक्ति
पंजाब	लगभग 52,000 व्यक्ति
राजस्थान	लगभग 8,400 व्यक्ति

इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक जातियों के लगभग 4,500 व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर राजस्थान आये।

सम्पत्ति के नुकसान संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) आरम्भ में तीनों राज्यों में सहायता शिविर खोले गए थे जहाँ उजड़े लोगों को आजन्म भोजन तथा अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की गई। कुछ योग्य मामलों में उन लोगों को भी सहायता प्रदान की गई जो शिविरों से बाहर रहे। उजड़े परिवारों के पुनर्वास हेतु संघर्ष में क्षतिग्रस्त/बर्बाद मकानों और दुकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु योजनाएं स्वीकृत की गईं। कृषक परिवारों के लिये बैल, कृषि औजार, उर्वरक तथा बीज खरीदने के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। गैर-कृषि परिवारों के लिये उन्हें अपने व्यापार तथा धंधे पुनः आरम्भ करने के लिये ऋण मंजूर किए गए। इन परिवारों को गुजारा भत्ता देने के लिये भी उपबन्ध किया गया।

जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब में बहुत बड़े भू-भाग में, बेघर हुए परिवारों के लाभ के लिए ट्रैक्टर चलाये गए। खेमकरन में एक सरकारी भवन-समूह तथा रिहायशी बस्ती के निर्माण के लिये 35 लाख रुपए की एक योजना मंजूर की गई है। काश्मीर में बटमालू उपनगर के पुनर्निर्माण के लिये 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

पंजाब में, सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है।

जम्मू तथा काश्मीर में, जो लगभग 2 लाख व्यक्ति पूंछ-राजौरी-रियासी क्षेत्रों से बेघर हो गए थे युद्धबन्दी के पश्चात् अपने-अपने गाँवों को लौट गए हैं और योग्य मामलों में पुनर्वास सहायता दी गई थी।

खम्भ-जोरियाँ क्षेत्र के लगभग 24,000 परिवारों के लगभग एक लाख व्यक्तियों में से 10,188 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी गई। 11,312 और परिवारों को भी आवास सहायता की दूसरी किस्त को छोड़कर पुनर्वास सहायता दी गई। लगभग 2,500 परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है। उनकी भूमि पर ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं।

जहाँ तक राजस्थान का संबंध है जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) लगभग 15 करोड़ रुपए।

(घ) पुनर्वास की सभी योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है।

Movement of coarse grains

2159. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the prices of coarse grains in the States where they are produced before and after the arrival of Kharif crop ;

(b) whether it is a fact that the Centre has re-imposed the restrictions on the movement of coarse grains which had been removed by Haryana Government earlier ; and

(c) if so, the decision taken by Government in regard to the disposal of lakhs of maunds of such grains belonging to the grain dealers lying with the Railways at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A Statement is attached. [Placed in Library See. No. LT-1774/67.

(b) The movement of maize from Haryana is restricted under a Central Order namely, Northern Inter-Zonal Maize (Movement Control) Order, 1967, which has been continuing since May, 1967. The movement of jowar and bajra outside the State is restricted under the State Government orders. The Government has no information that these State Government orders were amended. So the question of re-imposition of restrictions does not arise.

(c) Instances of some consignments of coarse grains lying in the Railway station of West Bengal have been brought to the notice of the Government. The consignments have been seized and the matter is under investigation.

दिल्ली में श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयां

2160. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के श्रमिकों से छः मास के दौरान राशन में कमी और कपड़ा मजूरी उद्योग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की देरी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के कुछ बड़े कारखानों ने 2 अक्तूबर, 1967 का गाँधी जयन्ती की छुट्टी घोषित नहीं की; और

(घ) इन मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) (I) खाद्य विभाग राशन के मामले की जाँच कर रहा है।

(II) कपड़ा उद्योग बोर्ड अपना कार्य शीघ्र पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है और इस वर्ष के अन्त तक इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) चूंकि श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ और किसी विशिष्ट कारखानों में छुट्टियाँ वर्तमान पंचाटों, समझौतों या पिछली प्रथा के अनुसार मनाई जाती हैं, इसलिए इसमें कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी।

भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक व्यय

2161. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक व्यय 1966 में 75 पैसे प्रति क्विंटल (खाद्यान्न) था;

(ख) वर्ष 1967 में अब तक देशी गेहूँ, चने तथा मोटे अनाज की बिक्री पर भारतीय खाद्य निगम को औसतन कितना मुनाफा हुआ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 1967 में खाद्यान्न की कितनी कमी बताई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) वित्तीय वर्ष 1965-66 में भारतीय खाद्य निगम का कुल औसतन प्रशासनिक व्यय 74 पैसे प्रति क्विंटल (खाद्यान्न) था।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम के वित्तीय वर्ष 1966–67 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह सूचना लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद उपलब्ध होगी।

नए मजूरी बोर्ड

2162. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि अर्थव्य पर पड़े स्फीति प्रभाव को रोकने के लिये निर्धारित समयावधि के लिये नए मजूरी बार्ड गठित न किए जाएं या वर्तमान मजूरी बार्डों की सिफारिशें स्वीकार न की जाएँ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंकोला और कौरडीह कोयला खानों में हड़ताल

2163. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंकोला और कौरडीह कोयला खानों में लम्बी अवधि के औद्योगिक झगड़े हुए हैं, जिनमें भूमि के नीचे हाजिर-हड़तालें शामिल हैं;

(ख) क्या कोई समझौता हुआ है; और

(ग) श्रमिकों की शिकायतें और माँगें क्या हैं और उनके समाधान तथा पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग): **बंकोला कोयला-खान:—**

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० के अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल सरकार के तत्कालीन मंत्री, सर्वश्री सोमनाथ लाहिरी और सुशील धारा बीच 8 अक्तूबर को हुए समझौते के परिणामस्वरूप 9 अक्तूबर, 1967 को काम-रोको हड़ताल समाप्त हो गई। माँगें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने और 1966 में बर्खास्त किए गए श्रमिकों की बहाली के बारे में थीं।

कौरडीह कोयला-खान

कौरडीह कोयला-खान में काम-रोकों हड़ताल 4 अक्तूबर, 1967 को समाप्त हो गई। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों के अनुनय पर यूनियन ने यह स्वीकार किया कि वह छंटनी किए गए 78 श्रमिकों की बहाली के लिए हठ नहीं करेगी, क्योंकि उसने इस विषय पर एक अलग विवाद उठाया है।

Import of Foodgrains Via Suez Route

2164. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of ships out of those carrying foodgrains for India which were detained in the Suez Canal during the last Arab-Israel conflict and have since reached India ; and

(b) the number of ships out of them which reached India through longer routes and the loss suffered by India due to change in route ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Only one such

vessel got detained in the Suez Canal during the last Arab-Israel conflict and that vessel is still unable to come out of the Suez Canal.

Technical Mission to Pakistan

2165. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to send a technical mission to Pakistan ; and

(b) if so, the purpose thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) It is presumed the Hon'ble Member is referring to the delegation that went to Pakistan in connection with the resumption of telecommunication services between the two countries, in October, 1967. It was decided to resume telecommunications to the 1965 level with effect from 1st November, 1967. This has already been done.

Employment Exchanges in M. P.

2166. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons who were provided employment in Madhya Pradesh through Employment Exchanges since 1956 ;

(b) the number of those who got their names registered in employment exchanges since 1956 so far ; and

(c) the total number of employment exchanges and the districts where they are located and whether Government propose to open Employment Exchanges in those districts where they do not exist at present ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) A statement is attached (App. I) [Placed in Library See. no. LT-1775/67].

(c)

Employment Exchanges	..	48
University Employment Information and Guidance Bureau	..	3
Professional & Exceutive Office	—	1
Total		52

A list of towns in which the Employment Exchanges are located is attached. (App. II) **[Placed in Library See. No. LT-1775/67].**

Every district in Madhya Pradesh has an Employment Exchange.

दिल्ली दुग्ध योजना का टोकन

2167. **श्री म० ला० सोंधी:**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना पारी से बाहर (आउट आफ टर्न) दूध के टोकन जारी करती है ;

(ख) यदि हां, तो किन आधार पर ये टोकन जारी किए जाते हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाले पिछले 60 महीनों में पारी से बाहर दूध के टोकन कितने जारी किए गए और ये टोकन कुल कितने दूध के लिये जारी किए गए हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने कितने आवेदन अस्वीकार किए और उसके क्या कारण थे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां :

(ख) ये टोकन विशेष मामलों में जारी किए जाते हैं।

(ग) लगभग 400

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के किसी भी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार नहीं किया है।

दिल्ली में घेराव

2169. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली राज्य के किसी कारखाने में कोई 'घेराव' हुआ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं; और

(ग) सरकार ने अबाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): जी नहीं। 4–7–1967 को श्रमिकों ने मेसर्स कैपिटल इंडस्ट्रीज लि० के द्वार पर द्वार-सभा की। परन्तु यह 'घेराव' का मामला नहीं था क्योंकि किसी व्यक्ति को भी अन्दर जाने या बाहर आने से रोका नहीं गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

India's Position in Fishery

2170. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's position in the fishery industry in the world is eighth according to F. A. O. Report, 1966 ; and

(b) whether the entire quantity of fish caught in India is consumed here itself or some portion of it is exported also ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) The bulk of the fish caught in India is consumed within the country. A portion of it is exported. Out of a total production of 1.4 million tonnes in 1966 a quantity of approximately 55000 tonnes was processed for export, the finished material amounting to 18000 tonnes.

पंजाब सर्किल के डाकखानों में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री का न मिलना

2171. **श्री हेमराज:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सर्किल के डाकखानों में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री तथा अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी वार्षिक आवश्यकता कितनी है, तथा कितनी संख्या में ये छापे जाते हैं?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): पंजाब सर्किल के डाकखानों में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री यथा अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि की कोई आम कमी नहीं है। भारी मांग तथा सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के पास उपकरण की कमी के कारण अन्तर्देशीय पत्रों की कभी-कभी कमी अनुभव की गई है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी संस्थाओं को आयात किए हुए ट्रैक्टरों की सप्लाई

2172. श्री रा० स्व० विद्यार्थी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जितने ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई थी उनमें से प्राथमिकता के आधार पर कितने बाईलारस 50 एच० पी० ट्रैक्टर सरकारी संस्थाओं को अलाट किए गए हैं; और

(ख) जब देश में बने 50 एच० पी० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर उपलब्ध हैं तो ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर आयात हुए ट्रैक्टर अलाट करने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) बाईस।

(ख) सरकारी संस्थायें अपने कार्यों के लिये ये ट्रैक्टर शीघ्र ही खरीदना चाहती थीं। वे अपने मौजूदा ट्रैक्टरों के फ्लीट तथा अर्जन की शीघ्र आवश्यकता आदि को दृष्टि में रखते हुए इस बात का स्वयं निर्णय करती है कि उन्हें किस प्रकार के ट्रैक्टर खरीदने हैं। फिर भी राज्य सरकारों आदि से ऐसी हिदायतें देकर अनुरोध किया गया है कि वे देशी ट्रैक्टरों के प्रयोग को प्रोत्साहन दें।

ट्रैक्टरों की मांग

2173. श्री रा० स्व० विद्यार्थी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों ने विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात ने मंत्रालय से सन् 1965-66 में 3000, 50 अश्व शक्ति वाले रूसी ट्रैक्टरों की मांग की थी?

(ख) क्या अब तक केवल 500 ऐसे ट्रैक्टरों को आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि ऐसा है तो शेष मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) 50 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड द्वारा देश में ही निर्मित किए जाते हैं। देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सच है कि कुछ मांग पूरी नहीं हो सकी है, किन्तु देशीय उद्योग के विकास को दृष्टि में रखते हुए अधिक आयात को उचित नहीं समझा गया।

राज्यों को ट्रैक्टरों का अलाटमेंट

2174. श्री रा० स्व० विद्यार्थी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चैकोस्लोवेकिया से आयात हुए कुल 2000 ट्रैक्टरों में से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को कितने कितने ट्रैक्टर अलाट किए गए हैं;

(ख) इन राज्यों को चैकोस्लोवाकिया में बने ट्रैक्टरों का अलाटमेंट किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि आयात हुए रूसी ट्रैक्टर पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों को उनकी मांग से अधिक अलाट किए जा रहे हैं और इन क्षेत्रों से फालतू ट्रैक्टर उत्तर क्षेत्र में अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ट्रैक्टरों के इस गलत-वितरण तथा उनकी ब्लैकमार्केटिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) चैकोस्लोवेकिया के 2000 ट्रैक्टरों में से 1000 ट्रैक्टर तैया स्थिति में तथा 1000 सीकेडी पैक हुए आयात किए जायेंगे। वे बाद में देश में जोड़े जायेंगे। तैयार स्थिति के 1000 ट्रैक्टरों का वितरण इस प्रकार किया गया है:—

पंजाब	300	
उत्तर प्रदेश	200	+ (संघ क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है)
+हरियाणा	200	
बिहार	300	
	1000	

अभी सीकेडी पैक के ट्रैक्टरों का वितरण नहीं किया गया है।

(ख) विभिन्न कारपोरेशनों से प्राप्त मांग के आधार पर इन ट्रैक्टरों को राज्य-कृषि-उद्योग निगमों को अलाट करने का निर्णय किया गया है।

(ग) और (घ):

इस समय रूस से आयात हुए 35 प्रतिशत ट्रैक्टर उत्तर क्षेत्र को अलाट किए गए हैं। पश्चिमी पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए कोटा क्रमशः 27½ प्रतिशत; 2½ प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। यांत्रिकरण की तेज गति को दृष्टि में रखते हुए, उत्तरी क्षेत्र को अधिक ट्रैक्टर दिए गए हैं परन्तु यह आवश्यक समझा गया है कि अन्य क्षेत्रों में भी यांत्रिकरण की गति को प्रोत्साहन दिया जाय। अन्य क्षेत्रों में बेचे हुए ट्रैक्टरों को, उत्तरी क्षेत्र के एजेन्ट की सीमा में दो बार बेचने के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, परन्तु केवल कुछ ही चन्द मामलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर दोबारा बेचने के बारे में कोई सबूत नहीं मिल सके। यहां यह भी बतला देना उचित है कि दोबारा बेचने के मामले (न केवल कृषि ट्रैक्टरों के विषय में ही) साधारणतया होते ही हैं और यदि दोबारा बेचने के मामले अधिक पाये गए तो उसके निवारण के लिए कदम उठाये जायेंगे।

मुर्गी-पालन योजनाएं

2175. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में सम्मिलित मुर्गी-पालन की योजनाओं ने अधिक प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चौथी योजना में अंडों के उत्पादन के लिए निश्चित किया गया लक्ष्य क्या है;

(घ) इस समय उनका वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(ङ) चौथी योजना में सम्मिलित मुर्गी-पालन की योजनाओं की तीव्रता से क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। मुर्गी पालन योजनाओं ने कुल मिलाकर अच्छी प्रगति की है। मुर्गी-पालन में मुर्गी के चारे की बढ़ी हुई लागत जैसी अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी चौथी योजना के प्रथम वर्ष में प्रगति होती रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। आबादी के 50 प्रतिशत भाग के लिए लगभग 50 अंडों का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सुझाव दिया गया है।

(घ) आबादी के 50 प्रतिशत भाग के लिए लगभग 22 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

(ङ) मुर्गी-पालन की योजनाओं की तीव्रता से क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा किसानों को सप्लाई करने के लिए अधिक उपज देने वाली मुर्गियों का उत्पादन राजकीय तथा केन्द्रीय मुर्गी-पालन फार्मों में शुरू किया गया है।

2. (क) राज्यों में संकर मकई के बढ़े हुए उत्पादन (ख) राज्यों को सप्लाई करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन। डब्लू० एफ० पी० द्वारा मकई तथा मिलो जैसे मोटे चारे का आयात (ग) मोटे अनाज के प्रतिरूप में कृषि तथा औद्योगिक छटन से बने पदार्थों की उपयोगिता और (घ) खराब खाद्यान्नों की उपयोगिता द्वारा, जो मानव खपत के लिए अयोग्य है, किन्तु मुर्गियों के चारे के लिए उपयुक्त है उचित मूल्यों पर मुर्गियों के लिए सन्तुलित चारे की सप्लाई करना।

3. मुर्गी पालन निगमों / सहकारी समितियों और सरकारी संस्थाओं के द्वारा मुर्गी उत्पादन के लिए विपणन सुविधाएँ देना गर्मी के मौसम में अंडों को हानि से बचाने के लिए राज्यों में शीत भण्डार न सुविधाओं की व्यवस्था।

4. चूजे, चारा तथा निर्माण सामग्री खरीदने के लिए गरीब किसानों को वित्तीय सहायता।

5. यूनीसेफ और खाद्य तथा कृषि संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता से व्यावहारिक पौष्टिक कार्यक्रम की क्रियान्विति।

6. ऋण पर चूजे, किसानों को चारा विपणन सहायता जैसी सभी आवश्यक सेवाएँ एक साथ प्रदान करने के लिए बड़े शहरों तथा औद्योगिक कस्बों में और उनके आस-पास सघन अन्य तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों की स्थापना।

7. मुर्गी-पालन से हुई आय पर आय-कर की अदायगी की छूट।

दिल्ली में बेरोजगारी

2176. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1966–67 के दौरान कुल कितने बेरोजगार लोगों ने अपने नाम दर्ज कराये; और

(ख) इसी अवधि में, नियोजन कार्यालयों की सहायता से कुल कितने लोगों को नियुक्ति अवसर प्राप्त हुए ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) 1966–67 के दौरान 1,32,898 उम्मीदवारों ने दिल्ली के नियोजन कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराये और इसी अवधि में 28,495 की उक्त कार्यालयों द्वारा नियुक्ति सहायता दी गई।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी उत्पादन

2177. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने इस वर्ष सितम्बर तथा अक्तूबर में घी उत्पादन बन्द कर दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में लघु सिंचाई योजनायें

2178. **श्री मेघचन्द्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने वर्ष 1967–68 के लिए लघु सिंचाई योजनाओं के हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त सिंचाई योजना के लिए खर्च का नियतन कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : अब तक शुरू की गई लघु सिंचाई योजनाओं में खरीफ मौसम के दौरान अनुपूरक सिंचाई के लिए बहते हुए झरनों के पार बन्ध बनाना मुख्य रूप से निहित है। सन् 1967–68 के दौरान, मनीपुर सरकार ने वर्तमान योजनाओं को पूरा करने की आयोजना बनायी। इसके अतिरिक्त उसने भूमिगत संसाधनों के सर्वेक्षण करने तथा पम्प सेटों के वितरण करने की योजनायें भी आयोजित की। सन् 1967–68 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये का कुल खर्च अनुमोदित किया गया है।

कृषि भूमि के मामले पर अशान्ति

2179. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष कृषि भूमि के विषय में अशान्ति के क्या कारण हैं; और

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) यद्यपि राज्य सरकारें देश के कुछ भागों में किसानों के असंतोष की सीमा का अनुमान लगा रही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वित न होने तथा गावों में अवांछित घटनाओं के बहुत से कारण हैं।

गत जुलाई में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि भूमि कृषि सम्बन्धी सुधार उत्पादन कार्यक्रमों की सफलता के लिये घातक है और यह महत्वपूर्ण है कि किसान के लिये उत्पादन हेतु उधार की तथा अन्य बातों की व्यवस्था की जाय। इस सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार के मामले में बड़े अन्तरों के बारे में अध्ययन किये गये थे और केन्द्रीय मंत्री ने सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को अलग-अलग पत्र भेजा है जिसमें वे मुख्य विषय लिखे गये है जिनके बारे में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, विशेषकर भूमि की सुरक्षा और किराये के युक्तीकरण के बारे में। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें उपयुक्त उपाय करेंगी।

दुहरी फसल

2180. **श्री नितिराज सिंह चौधरी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य की कमी की समस्या को दृष्टि में रखते हुए दुहरी फसल और यदि सम्भव हो तो तेहरी फसल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश में सन् 1965–66, 1966–67 के दौरान कितने क्षेत्र में दोहरी फसल तथा तेहरी फसल उगाई गई और सन् 1967–68 में कितने क्षेत्र में किए जाने की सम्भावना है और उनके द्वारा कितनी फालतू मात्रा का उत्पादन हुआ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्ना साहिब शिन्दे): (क) देश के सिंचित क्षेत्रों में दोहरी/तिहरी फसलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) इकहरी और/या दोहरी फसलों वाले क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, दोहरी/तीहरी फसलों की वृद्धि के लिए एक विवध फसल कार्यक्रम चालू वर्ष से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना के अन्त तक 300 लाख एकड़ भूमि में फसल उगाने की आयोजना है और सन् 1967–68 के दौरान खेती किए जाने वाली क्षेत्र 81 लाख एकड़ है. राज्य सरकारों ने लघु अवधि वाली स्थानीय उन्नत किस्मों को और इस सम्बन्ध में आवश्यक सिंचाई सम्भाव्यता वाले क्षेत्रों को भी उपयुक्त समझा है। केन्द्र ने कार्यक्रम की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं की आधी मात्रा का जिसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए सिफारिश की गई है, उत्तरदायित्व संभाला है।

(2) एक लघु अवधि वाली किस्मों का कार्यक्रम भी ग्रीष्म 1967 के दौरान क्रियान्वित किया गया था। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे रबी 1966–67 की फसलों के कटने के बाद और

खरीब 1967 की फसलों की बुवाई से पहले रगी, मकई आदि लघु अवधि वाली किस्मों को उगाये। कृषि विभाग के तकनीकी विशेषज्ञगण राज्यों में गए और एक कार्यवाही कार्यक्रम बनाने में उनकी सहायता की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल मिला कर 9.97 लाख एकड़ भूमि में खेती करने की योजना बनाई गई।

(ख) सन् 1965-66 और सन् 1966-67 के दौरान कितने क्षेत्र में दोहरी तथा तेहरी फसल उगाई गई इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन् 1967-68 वाले विविध फसल कार्यक्रम को अधिकांशत: रबी ग्रीष्म मौसम में ही शुरू किया जाएगा। इन फसलों के कटने के बाद ही 81 लाख एकड़ भूमि में हुए वास्तविक अतिरिक्त उत्पादन के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।

संकर ज्वार तथा गेहूं का उत्पादन

2181. श्री नितिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में प्रत्येक राज्य में संकर ज्वार तथा संकर गेहूं की बुवाई का राज्यवार क्षेत्र कितना था;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस ज्वार तथा गेहूं की अधिकतम तथा न्यूनतम प्रति एकड़ उपज कितनी थी;

(ग) अगले वर्ष इन किस्मों को कितनी भूमि में बोया जायेगा; और

(घ) 1966-67 की अवधि में प्रत्येक राज्य में संकर गेहूं का कितना क्षेत्र राजकीय सिंचाई संसाधनों द्वारा तथा गैर-सरकारी संसाधनों द्वारा सींचा गया था और कितना क्षेत्र 1967-68 में सींचे जाने की संभावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (ग) : विवरण 1,2 तथा 3 संलग्न हैं। (पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1776/67)

(घ) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों में श्रम अधिकारी

2182. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुखियों की 1963 में हुई बैठक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक विभागों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया था कि केन्द्रीय पूल के श्रम अधिकारियों को श्रम अधिकारियों के पदों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तब से विभिन्न सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय पूल के कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इन उपक्रमों में श्रम अधिकारियों/कल्याण अधिकारियों की जगहों पर काम करने वाले कुछ श्रम अधिकारियों का प्रतिस्थापन किया गया है या किया जा रहा है ताकि केन्द्रीय औद्योगिक संबद्ध मशीनरी के अधिकारियों को जगहें मिल जायं; और

(घ) इन पदों पर नियुक्त किये गये केन्द्रीय औद्योगिक संबद्ध मशीनरी के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां।

(ख) इस समय 21 श्रम अधिकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर डेप्युटेशन पर हैं। इसके अतिरिक्त, विभागीय उपक्रमों में या स्वायत्त निकायों में 227 श्रम अधिकारी काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ): किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम अधिकारी की जगह पर केन्द्रीय औद्योगिक संबद्ध मशीनरी के किसी भी आधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन पत्तन न्यास में, उसकी विशेष आवश्यकताओं के कारण एक श्रम अधिकारी के स्थान पर एक श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी को नियुक्त किया गया। एक स्वायत्त निकाय में एक अन्य श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी काम कर रहा है और दूसरा एक सरकारी क्षेत्र में उपक्रम में काम कर रहा है, लेकिन वे किसी श्रम अधिकारी को हटा कर नियुक्त नहीं किये गये हैं।

लोक सभा की बैठक पर प्रति घंटा व्यय

2183. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "वीकएंड रिव्यू" ('योजना' दिनांक 3 सितम्बर, 1967 में उद्धृत) की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि "पांच वर्ष पूर्व करदाताओं ने लोक सभा की प्रति घंटे बैठक पर रु० 40,000 व्यय किया, आज वह व्यय रु० 2,00,000 से ऊपर होता है", और

(ख) लोक सभा की बैठक पर प्रति घंटे व्यय बढ़ने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) योजना दिनांक 3 सितम्बर, 1967 में उद्धृत "वीकएंड रिव्यू" की रिपोर्ट का परिशीलन किया गया है। उसमें उद्धृत आंकड़ों के आधार का पता नहीं है। अतः उसमें दी गयी वृद्धि के कारणों को निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उप-निर्वाचन

2184. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1967 में हुए गत साधारण निर्वाचनों के पश्चात् लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए कितने उप निर्वाचन हो चुके हैं; और

(ख) उनमें विभिन्न राजनीतिक दलों को क्या सफलता मिली है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) साधारण निर्वाचन, 1967 के पश्चात्, 15 नवम्बर, 1967 तक लोक सभा के लिए 7 उप-निर्वाचन और विधान सभाओं के लिए 16 उप निर्वाचन कराए जा चुके हैं;

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1777/67]

'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन

2185. **डा० प० मण्डल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों ने "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना के अन्तर्गत दो हजार रुपये की जमानत जमा कराई है उनको टेलीफोन देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली में तथा देश में अन्य स्थानों मे टेलीफोन लगवाने के लिये कितने व्यक्तियों ने दो हजार रुपया की जमानत जमा कराई है (जिनके यहाँ अभी तक टेलीफोन नहीं लगे हैं) और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का नाम कितने समय से प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) अन्य किन वर्गों के आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(घ) देश में प्रतिवर्ष कितने टेलीफोनों का निर्माण होता है और क्या यह समस्त माँग पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) कुछ टेलीफोन एक्सचेंज तो ऐसे हैं, जहाँ से "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना के अधीन तत्काल टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाते हैं और प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम होता है उसे ही टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाता है। परन्तु कुछ अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों में निम्नलिखित कई कारणों से इस योजना के अधीन टेलीफोन लेने वाले आवेदकों के नामों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है:

(एक) भूमि के नीचे दबाने वाले के बिलों का अभाव।

(दो) लाइन सम्बन्धी सामान का अभाव।

(तीन) अवेदकों द्वारा अपने पतों का बदला जाना।

(चार) मार्ग मिलने में विलम्ब।

(ख) विवरण में जो स्थिति दी गई है वह निम्न प्रकार है। यह जानकारी वह है जो 15-11-1967 को थी:

बंगलौर हैदराबाद अहमदाबाद अमृतसर नागपुर बेरावल लुधियाना	जमानत के भुगतान के बाद का समय	दिल्ली और हाशिये में लिखे हुए 7 अन्य स्थान जहाँ "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना क्रियान्वित की जा रही है।	कानपुर	कलकत्ता	मद्रास	बम्बई
3 महीने से कम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	10		1191
6 महीने से कम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		246
1 वर्ष से कम	कोई नहीं	2	9	कोई नहीं		98
2 वर्ष से कम	कोई नहीं	कोई नहीं	3	कोई नहीं		78
3 वर्ष से कम	कोई नहीं	कोई नहीं	2	कोई नहीं		2
3 वर्ष से थोड़ा अधिक	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं		1
योग	कोई नहीं	2	14	10		1616

(ग) 1-10-1967 को 3, 28, 756 आवेदक।

(घ) वर्ष 1966-67 में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने जितने टेलीफोन बनाये तथा 1967–68 में उक्त कम्पनी का उत्पादन का जो लक्ष्य था उसके उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	वास्तविक उत्पादन
1966–67	2,05,209
वर्ष	**उत्पादन का लक्ष्य**
1967–68	2,50,000

टेलीफोन उपकरणों की उपलब्धता मात्र से टेलीफोन कनक्शनों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। एक्सचेंज के उपकरण, केबिल आदि उन्हें पूरा करने के लिये अत्यधिक आवश्यक उपकरण हैं। इन वस्तुओं के अत्यधिक अभाव का कारण संसाधनों का अभाव है।

डाक से तार भेजना

2186. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न भेजी गई तारों को डाक से न भेजकर तार व्यवस्था से तार भेजने तथा शीघ्र वितरण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कितने प्रतिशत मामलों में तार भेजने वाले व्यक्तियों को डाक खर्च काटकर तार शुल्क की राशि लौटायी गई है जब तार डाक से भेजे गये थे; और

(ग) डाक से तारों का कम भेजना कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क)

भेजे गये तारों की कुल संख्या

1967 महीने	तार व्यवस्था द्वारा	डाक द्वारा
अप्रैल	118,39,279	1,57,516
मई	149,29,941	4,04,753
जून	137,63,089	2,78,694
जुलाई	117,98,131	1,94,102
अगस्त	110,20,173	1,26,936
सितम्बर	124,89,858	99,079

(ख) डाक द्वारा भेजे गये तारों के मामले में वापिस लौटाई गई तार शुल्क की राशि के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। डाक द्वारा भेजे गये सभी तारों के मामले में तार-शुल्क की वापसी स्वत: ही हो जाती है बशर्ते तारों के भेजने में एक्सप्रेस तारों के मामले में 24 घंटे और साधारण तारों के मामले में 48 घंटे से अधिक देरी न हो।

(ग) (एक) टेलीप्रिंटरों पर मोर्स प्रणाली के स्थान पर अधिक गति वाली प्रणाली की तथा सीधी लाइनों पर अन्तर्बाधाओं के मामले में तार यातायात के लिये वैकल्पिक लाइनों की व्यवस्था की जा रही है। तार कार्यालयों में इस समय 2711 टेलीप्रिंटर काम कर रहे हैं।

(दो) ओपन वायर मेन लाइनों के स्थान पर, जो विभिन्न मौसमों में खराब होती रहती हैं, कोएक्सिल केबल और माइक्रो वेव प्रणालियों की व्यवस्था की जा रही है। कोएक्सिल केबल प्रणाली 4,674 किलोमीटर तथा और माइक्रोवेव प्रणाली 2,180 किलोमीटर तक चालू हो गई है।

(तीन) तांबे के तार की चोरी के कारण लाइनों पर काफी समय तक होनेवाली अन्तर्बाधाओं को रोकने के लिये जिन स्थानों पर तांबे के तार की चोरी होती है, वहां पर तांबे के तार के स्थान पर तांबा चढ़े तार की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अल्यूमीनियम के कंडक्टरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय।

(चार) अच्छी किस्म की बी० एफ० टी० प्रणालियां (जिनके अन्तर्गत स्पीच फ्रीक्वेंशन और टेलीफोन चैनलों का प्रयोग करने वाली तार लाइनों की व्यवस्था है) जो अधिक टिकाऊ है, तैयार की गई हैं और धीरे धीरे स्थापित की जा रही है। एफ० एम० वी० एफ० टी० प्रणाली की 4,800 चैनल काम कर रही हैं।

Withdrawals from the Employees Provident Fund :

2187. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that workers have to face great difficulty for withdrawal of money from the Employees Provident Fund when needed or at the time of their retirement; and

(b) if so, whether Government propose to amend the relevant rules so as to expedite the payments from the Employees Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) Does not arise.

Road Travel Facilities for M.Ps.

2188. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that road travel facilities are not available to Members of Parliament, where there is no rail transport available ;

(b) whether Government are aware that Members have to experience tremendous difficulties in visting their own constitutencies without the help of State transport or other road transport facilities ; and

(c) if so, the steps taken to provide road travel facilties to Members of Parliament on the pattern of rail travel facilities ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) (a) to (c) Road travel facilities are not available to Members of Parliament on the pattern of free rail travel facilities where there is no rail transport available. The Members of Parliament are, however, entitled to travel facilities at public expense for journeys undertaken in connection with their parliamentary duties under the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 and the Rules made thereunder. Government have no proposal under consideration to provide road travel facilities to Members on the pattern of free rail travel facilities.

पुस्तकों पर डाक शुल्क की दरें

2189. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों पर डाक शुल्क की दरें अधिक होने के विरुद्ध प्रकाशकों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है।

(ख) क्या यह सच है कि यदि प्रकाशक को पुस्तक डाकगाड़ी से भेजी जाये तो एक रुपये की कीमत वाली पुस्तक प्रकाशक को दुगने दामों में प्राप्त होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो ज्ञान के प्रसार पर इस बोझ को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) पुस्तक के मूल्य का डाक शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है। डाक शुल्क किसी पुस्तक के भार पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू का उत्पादन

2190. **श्री राणे** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु काजू वृक्षों के रोपण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है ताकि भविष्य में काजू का अधिकाधिक निर्यात किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो खेती किया गया राज्यवार कितना क्षेत्र है;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोंकर में विशेषतया रत्नागिरि के जिले में काजू के वृक्ष उगाने के लिए एक बहुत ही विस्तृत तथा महंगा कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हाँ, तो कितने क्षेत्र में तथा कितने वृक्ष लगाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोई धन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरा सहित एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1778/67]

(ग) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और मिलते ही यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता अलग अलग योजनाओं के लिए स्वीकृत नहीं की जाती बल्कि विकास सम्बन्धी मुख्य शीर्षकों के लिए स्वीकृत की जाती है। अतः राज्य योजना के अन्तर्गत केवल काजू विकास योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के आँकड़े देना सम्भव नहीं है।

Employment Exchanges in M. P.

2191. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of those educated and uneducated persons who sought employment through employment exchanges in Eastern Nimad district of Madhya Pradesh by the end of December, 1966 ;

(b) the number of Graduates and Post-graduates amongst them ;

(c) the number of persons belonging to Scheduled Tribes, Adivasis and backward classes amongst them ; and

(d) the steps being taken by Government to remove unemployment of educated persons ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) to (c) : *The information is given below :

Category of applicants	No. of Live Register as on 31st December, 1966		
	All types of applicants	Scheduled Casts included in Col. 2	Scheduled Tribes included in Col. 2
1	2	3	4
Bew Matric (including Illiterates)	1,246	132	22
Matriculates (including Higher Secondary passed and Intermediates)	740	57	9
Graduates	144	7	2
Post-graduates	13		
Total	2,143	196	33

*Separate information regarding Adivasis and other Backward classes is not available.

(d) Various development schemes in the Plans are expected to lead to larger employment opportunities for the unemployed including the educated.

Warehousing Corporation

2192. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total capacity of warehouses built by the Warehousing Corporation and other Governmental agencies ; and

(b) the capacity out of it utilised by Government themselves and the capacity allowed to private traders and industrialists ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) **As on 1-11-1967**

	(in lakh tonnes)
(1) Central Warehousing Corporation	6.38
(2) State Warehousing Corporations	2.94
(3) Food Department	9.93
(4) Food Corporation of India	10.84
Total	30.09

(b) The Storage capacity of the Department of Food and the Food Corporation of India is utilised by the Government themselves or by the Food Corporation of India, except to the extent of about 2,000 tonnes and 1500 tonnes hired out to Central Warehousing Corporation and Assam State Warehousing Corporation at Gauhati and Shillong respectively. Of the Storage capacity owned by the Central and State Warehousing Corporations, about 64,000 tonnes has been allowed to be utilised by private traders and industrialists as on Ist November, 1967.

मनीपुर में मक्का को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध

2193. **श्री मेघ चन्द्र**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर खाद्यान्न लाना ले जाना आदेश के अन्तर्गत मक्का को एक अत्यावश्यक खाद्यान्न घोषित किया है;

(ख) क्या सरकार ने मनीपुर में मक्का को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा रक्खा है ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार नेउत्पादकों के हितार्थ मक्का के लाभप्रद मूल्य निश्चित किये हैं।

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) चालू वर्ष में मक्का का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे:) (क) और (ख) केन्द्रीय आदेश अर्थात् मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत मक्का के मनीपुर से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है। इस आदेश के अन्तर्गत मनीपुर के कांगपोकपी गांव के उत्तर में भी मक्का नहीं जा सकती।

(ग) और (घ) मनीपुर प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) लगभग 16,000 मीट्रिक टन।

Employees Provident Fund

2194. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Shipyard Limited, Vishakhapatnam has not contributed to the Provident Fund amount of some of their employees ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in regard thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) : No. There is, however, the matter of contributions at the enhanced rate in respect of the period from 1.1.1963 to 28.2.1966 which is under study.

विधि मंत्रियों का सम्मेलन

2195. **श्री रा० बरुआ:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में हुए राज्य विधि मंत्रियों के सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या सिफारिश की गई; और

(ख) क्या सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर चुकी है ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम):

(क) 31 अगस्त/1 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुए राज्य विधि मंत्रियों में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, वे ये हैं:—

(1) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों आदि का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और राज्य अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, आदि का, जब कि वे हिन्दी से भिन्न भाषा में हों, हिन्दी में अनुवाद और तत्सम्बन्ध विषय; और

(2) विधि शिक्षा का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में दिया जाना और उसके परिणाम और निम्नलिखित पर प्रतिक्रिया:—

(क) समान भारतीय विधि पद्धति का विकास;

(ख) एकीकृत अखिल भारतीय बार; तथा

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों का और उच्चतम न्यायालय का, विशेषतया एक-दूसरे के सम्बन्ध में, क्रियाचालन।

पूर्ण और साफ-साफ विचार-विमर्श और विचार-विनिमय के पश्चात् विषय सं० (1) के बारे में साधारण रूप से यह सहमति हुई कि :—

(क) केन्द्रीय विधियों का हिन्दी में अनुवाद तथा राज्य विधियों का (जो हिन्दी से भिन्न भाषाओं में है) हिन्दी में अनुवाद केन्द्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए;

(ख) केन्द्रीय विधियों का हिन्दी से भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद भी केन्द्रीय स्तर पर या केन्द्र के तत्वावधान में, राज्य स्तर के समुचित अभिकरण के निकट सहयोग से किया जाना चाहिए;

(ग) राज्य विधियों का अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद, सम्पृक्त राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए;और

(घ) राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा बनाई गई विधि शब्दावली का, जहाँ तक संभव हो, प्रादेशिक अनुवादों में प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु जहाँ किसी निश्चित विधिक संबोध को अभिव्यक्त करने के लिए किसी प्रादेशिक भाषा में कोई स्वीकृत शब्द है या जहाँ हेबियस कार्पस जैसा कोई लेटिन शब्द है, वहाँ राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा बनाए गए पद के अधिमान में, उस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

विषय सं० (2) के बारे में यह राय हुई कि चूंकि "विश्वविद्यालय शिक्षा" राज्य का विषय है; अतः सम्पृक्त राज्य सरकारें ही इस विषय पर विचार करें।

(ख) विषय सं० (1) के बारे में, सम्मेलन में हुए विनिश्चयों की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है जिससे कि उन्हें, जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श से, शीघ्रतया क्रियान्वित किया जा सके।

Paddy Price for Bihar

2196. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the Food and Supply Minister of Bihar has opposed the per quintal price of paddy fixed by the Central Government ;

(b) whether he has given some suggestions in this regard ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The Food and Supply Minister conveyed the feeling of the State Government that for Bihar the prices suggested by Central Government were not high enough.

(b) The suggestion was that the procurement price of paddy for 1967-68 should be Rs. 60/- per quintal including Rs. 3.75 as bonus.

(c) This proposal has not been agreed to and the State Government have been informed that the procurement prices fixed are remunerative. They have also been advised to consider the impact of high procurement price on the general price level in the economy.

उड़ीसा में खाद्यान्नों का भण्डारण

2197. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस वर्ष राज्य में बाढ़, तेज आन्धी तथा सूखे के कारण खाद्य उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने उड़ीसा में फसलों की स्थिति के बारे में अब तक क्या संकेत दिए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) उड़ीसा में बाढ़ों, तेज आँधी तथा बाद में सूखे के कारण खड़ी फसलों को हुई हानि के विषय में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। अभी हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में तूफान से हानि

2198. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में डाक तथा तार और टेलीफोन प्रतिष्ठानों, इमारतों और उपकरणों को हुई हानि अथवा क्षति का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने रुपए की हानि और क्षति हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों को कोई अग्रिम धन देने का है, जिनके मकान बिल्कुल नष्ट हो गए हैं ताकि वे अपने मकान बना सकें?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ।

(ख) लगभग 1,02,480 रुपए।

(ग) जी, नहीं। परन्तु कर्मचारी आम शर्तों के अधीन सामान्य गृह निर्माण के लिये अग्रिम राशि की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

केरल राज्य में रेलवे डाक सेवा की इमारतें

2199. **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम, एरनाकुलम, अलवाय, कन्नानूर तथा त्रिचूर में रेलवे डाक सेवा की इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजरल): (क) जी, हाँ।

(ख) रेलवे प्राधिकारी 1968–69 के काम सम्बन्धी कार्यक्रम में (एक) एरनाकुलम जंक्शन पर रेलवे डाक सेवा की इमारत के विस्तार और (दो) त्रिवेन्द्रम में सब रिकार्ड आफिस के लिये स्थान की व्यवस्था और वर्तमान छंटाई आफिस में सुधार करने के काम को सम्मिलित करने के लिये तैयार हो गए हैं बशर्ते इसके लिये धन उपलब्ध हो। अलवाय, कन्नानूर और त्रिचूर में रेलवे डाक सेवा की इमारतों के निर्माण सम्बन्धी मामले पर रेलवे बोर्ड के साथ पहिले ही बातचीत चल रही है।

उड़ीसा में ढेनकनाल डिवीजन में डाक व तार विभाग के कर्मचारी

2200. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में ढेनकनाल डिवीजन में इस समय डाक व तार विभाग के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) सरकार ने कितने कर्मचारियों को रिहायशी मकान दिए हैं; और

(ग) शेष कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) ढेनकनाल डिवीजन कोई नहीं है। ढेनकनाल जिले में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की संख्या 198 है।

(ख) कर्मचारियों के लिये 6 विभागीय क्वार्टरों और 22 किराये वाले क्वार्टरों की व्यवस्था है।

(ग) तालचेर, कामक्यानगर और चेंडीपारा में डाकखानों के लिये भूमि अर्जित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिसमें पोस्टमास्टरों के रिहायशी क्वार्टरों की भी व्यवस्था होगी। स्टाफ क्वाटरों के लिय ढेनकनाल में 0.5 एकड़ भूमि के अर्जन की अनुमति भी दी जा चुकी है।

केरल में डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधायें

2201. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में ऊँचे क्षेत्रों अर्थात् उदुम्बनचोला, पीरमाडे तथा देवीकुलम तालुकों में डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधायें न होने के सम्बन्ध में केरल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल तथा केन्द्रीय सरकार को संसद-सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदनों की जांच के परिणामस्वरूप 6 नए डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस समय इन क्षेत्रों में 91 डाकखाने हैं जब कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में 51 डाकखाने थे। 1970–71 के अन्त तक लगभग 38 नए डाकखानों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है।

दूरसंचार

इस समय 6 टेलीफोन एक्सचेंज, 9 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और 15 तारघर हैं। दो और टेलीफोन एक्सचेंज एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और एक तार घर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। 4 टेलीफोन एक्सचेंज, 8 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और 6 तारघर खोलने के प्रस्ताव पोस्ट मास्टर जनरल, त्रिवेन्द्रम के विचाराधीन हैं।

Damage of Foodgrains in Godowns in Delhi and U. P.

2202. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity and value of imported and indigenous foodgrains decayed during the last five years in various godowns in Delhi and Uttar Pradesh ; and

(b) the number of godown owners and Government employees against whom action has been taken by Government in this regard due to whose negligence this damage occurred ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Translation of Acts into Hindi

2203. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Law** be pleased to **state** :

(a) whether Government have decided to translate the Acts into Hindi,

(b) if so, the progress made in this work so far ; and

(c) the difficulties which Government are facing in this respect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The Official Language (Legislative) Commission set up by a resolution of the Government of India is engaged on the work of preparation of authoritative texts in Hindi of all the Central Acts, Ordinances, Regulations, etc. The Government have since decided that the translation of State Laws (which are in languages other than Hindi) into Hindi should also be done at the Central level by the Official Language (Legislative) Commission. This work is, however, proposed to be entrusted to the Commission after it has been able to make substantial progress in the translation of Central laws into Hindi.

(b) The Official Language (Legislative) Commission has so far finalised Hindi texts of 66 Central Acts and 31 sets of Rules issued under the various Central Acts.

(c) The work of translation of Central and State laws is voluminous. Lack of sufficiently trained personnel for this specialised work and inadequate printing facilities are two of the major difficulties experienced in the work of the Commission. The steps to be taken to overcome the various difficulties are under consideration.

Punjab Working Journalists Union

2204. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Working Journalists Union have in their annual conference demanded the setting up of a Third Wage Board ;

(b) whether the Conference has also demanded that their working hours should be reduced from 6 hours to 5 hours ;

(c) whether the Conference has also demanded the fixation of the minimum mothly wages of working journalists at Rs. 237 instead of at Rs. 130.; and

(d) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) to (c) Government have no information on the subject.

(d) Does not arise.

डाक तथा तार विभाग को घाटा

2205. **श्री नंजा गौडर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभागों को 13 करोड़ रुपए का वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) डाक तथा तार विभाग को 1965–66 में 5.35 करोड़ रुपए का और 1966–67 में 3.10 करोड़ रुपए का ही घाटा हुआ था।

(ख) यह घाटा मुख्यत: समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते की दरों के बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप होने वाले खर्च में वृद्धि होने और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली व्यापार और उद्योग की सामान्य शिथिलता के कारण हुआ।

(ग) टेलीफोन प्रशुल्क में जनवरी, 1966 से वृद्धि हुई थी। कुछ डाक, तार और टेलीफोन प्रशुल्कों में जुलाई/अगस्त, 1967 से वृद्धि की गई है। प्रशुल्कों के निर्धारण के लिये सिद्धान्त बनाने और विभाग की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के वास्ते अन्य तरीकों को सुझाव देने के लिये एक प्रशुल्क जाँच समिति स्थापित कर दी गई है। आगे कार्यवाही समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

सूरतगढ़ फार्म

2206. **श्री नंजा गौडर**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़ कृषि फार्म को 15 से 20 लाख रुपए वार्षिक का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (ग): यह सच नहीं है कि सूरतगढ़ फार्म को 15 से 20 लाख रुपए वार्षिक का घाटा हो रहा है। फार्म को कुछ वर्षों में तो निवल घाटा हुआ किन्तु अन्य वर्षों में उसको निवल लाभ हुआ। सन् 1966–67 में फार्म को 18 लाख रुपए से अधिक का निवल लाभ होने की आशा है। फार्म को नियमित रूप से अधिक लाभ न होने का मुख्य कारण बारहमासी सिंचाई की कमी है। सन् 1970–71 के बाद ही पूरी सिंचाई होने की सम्भावना है।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

2207. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम सरकार को दिए गए अनुदेशों का पालन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें क्रियान्वित करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग): भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों को क्रियान्विति में आसाम सरकार ने कुछ कठिनाइयाँ जाहिर की हैं। इस मामले में राज्य सरकार को और आगे सलाह दी गई है। यह आशा की जाती है कि अब राज्य सरकार उस सलाह के अनुसार कार्य करेगी। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

मनीपुर में चीनी की कमी

2208. **श्री मेघचन्द्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में खुले बाजार में चीनी की कीमत 3 रुपए अथवा 3 रुपए प्रति किलो तक चढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में मनीपुर के लिये कितनी चीनी आवंटित की गई थी और उक्त अवधि में वस्तुतः उसे कितनी चीनी दी गई?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख): 23 नवम्बर, 1967 तक चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण लागू था। 23 नवम्बर, 1967 को खुले बाजार में दी गई चीनी को मनीपुर पहुंचाने में समय लगेगा।

(ग) मनीपुर को 1965–66 और 1966–57 (अप्रैल-मार्च) के वर्षों में आवंटित तथा दी गई चीनी की मात्रा इस प्रकार है:—

1965–66	1986.5 मीटरी टन
1966–67	2223.5 मीटरी टन

मणिपुर में धान तथा आलू के बीजों का क्रय

2209. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर सरकार ने 1966–67 तथा 1967–68 के लिए धान (जिसमें अधिक उत्पादनशील किस्में भी शामिल हैं) तथा आलू के कितने बीजों की मांग की है;

(ख) इस कार्य पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि गोदामों में भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण आलू के काफी बीज खराब हो गए तथा वे बिल्कुल प्रयोग में न लाये जा सके; और

(घ) प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में बीज बोये गए और कितनी उपज हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 1966–67 तथा 1967–68 के लिए धान (जिसमें अधिक उत्पादनशील किस्में भी शामिल हैं) तथा आलुओं के बीजों की निम्नलिखित मात्राओं की व्यवस्था की गई थी :—

	1966–67	1967–68
	(क्विंटलों में)	
धान	78.92	57748
आलू	332.68	35.00
	(प्रबन्ध किया जा रहा है)	

(ख)

	1966–67	1967–68
	(रुपयों में)	
धान	6,822	52,129
आलू	40,359.37 पैसे	(अभी तक कुछ नहीं)

(ग) जो नहीं वितरण से पहले परिवहन तथा भण्डारण के समय सूखने व सिकुड़ने के कारण 17.09 क्विन्टल की हानि हुई है ।

(घ) बोये गए बीजों व वर्षवार अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है:—

(क्विन्टलों में)

	1966–67		1967–68	
	लगाई गई पौध की मात्रा	अनुमानित उत्पादन	लगाई गई पौध की मात्रा	अनुमानित उत्पादन
धान	78.92	1970	577.48	46548
आलू	315.59	1018.64	अभी पौध नहीं लगाई गई	

ट्रंक कालों के लिये मीटर

2210. **श्री बि० ना० शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन ट्रंक कॉलों को रिकार्ड करने वाले नए मीटर शीघ्र लगाये जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं; ट्रंक कालों को रिकार्ड करने के लिये नए मीटर नहीं लगाये जा रहे हैं तथापि "चार्ज इंडेक्टर" लगाने का प्रस्ताव है। ये "चार्ज इंडेक्टर" ऐक्सचेंजों के मीटर रूम में लगाये जायेंगे तथा ये इंडेक्टर टेलीफोन प्रयोगता द्वारा अपने टेलीफोन से की गई एस० टी० डी० कालों के एककों (15 पैसे का) को रिकार्ड करेंगे।

(ख) इंचार्ज इंडेक्टर" के डिजाइन को डाक तथा तार अनुसंधान केन्द्र द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनका वास्तविक परीक्षण करने के लिये मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को थोड़े से इंडेक्टर बनाने का आदेश दे दिया गया है। आशा की जाती है कि आगामी कुछ ही महीनों में ये उपलब्ध हो जायेंगे। इनका प्रथम परीक्षण दिल्ली में किया जायेगा। यदि यह परीक्षण सफल रहा तो धीरे-धीरे यह सुविधा किराये के आधार पर भावी प्रयोगताओं को दी जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनाँक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1646 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1647 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1648 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (छटा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनाँक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1649 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1743/67]**

सूती कपड़ा कम्पनियाँ उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन विधेयक–जारी

COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RECONSTRUCTION) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय: अब सभा सूती कपड़ा कम्पनियाँ (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी, चूंकि खण्डों पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, मैं समझता हूँ सभा सभी खण्डों पर एक साथ विचार कर सकती है।

Shri Madhu Limaye (Mongyr) : Sir, If you take all the clauses together we will not have a systematic discussion on them. We should, therefore, take up clause by clause consideration of the Bill.

अध्यक्ष महोदय: तब मैं पहले खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was Added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

खण्ड 3 और 4

श्री दामानी (शोलापुर) : जिन मिलों की हालत खराब है, उनका प्रबन्ध अपने हाथ म लेते समय, छोटे-छोटे शहरों में स्थित मिलों को वरीयता दी जानी चाहिये। क्योंकि ऐसे शहरों के सभी लोग (श्रमिक वर्ग) उस मिल अथवा उद्योग पर ही निर्भर रहते हैं। बड़े शहरों में कई अन्य उद्योग होते हैं और यदि कोई बन्द हो जाता है, तो उन्हें दूसरा काम मिल सकता है किन्तु छोटे शहरों में जहाँ केवल एक-दो मिलें होती हैं स्थिति बिल्कुल ही उल्टी होती है और मिल के बन्द हो जाने पर वे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए खण्ड 3/4 में ऐसे मिलों को वरीयता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये और यदि ऐसा करना संभव न हो, तो फिर वहाँ नई मिलें लगाई जानी चाहिये।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : जब सरकार किसी उद्योग, मिल अथवा फर्म को अपने हाथ में लेती है तो और उसे चलाती है, तो यदि उसमें कोई नफा होता है तो सरकार खुशी से उसका लाभ उठावे लेकिन इसके साथ-साथ यदि उसमें घाटा होता है तो उसे भी खुद सहन करे न कि उसे अंशधारियों पर डालना चाहिए। अंशधारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए दूसरी बात यह है कि मिलों को इस तरह अपने हाथ में लिये जाने का अर्थ है उनका अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण उद्योग अथवा विभिन्न मिलों को समुचित सहायता देने के बदले ताकि वे आधुनिक मशीनरी की व्यवस्था कर सकें, अपना निर्यात बढ़ा सकें और अपनी कार्य-प्रणाली में सुधार कर सकें, सरकार उन्हें अपने हाथ में लेने की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा,

वह इन मिलों से, जिनकी हालत खराब है, लाभ कैसे कमा सकती है, जब कि अच्छे-अच्छे सरकारी उपक्रमों में, जहाँ नई मशीनरी है, समुचित रूप से काम नहीं हो रहा है और उनसे, उनपर लगाई गई पूंजी का, समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। परिणाम यह होगा कि इस उद्योग की हालत और भी बिगड़ेगी और एक दिन उसकी सारी मशीनरी हटानी पड़ेगी। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करे और विधेयक में यह व्यवस्था करे कि लाभ अथवा हानि, जो हो, वह सरकार को होगी।

श्री स० मो० बनर्जी: (कानपुर) : मिलों में कुप्रबन्ध के कारण श्रमिकों तथा अंशधारियों, दोनों को ही हानि उठानी पड़ती है मिल-मालिक ऐश उड़ाते हैं। वास्तव में विवियन बोस आयोग प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से प्रकाश डालता है। हमारा सरकार से केवल यह अनुरोध है कि वह इन दुर्बल मिलों के साथ कुछ अच्छे मिलों का प्रबन्ध भी अपने हाथ में लें, इसके अलावा नितान्त आवश्यकता इस बात की है कि इन मिलों में, जिन्हें सरकार अपने हाथ में लेगी, तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए जायें, न कि सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अथवा आई० ए० एस० पदाधिकारी, जिन्हें इस उद्योग के बारे में तकनीकी जानकारी नहीं होती।

Shri George Fernendes (Bombay South) : Clauses 3 & 4 do not make it clear that what steps will be taken by the Government in respect of those mills which are on the verge of closure, and they also do not make it clear that whether it was desirable on the part of the Government to clarify the position in regard to the proposed steps to be taken as quite a good number of mills in the country has stopped functioning and they have closed down. Since last year, when we learnt that the Government proposed to take over mills and establish a corporation for the purpose, the labour community and also those who are connected with the labour, looked forward with the hope that the new measure would bring some consolation and give them some relief and assistance. They thought that the Government would immediately take over those mills which had closed down. But contrary to their expectation, the Bill disappointed them ; added to this the provisions of the Bill have rather created an apprehension in their mind that the the Government will never take over these mills now. I would, therefore, request the hon. Minister to clarify the position in this regard.

Clause 4 does not assure us that the mills falling under a certain category or facing a certain situation shall be taken over. Language and terms used in the clause are vague and do not clarify the position. It is said that if the Central Government on receipt of the report from the authorised person is satisfied that the financial condition and other circumstances, of the textile company are such that the textile company is not in a position to meet its current liabilities out of its current assets, that Government may, if it consider it necessary, or expendient in the public interest, by order, decide that the undertaking should be sold as a running concern.....who is the 'authorised person? Similarly the term "public interest" is not clear. But under this clause, 'the authorised person' has been entrusted with a very heavy responsibility. I would request the Hon. Minister to make it clear that how many persons or a groups of persons will he entrusted with the responsibility of preparing the report in respect of a mill which is closed and whether they are ready to run it after its take-over.

So far as the term "reconstruction" is concerned, we fail to understand what it meant. Besides, the work of reconstruction has been left to the official directors, which is not desirable. We wanted the Governemnt to take over all the mills whether sick or good ones so that the profits could make the losses good. These clauses do not satisfy us.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रस्तुत विधेयक संविधान की धाराओं का हनन करता है क्योंकि उससे सम्पत्ति तथा कब्जे के अधिकार की उपेक्षा होती है। विधेयक को उसके वर्तमान रूप में पारित किये जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 31 (क) के अन्तर्गत समुचित

मुआवजा देकर अंशधारियों की सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए अन्यथा उस पर गंभीर कानूनी तथा संवैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है।

खण्ड 4 में जो व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में कम्पनी कानून अधिनियम में पहले ही पर्याप्त अनुबन्ध हैं और उसमें अंशधारियों के अधिकारों तथा ऋणदाताओं के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की गई है फिर दुहरा कानून बनाने की क्या जरूरत है। यह बात महसूस करनी जरूरी है कि मिल श्रमिकों के लिये नहीं अपितु पहले उनके लाभ के लिये हैं जिन्होंने कुर्बानी की है और पूंजी लगाई है, श्रमिकों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है किन्तु यह बात भी महसूस करनी जरूरी है कि उनके, जिन्होंने मे मिल खड़े किये हैं अथवा उन पर पूंजी लगाई है, हितों का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 4 में 'लोक हित' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो स्पष्ट नहीं है, इसका एक और अर्थ निकाला जायेगा 'केवल मजदूरों का हित' और दूसरी ओर सरकार तथा सरकार के वृष्ट पदाधिकारी वह अर्थ निकालेंगे जिसे वे 'लोक हित' समझते हैं, इन शब्दों को बदलना जरूरी है। किसी मिल को विशेष आधार पर ही अपने हाथ में लिया जाना चाहिए।

विधेयक में अंशधारियों के हित की जो बात कही गई है, वह निर्मूल है क्योंकि उसमें ऋण दाताओं, मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों के हितों का ध्यान पहले रखा गया है और उन्हें प्राथमिकता दी गई है। जहाँ तक कपड़ा मिलों का समुचित प्रबन्ध करने का सम्बन्ध है, हमारे पास ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जहाँ सरकारी प्रबन्ध नाकामयाब सिद्ध होता है और सरकारी उपक्रम 102 प्रतिशत लाभ नहीं कमा सकते हैं। यदि उनका समुचित प्रबन्ध कोई कर सकता है, तो केवल वे ही लोग कर सकते हैं, जिनकी वह सम्पत्ति है और न कि सरकार अथवा अधिकारी लोग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रस्तुत विधेयक के खण्डों से हम संन्तुष्ट नहीं हैं। उसके एक पहलू से हमें अत्यधिक परेशानी है। इस सम्बन्ध में मैं एक ऐसे कपड़ा मिल का विशिष्ट उदाहरण देना चाहता हूँ जो गत 19 महीनों से बन्द है। यह न्यू भोपाल टेक्स्टाइल मिल है, जो आधुनीकृत मिल है और उसमें नई मशीनरी लगी हुई है और इस मिल के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें वातानुकूलन तथा आर्द्रीकरण की सबसे आधुनिक व्यवस्था है। यह मिल कानपुर की प्रसिद्ध कनसर्न, श्री जे० पी० श्रीवास्तव का है। वह इसे नहीं चला सके; क्यों—इसका किसी को पता नहीं। जाँच प्रतिवेदन से क्या पता लगा, इस बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। इसके बाद इस मिल को सरकार द्वारा नियुक्त अधिकार प्राप्त नियत्रंक ने अपने हाथ में ले लिया। अधिकार प्राप्त नियंत्रक मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त को नियुक्त किया और जो तीन-चार महीनों में 15–20 लाख रुपये खर्च करके बैठ गया और मिल नहीं चला सका और तब से यह मिल बन्द पड़ी है।

अब एक और विचित्र स्थिति, जैसा कि मुझे बताया गया है, पैदा हो गई है। एक गैर सरकारी पार्टी इस पर पूंजी लगाने तथा उसे चलाने के लिये तैयार हो गई है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और सम्बन्धित कागजात अन्तिम स्वीकृति के लिये केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के पास भेजे गये हैं जिन पर किसी कारण फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है और प्रस्तुत विधेयक से उसे प्राप्त शक्तियों के जरिये उसका विचार किसी ऐसे मिल को वास्तव में अपने अधिकारी में लेने और उसमें ऐसा विशेषज्ञ नियंत्रक अथवा निकाय नियुक्त करके, जिसे उद्योग के बारे में पर्याप्त जानकारी हो और जो वस्तुतः उसका प्रबन्ध कर सके, समुचित रूप से चलाने का है। ऐसे मिल के जिसमें आधुनिक मशीनरी हो और जो सुचारुरूप से चल रहा हो, बन्द रहने का कोई कारण नहीं, इस बारे में हम मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjan): Mr. Deputy Speaker, about clauses 3 and 4 of this Bill I have only to submit that government want to take over all the mills but our past experience has been that all the mills taken over by government suffered badly. Such offiers are appointed who do not have any background of the textile industry for example one person was appointed in the Hira Mills of Ujjain, who does not know even what is a spring, what is weaving, what is a frame. Only experienced persons should be appointed. Government should give up the idea of taking over all the mills.

Government should see to it that the money advanced to the sick mills should not be misused. The Controller appointed for the Rajdan Mill is using the funds of the Mills for purchassing land and is establishing other factories. I may repeat that taking over of all mills by government will be determiental to the interest of the country. I believe if government says to the workers that you are the real owners they will produce more and the quality will also be better.

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी (नागौर) : खण्ड 4 में यह बहुत अनुचित उपबन्ध है कि सरकार प्राधिकृत नियंत्रक को यह अधिकार देना चाहती है कि यदि किसी वर्ष में कोई कपड़ा मिल अपनी चालू आस्तियों में से चालू दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो, तो उसे अपने अधिकार में ले लें। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहाँ चालू वर्ष में हड़ताल अनबिके माल तथा अन्य कारणों से ऐसी व्यवस्था संभव नहीं होती। इन धाराओं को तभी लागू किया जाना चाहिए जब प्रबन्धक ठीक प्रकार से मिलों को चलाने के इच्छुक न हों और गलत तरीके अपना रहे हों। ऐसी व्यापक उपबन्ध होना चाहिए।

Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**). An hon. Member Shri Labo Prabhu said that the clause of this Bill are against the Constitution. There is a set procedure for deciding it. Shri George Ferandes suggested taking over of some efficient mills, which will be surely nationalisation. We will have to bring forward a separate legislation for that purpose. In the present bill it will be open to Government to take over the mills permanently or purchase them.

We have brought forward this legislation with a view to benefit the labour as well as the shareholders. Shri Kothari pleaded that in case these sick mills still suffer a loss, it should be borne by Government. Does he means to say that on the same analogy the persons managing these mills earlier should make up the previous losses? After all we are taking over sick mills. We do not have a magic wand that will turn these mills immediately into profitable units. I am unable to understand his plea. As regards non-submission of accounts, if any specific case come to the konwledge of Government....

Shri Hukam Chand Kachwai : You may note down the name of Bengal Nagpur Cotton Mills.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : लक्ष्मीरतन कॉटन मिल के बारे में जाँच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया है।

Shri Dinesh Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have already stated that we will look into it. We will certainly pay special attention to small mills as suggested by Shri Damani. We have brought forward this legislation for setting up a corporation to overcome the difficulties being faced by this industry and to safeguard the interests of the labour and the country.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: "कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 3 and 4 were Added to the Bill

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 5 was Added to the Bill

खण्ड 6

Shri George Fernandes (Bombay South): I think the main idea behind clause 6 is the appointment of directors by Government at the time of reconstruction. I will suggest that the old directors should not be retained. I find that the sphere which is not profitable is taken over by Government for the benefit of the private sector. We are not interested in this form of nationalisation. I would suggest labour participation in management as they are in a better position to suggest concrete measures for improvement becuase they are fully conversant with the working. I do not think the interests of the country and the labour differ in any way.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): इस विधेयक के पारित होने के बाद किसी गैर-सरकारी कम्पनी अथवा फर्म के कर्मचारियों को, जिन्हें निर्वाह व्यय सूचक अंक के अनुसार महंगाई भत्ता मिल रहा था, यह कहा जा सकता है कि देश के हित में कर्मचारियों को कुछ त्याग करना पड़ेगा ही और इसलिये केवल 50 प्रतिशत ही अतिरिक्त भत्ता मिलेगा इसलिये हम यह आश्वासन चाहते हैं कि कर्मचारियों को सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। कर्मचारियों को कम नहीं बल्कि कुछ अधिक ही मिलना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr Deputy Speaker, I will like a guarantee from the Government that the workers of these mills will get the same wages as the other workers in the centre are getting. Secondly, only the people experienced in the line should be appointed and the people responsible for the said state of affairs should not be retained. Government should try to enlist the full cooperation of workers as it will be in the interest of the mills.

श्री लोबो प्रभु (उदोपी): श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा कि श्रमिक सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रमिक तो 50 करोड़ में से केवल 60 लाख हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सरकार भागीदारों के अधिकारों और हितों को कम कर सकती है जिसके बारे में खण्ड 6 है। यह तो दीवानी न्यायालय का काम है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर): यदि वाणिज्य मंत्री चाहते हैं कि इस निगम को सफलता मिले और ये मिलें सुव्यवस्थित हो जायें, तो मेरा सुझाव है कि कपास मिलों के कार्य से सुपरिचित और उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों का एक पुंज बनाया जाये और विदेशों से भी कुछ तकनीकी व्यक्तियों को बुलाया जाये।

श्री मेहता (भावनगर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। परन्तु मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि इसको ठीक प्रकार से तथाशीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा क्योंकि संसद् द्वारा यह विधेयक पारित किये जाने के बाद भी कुछ मालिक ठीक व्यवहार न करें। सरकार को तुरन्त नियम बनाने चाहिए और मिलों को अपने अधिकार में लेना अथवा पुनर्निर्माण का काम शीघ्र करना चाहिए।

श्री नन्द कुमार सामानी (नागौर) : प्रथम तो मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज के सुझाव का समर्थन करता हूँ कि इन कम्पनियों के बोर्डों का पुनर्गठन करते समय श्रमिकों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। दूसरे खण्ड 6 (च) के अन्तर्गत सरकार ने कम्पनी के भागीदारो और ऋणदाताओं के हित अथवा अधिकारों को कम करने की एकतरफा शक्ति ले ली है। लेखों के सिद्धान्तों, समापन की सामान्य प्रक्रिया आदि का वैज्ञानिकन किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : इस विधेयक के अन्तर्गत कोई इकतरफा कार्यवाही नहीं की जायेगी। न्यायालय सब पर विचार करेगा। श्री लोबो प्रभु द्वारा लगाये गये इस आरोप को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि न्यायालय की उपेक्षा की जायेगी। उन्होंने विधेयक को बिना पढ़े ही ऐसा किया है। कर्मचारियों के हितों के बारे में मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि उनकी रक्षा करने का हमारा इरादा है। मिलों को ठीक ढंग से चलाने में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। पुराने निदेशक के बारे में मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि उनमें से किसी को भी नहीं रखा जायेगा। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी लोगों को नहीं रखा जायेगा।

मैं अनेक अवसरों पर कह चुका हूँ कि हम एक ऐसा निगम बना रहे हैं जिसमें इन मिलों को चलाने के लिये विशेषज्ञ होंगे। उनका प्रबन्ध नौकरशाहों के हाथ में नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इन बारे में हमें विदेशी विशेषज्ञों से कुछ सीखना है;

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was Added to the Bill

खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 7 to 10 was Added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड" 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was Added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक की प्रस्तावना और नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक की प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

CLAUSE 1, THE ENACTING FORMULA, PREAMBLE AND TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० लोक-सभा पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Reassembled After Lunch at Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी: हम इस विधेयक से सन्तुष्ट नहीं हैं। हम इसका स्वागत करते हैं कि यह मिलों को अपने अधिकार में लेने की दिशा में एक कदम है। इन मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तथा कुछ अच्छी मिलों को भी अधिकार में लेना चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आश्वासन दें कि कपड़ा निगम बनेगा और कुछ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

श्री दामानी (शोलापुर) : महोदय, विधेयक में सरकार को रिपोर्ट करने में समय की सीमा निर्धारित करनी चाहये क्योंकि यदि कोई मिल बन्द हो गयी तो कर्मचारी बेकार हो जायेंगे और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मशीनों का भी कोई प्रयोग नहीं होगा और उन्हें जंग लग जायेगी। इस कारण इसका समय निर्धारित होना चाहिये।

मूल्यांकन के समय किसी अधिकृत लेखापाल अथवा किसी लागत लेखापाल अथवा मिल मालिकों की संस्था के किसी व्यक्ति को भी समिति में रखना चाहिये।

एक ऐसी योजना बनाई जाये जो इन कारखानों की सहायता करे जो संकट में हैं। इससे इंजिनियरिंग उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पाकिस्तान में 60 % कारखानों का नवीनकरण हो गया है और हाँगकाँग में 100% कारखानों का नवीन करण हो गया है। परन्तु भारत में केवल 12½% कारखानों का ही नवीनकरण हुआ है। इसके कारण लागत व्यय बहुत बढ़ गया है। इस विषय को हमें महत्व देना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Mr. Deputy.Speaker, the hon. Minister yesterday stated that the wages of workers would not be decreased as a result of taking over of mills by the Government. I want to tell that in the mills in Maharashtra and Bombay which have been taken over by the Government the wages of workers have been affected. Hence I want a categorical assurance from him that it will not be done in future.

About the mills which are running in loss I have to tell him that it is mostly due to mismanagement. The India United Mill in Bombay is being run by the Administrator appointed by the Government. In his report he stated that in order to keep the mills running, cotton had to be purchased at prices which were much above the ceilings. The responsibility for running mills at loss rests on mill owners and not on the workers.

I want to know from the hon. minister as to what he is going to do with those mill owners who are responsible for mismanagement in mills? Ordinary employees are punished for dereliection of duty. I therefore wish the Government to punish the mill owners who have caused mismanagement in mills.

According to Shri Khandubhai Desai, the mill owners between 1940 and 1946 made profit of Rs. 372 crores and it was not given to employees. That money remained unaccounted and will remain ever so. These 75 persons who are mill owners should be shown no leniency by the Government.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Deputy Speaker, I want the Government to always detect the reason which lead to the running of a mill into losses. What mostly happens is that the mill owners divert the profits of their mills to other business. This results in the running of mills into losses.

Certain unpatriotic elements create disturbances in the mills. Government should deal with them properly.

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय जो प्रश्न इस चर्चा में उठाये गये उनका उत्तर लगभग मैंने पहले ही दे दिया है। जहाँ तक मिलों की निधियों के प्रबन्ध का प्रश्न है, सदन को पहले ही पता है कि कम्पनी विधि प्रशासन इन सब मामलों की जाँच कर रहा है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य मिलों को वैसे ही अपने हाथ में लेने का नहीं है। हम किसी मिल को केवल उस समय अपने हाथ में लेंगे जब वह ठीक रूप से चलाया ही नहीं जा सकता हो।

निगम अभी स्थापित होना बाकी है और उसके स्थापित होने से पहले ही यह कहना उचित नहीं कि वह ठीक कार्य नहीं कर सकेगा। सरकार का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना तथा लोगों को रोजगार देना है। हमें आशा है कि हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि विधेयक पास किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

करारोपण विधियाँ संशोधन विधेयक—1967

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—1967

उपाध्ययक्ष महोदय : अब हम करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि धन कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 तथा आय कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

महोदय इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकारी साधनों में बढ़ोत्री करना है। यह कार्य मध्यम तथा ऊँचे वर्ग के लोगों से अधिक धन एकत्रित करना है ताकि वह अपने मनोरंजन कार्यों पर कम व्यय करें।

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत गैर-निगमित कर देने वालों को वार्षिकी जमा करानी होती है। यह राशि अब 20% बढ़ाने का विचार है। जिनकी आय 15,000 रु० और

20,000 रु० के बीच है उनपर पहले 5 प्रतिशत लिया जाता था परन्तु अब 6 प्रतिशत लेने का विचार है। जिनकी आय 20,000 रु० और 40,000 रु० के बीच है उन पर अब 7½ प्रतिशत के स्थान पर 9% कर लगाने का विचार है। जिनकी आय 40,000 रु० और 70,000 रु० के बीच है उन पर 10% की बजाये 12% कर होगा। जिनकी आय 70,000 रु० से ऊपर है उन पर अब 12% की बजाये 15% कर लगेगा।

अब यह भी अनिवार्य है कि जो 25,000 रू० आय वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी वार्षिक जमा कराना होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर अधिक कर लगेगा।

आय कर अधिनियम पहले ही कारोबार करने वालों पर मनोरंजन कर लगता है। यह राशि 170 लाख रु० अथवा उससे अधिक पर 60,000 रु० है विधेयक में यह राशि 50% कम करने का विचार है।

महोदय, मुझे आशा है कि इस विधेयक का सारे दल समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ: "कि धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा आय कर अधिनियम 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नारायण बांडेकर (जामनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का कई कारणों से विरोध करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिए अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोक सभा का सत्र दो मास बाद होने वाला था और अध्यादेश जारी करने का अर्थ यह है कि दो मास की अवधि के लिये रुकना सरकार के लिये उचित नहीं था। इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि इस अवधि में सरकार ने अध्यादेश के कारण कितनी राशि की बचत कर ली है ?

मेरे विचार में सरकार जनता को यह दिखाना चाहती थी कि गजेन्द्रगड कर आयोग की सिफारिशों के कारण उन्हें जो महंगाई भत्ता देना पड़ा उसके लिये वह कुछ राशि यहाँ से प्राप्त करना चाहती थी।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं यह तो स्वयं मानता हूँ कि यदि सरकार ने कर निर्धारित किये हुए हैं और जनता उन्हें अदा नहीं करती है तो उन पर ब्याज लगना चाहिये। इसके बारे में विधेयक में उल्लेख है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो व्यक्ति कर रोकता है उस पर ब्याज लगना ही चाहिये। परन्तु सरकार ने ब्याज की राशि अधिक बढ़ा दी है और यह उचित नहीं है।

मंत्री महोदय ने वार्षिक जमा की राशि भी बढ़ा दी है। अब से पहले तो सरकार का कहना था कि वह वार्षिक जमा केवल बचत प्रोत्साहन के लिये करती थी परन्तु इस विधेयक से ऐसा पता चलता है कि सरकार अपने आप को तथा जनता को मूर्ख बना रही है। इसके कारण बचत होगी अथवा बचत को अन्य कार्यों में लगाया जायेगा ? पहले तो हमसे कहा गया था कि यह बचत के लिये है।

मनोरंजन खर्च के बारे में कुछ सख्ती की है। कुछ नियंत्रण करना तो बुरा नहीं था परन्तु सरकार इसमें भी सीमा से आगे चली गई है। क्या सरकार मनोरंजन पर व्यय नहीं करती है सरकार स्वयं विदेशी अतिथियों पर व्यय करती है क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि खातिरदारी से कार्य सरल हो जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वयं वाणिज्य तथा उद्योग को बढ़ाना नहीं चाहते। हम बार-बार गरीबी का उल्लेख करते हैं। सरकार ने जो उपबन्ध इस विधेयक में पेश किये हैं उनकी मुझे वर्तमान वित्त मंत्री से आशा नहीं थी।

इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : सभा के सामने विचाराधीन विधेयक एक विकासशील राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभादयक है। इसमें देश की आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से कर से राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था की गई है यद्यपि इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। इस विधेयक की क्रियान्विति इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे करदाताओं को भार प्रतीत न हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने ब्याज की दर बढ़ाये जाने पर आपत्ति की है, मैं समझता हूँ कि ऐसा करना करदाताओं और आयकर विभाग, दोनों के लिए लाभदायक है। इसमें समय पर कर की अदायगी न किये जाने पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा और इसके साथ ही इसमें यह व्यवस्था भी है कि करदाता द्वारा अधिक जमा की गई कर की राशि को आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय पर न लौटाये जाने की स्थिति में करदाता को तीन प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। कर का समय पर भुगतान न करने पर कठोरता से काम लिया ही जाना चाहिए। यह कहना अत्यन्त अनुचित है कि सरकार इस विधेयक द्वारा सूदखोर का कार्य कर रही है। सरकार ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो करदाता और सरकार दोनों के लिए लाभदायक है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है जिससे उद्योगपति मनोरंजन पर पहले की तुलना में कम धन व्यय कर सकेंगे। उनका कहना है कि इससे कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मनोरंजन पर धन व्यय करने के बहाने आयकर से बचने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और स्पष्ट है कि कारोबार उत्पादन किये जाने वाले माल की किस्म में सुधार करके किया जाता है न कि मनोरंजन पर अधिक धन व्यय करके। अतः मनोरंजन व्यय कम किये जाने का समर्थन करता हूँ।

वार्षिकी जमा योजना से पूंजी स्थापना में बाधा पड़ी है अतः यह योजना समाप्त की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि मृत्यु कर बढ़ाया जाये जिससे संचित पूंजी का उपयोग संचय करने वाला ही व्यक्ति कर सके। इस पूंजी का उत्तराधिकारियों को अनअर्जित लाभ नहीं मिलना जाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सरकार द्वारा बार-बार इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके फिर उन्हें संसद की स्वीकृति के लिये विधेयक के रूप में सभा के सामने लाना उचित नहीं है। प्रायः देखने में आया है कि सरकार छोटी-छोटी बातों के लिये भी अध्यादेश जारी करती है और फिर उसे संसद के सामने लाती है। प्रजातंत्र में अध्यादेश केवल आपतिकालीन स्थिति में देश में आन्तरिक अशान्ति और अव्यवस्था के समय ही अपरिहार्य होने पर जारी किया जाना चाहिए।

मैं सभा के विचाराधीन इस विधेयक का विरोध करता हूँ। यह दुःख की बात है देश के सभी वर्गों द्वारा इसका विरोध किये जाने पर भी सभा के सामने लाया गया है। वार्षिकी जमा योजना के सभी लोग विरोध में है फिर मेरी समझ में नहीं आता क्यों इस योजना पर इतना जोर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ससे सरकार का आशानुकूल धन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री भूतलिंगम ने इस योजना के बारे में अपनी सिफारिशों में स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है और इस योजना को

चालू वर्ष में समाप्त करने की सिफारिश की है किन्तु सरकार ने इस सिफारिश की उपेक्षा की है। सरकार पहले तो ऐसे विषयों की जाँच कराने के लिये समिति नियुक्त करती है किन्तु बाद में सिफारिशों को नहीं मानती है। इस प्रकार राष्ट्रीय धन का अपव्यय होता है। वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ष जुलाई में यह संभावना व्यक्त की थी कि हो सकता है कि यह योजना अगले वर्ष समाप्त कर दी जाये। किन्तु इस आश्वासन के बावजूद इस वार्षिक जमा योजना की दर बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार जनता सरकार में कैसे अपना विश्वास बनाये रख सकती है। जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री ही अपने द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।

पिछले दस वर्षों में कर अपवंचन के मामले में वृद्धि का कारण यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के करों में इस अवधि में असाधारण वृद्धि की गई है। जो लोग कल तक ईमानदार थे वे आज थोड़ी बहुत बेईमानी करने लगे थे और जो लोग पहले थोड़ी बहुत बेईमानी करते थे वे अब अधिक बेईमान हो गये है। लोगों के इस नैतिक पतन का बहुत कुछ उत्तरदायित्व आज तक के प्रायः सभी वित्तमंत्रियों पर है क्योंकि उन्होंने कर सम्बन्धी नीति में विवेक से काम नहीं लिया।

यह विधेयक बहुत पेचीदा है। इस विधेयक में किये जा रहे उपबन्ध के अनुसार वार्षिकी जमा योजना की राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझ में नहीं आता कि यह रकम किस प्रकार सरकार को प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस अतिरिक्त राशि का प्रयोग सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए करेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आज मध्य आय वर्ग के लोगों की दशा करों तथा मुद्रा स्फीति के कारण शोचनीय है। उनके लिए अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही बहुत कठिन हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों की इस प्रकार की शोचनीय दशा को देखते हुए सरकार को यह योजना समाप्त कर देनी चाहिए।

जिन व्यक्तियों की आय में 104 प्रति-वर्ष अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि होती है उन लोगों पर इस वार्षिकी जमा-योजना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि इस जमा राशि पर कर लगता ही जायेगा। इस योजना की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इस पर अधिक व्यय होता है और करदाता के लिए भी यह राशि जमा करना सरल कार्य नहीं है। इसमें जमा करता को हर महीने का ठीक-ठीक हिसाब रखना पड़ता है। यदि वह किसी महीने भूल से हिसाब नहीं रख पाता तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है और उसे कर अपवंचन के लिए दण्ड का भागी बनना पड़ता है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस योजना की प्रक्रिया ही आदि से अन्त तक जटिल है। इस योजना से जमा करने वालों को तो कठिनाई होती ही है किन्तु सरकार द्वारा भी इसका हिसाब-किताब रखना आसान काम नहीं है, अतः वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस योजना पर पुनर्विचार करके इस योजना को समाप्त करने के लिए उचित कार्यवाही करें।

श्री न० कु० सोंधी (जोधपुर): इस विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में बताया गया है कि यह विधेयक संसार के वित्तीय साधनों में सुधार करने के लिए लाया गया है। यह खेद की बात है कि सरकार सोच-समझकर तथा दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए किसी विधेयक को सभा के सामने नहीं लाती। यही कारण है कि अब तक आयकर अधिनियम में दो सौ से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं। यदि देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया होता तो किसी एक विधेयक में इतने संशोधन करने की आवश्यकता न रहती। हमें केवल कानून पर कानून ही बनाते

नहीं रहना चाहिए बल्कि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बनाये गये कानून का उचित तथा सम्यक् रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ समय पूर्व श्री मधुलिमये के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि देश के सात सौ से अधिक व्यक्तियों की ओर आयकर की पाँच लाख रुपये से भी अधिक बकाया राशि थी, और उसमें यह भी बताया गया था कि कर की बकाया राशि के मामले न्यायालयों में निर्णय के लिए काफी समय से पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि ये मामले इतने समय तक अनिर्णित क्यों पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ एक गतिशील प्रजातंत्रात्मक देश इस तरह अधिक प्रगति नहीं कर सकता है।

मैं विशेष रूप से इस विधेयक के खण्ड 146, 147(क) और 251 (1) की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इनमें आयकर के मामलों को फिर से चलाने के लिए समय सीमा निश्चित की गई है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि आयकर विभाग अथवा सरकार के लिए इन मामलों का निपटारा करने के बारे में कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यह करदाता के लिए बहुत ही असुविधाजनक बात है। आयकर के मामलों को दुबारा आरम्भ करने के लिये करदाताओं को कोई कारण नहीं बताये जाते हैं। कभी-कभी तो बिना कारण बताये ही करदाता से स्पष्टीकरण माँग लिया जाता है।

यदि वास्तव में सरकार साधनों में सुधार करना चाहती है तो उसे त्यागी समिति की उन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार करना चाहिए जिनमें आयकर के किसी मामले को निपटाने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। दो वर्ष की अवधि नियुक्त किये जाने से करदाता को भी यह ज्ञात रहेगा कि उसे वास्तव में कितना कर देना है। यह दुख की बात है कि आयकर के मामले का निबटारा निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है।

इतना ही नहीं अपितु आयकर विभाग तथा राजस्व बोर्ड का कार्य करने का तरीका भी अच्छा नहीं है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड किसी विषय में लोगों द्वारा पूछी गई जानकारी तक नहीं देता है। करदाताओं को ही नहीं अपितु यह बोर्ड कानून के प्रवर्तन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूछी गई जानकारी भी नहीं देता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई जा सकती है और आयकर के मामलों को निपटाने में बहुत समय लग जाता है।

करदाताओं और आयकर वसूल करने वाले अधिकारियों के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिए किन्तु होता इसके विपरीत है। करदाताओं तथा सम्बन्धित अधिकारियों के अच्छे सम्बन्ध नहीं रहते हैं। यह भी एक स्वस्थ परम्परा नहीं है कि अधिकारियों का बार-बार स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं।

कई मामलों में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है। इससे आयकर दाताओं पर जुर्माना करने में गलती हो सकती है। इस प्रश्न पर प्रशासन से अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिए और करदाताओं की सुविधाओं का कोई मार्ग निकालना चाहिए। मंत्रालय द्वारा अन्य कई बातों पर भी ध्यान दिये जाने की भी आवश्यकता है। कर चालान की पद्धति अच्छी नहीं है। इससे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। चालान के खोने की आशंका भी हो सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि इसके लिये पास बुक रखने की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिये जिसे करदाता सत्यापन के लिए आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभा में पहले यह भी कहा गया है कि आयकर का हिसाब लगाने की प्रणाली बड़ी कठिन है और बार-बार आयकर सम्बन्धी कानून में संशोधन कर उसे और भी अधिक कठिन बनाया जा रहा है। विवाहित तथा दो बच्चों वाले व्यक्तियों को आयकर में थोड़ी छूट दी जाती है। आयकर कानून

को सरल बनाया जाना चाहिये जिससे सम्बन्धित अधिकारी उसे अच्छी तरह लागू कर सकें। करदाताओं को तंग नहीं किया जाना चाहिये।

पिछले वित्त विधेयक पर चर्चा के समय इस सभा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भूतलिंगम समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। इस समिति की एक सिफारिश वार्षिकी जमा योजना को समाप्त करने के बारे में भी थी। वार्षिकी जमा योजना की प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि इसके विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार का हिसाब-किताब करना पड़ता है। वित्त मंत्री महोदय ने भूतलिंगम समिति की सिफारिशों पर विचार करने का आश्वासन दिया था किन्तु उनकी अब नितान्त उपेक्षा ही की गई है और आज यह विधेयक विचार के लिये सत्र के मध्य में सभा में लाया गया है। इस विधेयक में 15,000 से 25,000 रुपये तक की आयवाले लोगों के लिये वार्षिकी जमायोजना अनिवार्य बनाई जा रही है।

सरकार ने कार्य की एक नई पद्धति भी अपनाई है। किन्तु मैं समझता हूँ कि इससे प्रशासन कार्यकुशल होने के बजाय अधिक पिछड़ जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Dewas) : On a point of order Sir, no Cabinet Minister is present in the House. The former Speaker. Sardar, Hukam Singh had given a ruling that at least one Cabinet Minister should be present in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री जो इस विधेयक के लिये उत्तरदायी है, सभा में उपस्थित हैं। फिर भी यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है संसदीय कार्य मंत्री को इसका ध्यान रखना चाहिये।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi. Sadar) : This is a question of dignity of the House and it has got to be maintained. This question has been raised several times in the House but in vain.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूँ। किन्तु इस मामले में मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री का यहाँ पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्य मंत्री ही इस विधेयक के उत्तरदायी हैं। अतः इस समय यह आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is true that the Minister of State is piloting this Bill but it is question of the dignity of the House and therefore a Cabinet Minister should be present here.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की गरिमा के लिये मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों से यहाँ पर उपस्थित रहने की आशा की जाती है। इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि विचाराधीन विधेयक के लिए उत्तरदायी राज्य-मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं।

श्री म० कु० सांधी : अभी हाल में एक नई पद्धति आरंभ की गई है जिसके अनुसार आयकर के कुछ मामले मंजूरी के लिए निरीक्षक सहायक आयुक्त के पास भेजे जायेंगे। सरकार एक ओर तो आय बढ़ाना चाहती है और दूसरी ओर आयकर विभाग में बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति करके खर्च बढ़ा रही है। मैं समझता हूँ कि निरीक्षक सहायक आयुक्त के इस पद को समाप्त करके व्यय में बचत हो सकती है। कुछ और अन्य तरीके अपना कर भी व्यय में बचत की जा सकती है। आयकर के मामले निरीक्षक सहायक आयुक्त के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिकारियों को ही आयकर के मामलों में अधिकार दिये जाने चाहिए।

आयकर विभाग साधारण जनता अशिक्षित लोगों के लिए आतंक बना हुआ है। लोगों के साथ इस विभाग का बर्ताव अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आयकर कानून की जाँच करने के लिए तथा उसके उचित प्रवर्तन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy-Speaker, I am not technically against this Bill. To me it all appears to be a force. Whenever we ask for more D.A. for the employees all sorts of lectures are given to us. We are asked to make sacrifice.

I want that wealth-tax should be increased. Shri Dandeker was advocating in his speech that there is poverty complex in India. I think he does not realise how people are becoming poor due to levies on the poorer people.

We are told that there is much tax-evasion. Someone gave the figure as Rs. 500 crores. I tabled a question and wanted to know the number of people prosecuted who indulged in tax-evasion and the amount realised as a result thereof. In reply to that I was told that in 1963-64 no one was prosecuted In 1964-65, 13 persons were prosecuted. In 1965-66 no one was posecuted. About the amount I was told that it related to Rs. 77 lakh only.

In the last Budget more taxes were increased on railway fares, tea etc. which affect the poorer people. But the same was not levied on things used by the rich people. I think Shri Dandeker does not even know the condition in which the poor people of this country live.

The big companies indulge in bungling in regard to Entertainment Tax too. Whenever the representatives of big business come to Delhi, they mostly stay in Ashoka Hotel and Oberoi Inter Continental Hotel which are very costly. Then the big companies have not to produce any voucher in regard to the expenditure shown on entertainment .

The poor people in this country are becoming poorer.

The State Trading Corporation auctions the cars made in foreign countries. But most of them are used by the officials and I was very much surprised to learn about it.

Therefore I am not satisfied with all this. The Government gave us assurance that they will not let the prices go up but the prices have not come down as yet.

श्री दामानी (शोलापुर) : महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह अच्छा किया कि बैंक की दर 4 से बढ़ा कर 6 कर दी है।

गत तीन चार वर्षों में परिगणन के मामले बहुत बढ़ गये हैं। लगभग तीन चार वर्ष पूर्व यह 17 लाख थे परन्तु अब यह बढ़ कर 35 लाख हो गये हैं अधिकारियों द्वारा यदि इनका निबटान नहीं हुआ तो सरकार को इसका हरजाना देना होगा।

मनोरंजन व्यय के बारे में सरकार ने एक ठीक नीति अपनाई है। सरकार ने इस विधेयक इसे लाभ से जोड़ दिया है। मनोरंजन दर को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि आजकल मूल्य बढ़ने का कारण इस व्यय में भी बढ़ोतरी हो गई है।

वार्षिको जमा योजना एक बहुत पेचीदा योजना है। बाजार में तो ब्याज की दर 12% मिलती है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत केवल 4% ही मिलता है। यह सारी राशि अवधि के बाद अदा कर देनी चाहिए। इस योजना का प्रभाव 50,000 व्यक्तियों पर पड़ता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री पो० राममूर्ति (मदुरै) : मुझे आश्चर्य होता है कि विधेयक में कहा गया है कि वित्तीय साधन बढ़ाने के लिये यह लाया गया है।

श्री दाँडेकर ने कहा कि देश में गरीबी की हीन भावना है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन भत्ता कम नहीं होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि मनोरंजन भत्ता होना ही नहीं चाहिये। क्या कम्पनियाँ मनोरंजन भत्ते के बिना कार्य नहीं चला सकते। वह लोग अशोका होटल तथा अन्य बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं। क्या वह अन्य स्थानों पर नहीं ठहर सकते ? और फिर यह खातिर भी तो सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों की करते हैं। वहीं यह लोग बड़े-बड़े लाइसेंस के सौदे कर लेते हैं। यह भ्रष्टाचार के स्रोत हैं।

श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए

[Shri G.S. Dhillon in the Chair]

कम्पनियों के अधिकारियों को बड़े-बड़े वेतन मिलते हैं तथा अन्य सुविधायें भी दी जाती हैं। यह सारा खर्च कम्पनियों की निधि से दी जाती है।

मैं श्री दाँडेकर का समर्थन समझ सकता हूँ। कांग्रेस तथा स्वतन्त्र दल इस समय केवल दिखावट के लिये अलग अलग हैं अन्यथा दोनों एक हैं।

आय कर की चोरी बहुत होती है परन्तु मंत्री जी ने श्री जोशी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 1963–64 में एक भी व्यक्ति पर इस सम्बन्ध में मुकदमा नहीं चलाया गया। मंत्री जी ने यह सूचना भी दी कि एक मामले में समझौता हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि करों की चोरी करने वालों से भी समझौता हो सकता है।

श्री दांडेकर ने ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत करने का विरोध किया है। मैं विधेयक का विरोध नहीं करता परन्तु जिस तरीके से यह स्वाँग कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

सरकार ने एक भी व्यक्ति को जिसने करों की चोरी की है, उसे जेल नहीं भेजा। सरकार वास्तव में चोर बाजारी करने वालों तथा करों की चोरी करने वालों की रोक थाम करने में रुचि नहीं लेती है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई कानून बनाये जो इन चीजों की रोक-थाम करे। यह कानून तो केवल दिखावा है, इससे किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम)) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश का स्थान लेना है जोकि राष्ट्रपति जी ने 14 सितम्बर 1967 को लागू किया था। वार्षिक जभा की राशि भी 15,000 रु० की आय वालों से बढ़ाकर 25,000 रु० तक कर दी है।

सरकार ने अध्यादेश जारी करके यह सिद्ध कर दिया है कि यह दोहरी चाल चलती है।

मंदी के कारण देश में बचत करने की गुंजाइश नहीं है विशेषकर मध्यम तथा नीचे के वर्ग के लोगों में। 1966–67 के बजट में भी केवल 135 करोड़ रु० की बचत दिखाई थी परन्तु वास्तव में केवल 118 करोड़ रु० ही वह वसूल कर सकी। इसी प्रकार 1967-68 के बजट में उन्होंने 130 करोड़ रु० की बचत बजट में दिखाई है परन्तु पहले 7 माम में वह केवल 38 करोड़ रु० ही वसूल कर पाये हैं।

सरकार ने सूखा सीमाओं पर लगातार खतरा आदि के बहुत से कारण दिये हैं परन्तु देश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति के केवल यही कारण नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि बेकार क्षमता पड़ी है। हमारी योजना में जनता के सहयोग के लिये कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की अवहेलना की है। यही कारण है कि देश में आर्थिक संकट है। दूसरी योजना की सारी अवधि में राष्ट्रीय आय 7.3

प्रतिशत बढ़ी परन्तु कृषि उत्पादन केवल 4.3 प्रतिशत ही बढ़ पाया। हमें उर्वरक उत्पादन बढ़ाना चाहिये और इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये। यह बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानों से भी पहले बनाने चाहिये थे। सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस कारण लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी।

जनता से तो सरकार बचत करने को कहती है परन्तु क्या सरकार भी इस ओर कुछ ध्यान देती है। चुनाव से पूर्व जब प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी मद्रास के दौरे पर गईं तो उनका सारा व्यय सरकार को करना पड़ा। क्या यह उचित बात है कि प्रधान मंत्री जाती तो अपने दल के लिये चुनाव का प्रचार करने परन्तु वह सारा व्यय लिखा जाता है सरकार के नाम ?

आज से दस वर्ष पूर्व प्रोफेसर कालडर ने कहा कि आय कर की चोरी 200 करोड़ रु० से 300 करोड़ रु० तक है। परन्तु क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ किया है ? छुपी हुई आय बढ़ती जा रही है। जैसा कि श्री जोशी ने बताया गत तीन वर्षों में केवल तीन व्यक्तियों पर ही इस सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया।

सरकार को मंदी के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिये। उन्हें आर्थिक संकट की जाँच करनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि नया अध्यादेश जारी करने से पूर्व अथवा नया विधेयक लाने से पूर्व जनता को बताये कि उनके पास कितना धन है। जब तक ऐसा नहीं होता वित्तीय साधनों को सुधारने की सारी बात व्यर्थ है और यह केवल गलत वक्तव्य ही देते रहेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति जी, मैं यह मानता हूँ कि वार्षिकी जमा की दर कम कर देने से बहुत राशि प्राप्त होने वाली नहीं है। गत वर्षों का अनुभव बताता है कि 1964-65 में कुल राशि इस प्रकार 40.28 करोड़ रु० प्राप्त हुई। 1965–66 में यह 37.34 करोड़ रु० थे। 1967–68 के लिये बजट में वार्षिकी जमा से प्राप्त होने वाली राशि 22 करोड़ दिखाई गई है। परन्तु ऐसा करने से सरकार केवल 5–6 करोड़ रु० और अधिक प्राप्त कर पायगी।

जब तक मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जाता, मेरे विचार में समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आजकल जिसे 1,000 रु० प्रति मास मिल रहा है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

मनोरंजन कर के बारे में जो बात विधेयक में कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मनोरंजन के साधनों द्वारा पूंजीपति सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों को भ्रष्ट करते हैं। उन्हें विहस्की की बोतलें पिलाते हैं और सारी बातें वहीं तय कर लेते हैं। फिर यह धन गरीब लोगों का होता है और उसका इस प्रकार व्यय करना उचित नहीं है।

कर वसूली के बारे में प्रोफेसर काल्डार ने कहा 300–400 करोड़ रु० की करों में चोरी होती है। उसे तो छोड़िये करों की बकाया राशि है वही 278 करोड़ रु० से बढ़ कर 528 करोड़ रु० हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बट्टे खाते में कितनी राशि डाली है। 1962–63 में यह 4,39,91,363 रु० थी; 1963–64 में 1,60,37,681 रु०, 1964–65 में 97,47,072 रु० और 1965–66 में 37,55,004 रु० तथा 31 जुलाई 1966 तक 9,10,152 रु० थी। जिस व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण गुप्त की 31 लाख रु० कर चोरी को बट्टे खाते में डाला वह आज उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। सरकार ने कहा था कि इस मामले की जाँच होगी परन्तु वह हो पाई है अथवा नहीं ? मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि श्री राम रतन गुप्त का काला जादू श्री दिनेश सिंह पर भी हो गया है।

"स्टेट्समैन" में यह कहा गया था कि श्री रामरतन गुप्ता के विरुद्ध कार्यवाही इसलिये नहीं की जा रही है कि वह उत्तर प्रदेश में चरणसिंह मंत्रिमंडल को गिराने में कांग्रेस पार्टी की सहायता कर रहा है। वित्त मंत्री को हिम्मत से काम लेना चाहिये और ऐसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के मामले में अपने सिद्धान्त पर कायम रहना चाहिये।

कर ढांचा बड़ा जटिल तथा पेचीदा है। से सरल बनाया जाना चाहिये। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कर देना चाहते हैं परन्तु कर प्रणाली इतनी जटिल तथा पेचीदा है कि वे यही बेहतर समझते हैं कि करापवंचन किया जाये। इसलिये इस प्रणाली में सुधार किया जाये और साथ ही ऐसे उपाय किये जायें जिससे करापवंचन की कोई गुंजाइश ही न रहे।

जब सरकारी कर्मचारियों का मँहगाई भत्ता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था वित्त मंत्री ने कीमतें गिराने के लिये छह महीने का समय माँगा था। अब तीन महीने बीत चुके हैं, इसलिये हमें बताया जाना चाहिये कि कीमतें कम कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें कम कराने के बारे में स्थिति क्या है। यह महसूस किया जाता है कि जब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाये जायेंगे कीमतों में गिरावट लाना सम्भव नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is a piece-meal legislation which will not help the country much. It would have been better if the Government had brought forward a comprehensive legislation to plug the loopholes in our tax structure.

The rate of taxation in the country has reached the saturation point and it cannot be increased further. Also it is not possible to stop tax evasion at the present level of taxation. If the rates were reasonable the incidence of tax evasion would automatically come down.

The only good provision in the Bill is about the restriction on the deduction of entertainment expenditure in business and professions. The expenditure incurred by the companies on entertainment is a big source of corruption and has got to be restricted.

It is no use asking the general public to be honest in regard to the payment of taxes so long as the Ministers and people in high positions do not set an example in this regard. The Congress President Shri Kamaraj has not paid any income-tax since 1963 although he is enjoying perquisites worth Rs. 3000 a month from the A.I.C.C. What is more surprising is this that he did not even care to send back the income-tax returns which he was required to fill in in 1963 and the Income-tax Department has not taken any action against him. Similarly, the assessment of Anand, Bhavan the property of the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, has not been made correctly for the purpose of levying estate duty thereon. Government should conduct an enquiry into cases of assessment of income-tax of all Ministers and high officials in order to see that there was no irregularity anywhere.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : हमने बार-बार इस बात पर आपत्ति की है कि अध्यादेश द्वारा शासन न चलाया जाये। परन्तु ऐसा लगता है कि हमारी आपत्ति का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बात का तो अभी पता लगाना है कि अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता भी थी अथवा नहीं। जून, 1967 में वित्त अधिनियम पारित किया गया था और 45 दिन के भीतर अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया। ऐसा लगता है कि उप प्रधान मंत्री यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने घाटे का बजट नहीं बनाया है क्योंकि वे घाटे का बजट बनाने के विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. SPEAKER IN THE CHAIR

इस विधेयक में आय के ऊँचे स्लैबों (प्रक्रमों) को नहीं छूआ गया है। इसका उद्देश्य मनोरंजन व्यय को जिसकी करदाताओं को अनुमति है, कम करना है। परन्तु अब भी करदाताओं को मनोरंजन

व्यय के नाम पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये खर्च करने की छूट होगी। यह राशि घटा कर 10,000 रुपये की जानी चाहिये थी।

यदि सरकार कुछ धन जुटाना चाहती थी तो वह प्रत्यक्ष करों द्वारा यह धन जुटा सकती थी। वास्तव में जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम एकल कर पद्धति के लिये तैयार हैं जिसके द्वारा कुछ सीमा से अधिक सारी आय हड़प की जा सके। यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठायेगी तो उसे हमारी ओर से पूर्ण समर्थन मिलेगा। परन्तु वह सीधा रास्ता अपनाने की बजाय चक्करदार रास्ता क्यों अपनाती है? उसे सीधासादा रास्ता अपनाना चाहिये और अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिये प्रत्यक्ष करों की शरण लेनी चाहिये।

जब किसी करदाता को कोई राशि जमा करानी होती है और वह उसे जमा नहीं करा पाता, तो उस पर उस तिथि से ब्याज लगेगा जिससे वह राशि देय है परन्तु जब सरकार को ब्याज देना होता है तो वह आदेश की तिथि से छै मास बाद की तिथि से गिना जाता है। इस तरह का पक्षपात क्यों है? यह ब्याज का प्रश्न है, यह पैसे के लेनदेन, ऋणदाता तथा ऋणी के बीच सम्बन्ध, का प्रश्न है। सरकार को भी उसी तिथि से ब्याज देना चाहिये जिसको कि पैसा जमा किया जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: अध्यादेश को तुरन्त जारी करने के जो कारण कारणों के विवरण में दिये गये हैं उनमें एक कारण यह दिया गया है कि उस समय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव तथा मध्यम आय तथा उच्च आय वर्गों से अधिक बचत जुटाने की आवश्यकता की वजह से अध्यादेश तुरन्त जारी करना पड़ा। गत तीन सालों से हम कठिन मुद्रास्फीति की स्थिति से गुजर रहे हैं। गत तीन वर्षों में कीमतें प्रति वर्ष लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही हैं। इन बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने श्रमिक संघों तथा सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अतिरिक्त महंगाई भत्ते के बारे में जो उन्हें दिया जाना था, बातचीत की। उसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अपने बकाया महंगाई भत्ते का कुछ भाग अपनी भविष्य निधि में जमा कराने के लिये राजी हो गये थे। यह महसूस किया गया कि जब हमने कर्मचारियों से यह त्याग करने के लिये कहा है तो समाज के उन वर्गों से जो खुशहाल हैं, भी कुछ योगदान देने के लिये कहा जाये ताकि देश इस कठिन स्थिति पर काबू पा सके।

यह अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जो उन्हें दिया जाना था 30 करोड़ रुपये बनता था। मंहगाई भत्ते का वह भाग 24 करोड़ रुपये जो भविष्य निधि में डाल दिया गया है इसमें शामिल नहीं है। यह 30 करोड़ रुपया कहीं से प्राप्त करना था। निश्चय ही बजट में कुछ उपबन्ध था परन्तु वह पर्याप्त नहीं था क्यों बजट पर चर्चा के समय की गई विभिन्न रियायतों ने उसे पहले ही क्षीण बना दिया था। यह पैसा जुटाने का कठिन तथा मूर्त्त प्रश्न हमारे सामने था। इसलिये यह समूचा प्रश्न उस समय अधिक धन जुटाने की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये। वार्षिकी जमा योजना में जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे इस वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि इससे उस विशेष स्थिति में सहायता नहीं मिली।

इसकी सराहना की जानी चाहिये कि यदि किसी व्यक्ति ने इस वर्ष वार्षिकी जमा कराना है, तो वह यह यथासम्भव शीघ्र जानना चाहेगा कि उसे यह राशि जमा करानी है ताकि वह उसकी व्यवस्था कर सके; और यदि ऐसा सितम्बर में किया गया होता तो छह महीने पहले ही बीत चुके होते; यह उचित ही था कि वार्षिकी जमा सारे वर्ष भर के लिये होनी चाहिये और उसे सरकार की उससे वार्षिकी जमा वसूल करने की इच्छा की यथासंभव शीघ्र सूचना दी जानी चाहिये।

इस बात की ओर निर्देश किया गया था कि सरकार को देय करों पर जिनका सरकार को भुगतान नहीं किया गया ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9 प्रतिशत बढ़ाना सूदखोरी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। क्या वे कहेंगे कि करदाता भी मुनाफाखोरी कर रहा है क्यों उसे भी 9 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है ? इसके पीछे इरादा इस तथ्य को स्वीकार करना है कि आज के दिन मुद्रा बाजार में 'अनसिक्योर्ड' ऋण केवल बहुत ऊँचे दरों पर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आज के दिन बैंकों द्वारा ओवरड्राफ्टों पर 10 प्रतिशत तक ब्याज वसूल किया जाता है। इसलिये ऐसी स्थिति उत्पन्न करना उचित नहीं होगा जिसमें कोई व्यक्ति कर न देकर बाहर से पैसा उधार ले लेगा।

वार्षिकी जमा योजना की बुनियादी आलोचना की गई है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिये इस योजना में जो परिवर्तन किये जा चुके हैं वे आवश्यक हो गये थे। परन्तु भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अन्य करों की तरह इस योजना पर भी बराबर पुनर्विचार किया जाता रहेगा।

जहाँ तक मनोरंजन व्यय का सम्बन्ध है हमें देश में मनोवैज्ञानिक वातावरण को ध्यान में रखना है। जब हमने नीचे के वर्गों से योगदान माँगा है तो यदि उन वर्गों से जिन्हें भारतीय मानकों के अनुसार बड़े वेतन मिलते हैं अपने मनोरंजन के कुछ भाग का भुगतान करके योगदान करने के लिये कहा जाये तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अनुचित समझा जा सके।

यह कहना ठीक नहीं है कि भूतलिंगम समिति की सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई है। उनमें से अनेक सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने वार्षिकी जमा की सीमा 15,000 रुपये तक कम करने की ओर निर्देश किया। यह कहा गया है कि हमने इस बारे में विधि को पेचीदा क्यों बनाया ? जिसे पेचीदगी कहा गया है वह वास्तव में यह स्वीकार करने का प्रयास मात्र है कि आज के दिन 15000 या 25000 रुपये के स्तर पर भी मध्यम वर्ग को कुछ सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। जो परिवर्तन किया गया है वह यह है। पहले 25000 रुपयें सीमा थी और 25000 रुपये से ऊपर दाण्डिक कर वसूल किया जाता था। 25000 रुपये से नीचे कोई दाण्डिक कर वसूल नहीं किया जाता था। अब दर 15000 से 20000 के स्लैब के लिये 5 से 6 प्रतिशत और 20,000 से 25,000 रुपये के स्लैब के लिये 7½ से 9 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। परन्तु मध्यम आय वर्गों के लिये सारा 6 प्रतिशत या 9 प्रतिशत अदा करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उन्हें केवल पुराने तथा नये दरों के बीच के अन्तर का भुगतान करने के लिये कहा गया है। अनिवार्यता केवल इस सीमा तक ही है। दूसरी ओर, यदि वे कर बचाना चाहते हैं, तो वे पूरा 6 या 9 प्रतिशत दे सकते हैं।

हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि कर की बकाया राशि जल्दी से जल्दी वसूल की जाये वास्तव में हमने कुछ तिथियाँ निश्चित की हैं और उन तिथियों तक हम बकाया राशि वसूल करना चाहते हैं। साथ-साथ हमने एक प्रणाली लागू की है जिसके अन्तर्गत 7500 रुपये से कम आय वाले वर्गों के साथ नरमी बरती जायेगी। अर्थात् उनकी आय विवरण उस बारीकी से नहीं देखे जायेंगे जिससे कि बड़े आय-वर्गों के देखे जाते हैं और उन्हें लिखित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जायेगा। 500 करोड़ रुपये की बकाया राशि को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये कि प्रति वर्ष

640 करोड़ रुपये के कर वसूल किये जाते हैं। जहाँ एक वर्ष में 640 करोड़ रुपये वसूल किये जाते हों वहाँ कुछ ऐसे मामलों का होना जरूरी है जो अगले वर्ष में चले जायें।

गत कुछ सप्ताह में कीमतें कुछ रुकी हैं, यहाँ तक कि उनमें कुछ गिरावट भी आई है। नई फसल के अच्छे होने की संभावना से हमें पूरी आशा है कि स्थिति पर यदि पूर्णतया काबू नहीं पाया गया तो कम से कम उसे बिगड़ने नहीं दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री सेझियान ने मन्दी और मुद्रास्थिति की बात कही। मुझे आशा है कि कृषि समस्या में सुधार होने के साथ-साथ ही इसमें भी सुधार होगा ही क्योंकि इन दोनों का मूल कारण कृषि क्षेत्र में असफलता ही है।

श्री बनर्जी एवं अन्य सदस्यों ने कर अपवंचन के बारे में कहा। सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और उनके उत्तर में सदस्यों को दिये गये विवरणों में गत कुछ वर्षों में किये गये विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक उपायों का उल्लेख है अतः मैं इस सम्बन्ध में इस समय विस्तार में नहीं कहूँगा। केवल उदाहरणस्वरूप यह बता रहा हूँ कि 1965-66 में कुल 24,165 मामलों में 4,51,28,541 रुपये का जुर्माना किया गया था। छिपी आय पर 7,60,51,804 रुपये का अतिरिक्त कर लगाया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उसमें से वसूल कितना किया गया (**अंतर्बाधा**)।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वह सूचना तो यहाँ नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न की सूचना देंगे तो मैं अवश्य इसे देखूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: What action would be taken against Kamraj and whether any enquiry would be held in regard to All India Congress Committee and tax evasion ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे खुशी है कि वह हमारे अध्यक्ष पर इतना ध्यान दे रहे हैं (**अंतर्बाधा**) श्री बनर्जी ने राम रतन गुप्ता के मामले के बारे में कहा था। मैं उन्हें यह याद दिलादूं कि 30 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिये गये थे और अब वह मामला फिर से उठाया गया है और रुपया वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : अब तक कितना रुपया वसूल किया जा चुका है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मामले को फिर से चालू करके जो 30 लाख रुपये बट्टे खाते डाले गये थे उनको वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में श्री बनर्जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। और फिर यह प्रश्न तो संसद में उठाया ही जाता है, उस समय हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मिश्र ने मनोरंजन भक्त के सम्बन्ध में कहा था, ½ प्रतिशत अथवा 5,000 रुपये जो भी अधिक हो, कि यदि आप 10 लाख रुपये पर ½ प्रतिशत के हिसाब लगायें तो वह 5,000 रुपये होता है। फिर आप अधिक की बात क्यों करते हैं। सही बात यह है कि यदि लाभ 10 लाख रुपये से कम होगा तब भी 5,000 रुपये की अनुमति होगी।

श्री कंवरलाल गुप्त ने कुछ ऐसी बातें उठायीं थीं जिन्हें पीठासीन अधिकारी ने संगत नहीं समझा। 1962-63 के बाद कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आय-कर विवरणी न दिये जाने की उनकी आपत्ति ठोस आधार पर आधारित नहीं है। आखिरकार, कांग्रेस अध्यक्ष किसी समय तक एक राज्य के मुख्य मंत्री रहे थे और उनकी निश्चित आय थी, तब तक उन्होंने उस पर आय कर दिया था। उसके बाद उनकी आय कर योग्य रही ही नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, I quoted his income as 3½-4 thousand rupees which is taxable. A notice was issued by Government to file a return for 1963-64 but it was not complied by him.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिसकी आय कर योग्य न हो उसको आप आय-कर विवरणी भर कर देने के लिये किस प्रकार बाध्य कर सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या इसकी जाँच की जायेगी कि उनकी आय कर-योग्य है अथवा नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: उन्होंने कानून का अपने ही ढंग से अर्थ लगाया है जो कि विधि मंत्री को स्वीकार्य नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्ता: अधिनियम की धारा 56।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: श्री कामराज द्वारा कोई आय कर नहीं दिया जाना है।

श्री कंवर लाल गुप्त: इस बात की जाँच करायी जाये कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और श्री कामराज की आय कर योग्य है अथवा नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: उन्होंने आनन्द भवन की कीमत के बारे में कहा था और बताया था कि वह 55,000 रुपये आँकी गयी है, उनका यह कहना ठीक नहीं है। असलियत यह है कि आय-कर विभाग ने सामान्य रूप में उसे 36,000 रुपये की कीमत का आँका था परन्तु जब पंडित नेहरू को यह मालूम हुआ तो उन्होंने कागजात मंगाये और स्वयं अपने कलम से उसे बढ़ाकर 1,75,000 रुपये कर दिया था।

मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मेरे मित्र किसी बात की असलियत जानकर ही कोई आरोप लगायेंगे।

श्रीमान्, मैं समझता हूँ कि मैंने सब बातों का उत्तर दे दिया है और इसके साथ ही विधेयक को मैं सभा के विचार के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि धन कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और आय-कर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करनेवाले और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर खंड-वार चर्चा हम कल आरम्भ करेंगे।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING REPORTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, there is unholy alliance between greedy bureaucracy, corrupt Ministers and dishonest businessmen. I am sorry to see that Government are not paying due attention to the recommendations made by the Public Accounts Committee, which is not a Committee of any party but of the whole House. Last year we raised a point that the reaction of Government to the recommendations made by the Public Accounts Committee is not made known to us in time. Since them some reports have come before us. The motion I

am moving today relates to Aminchand Pyarelal Company and other companies of that group. This group of firms which was obscure only 15 years ago now seems to have become powerful enough to the afraid of exposure in Parliament and strictures in the Public Accounts Committee. There has been a collusion between this group of firms and several Ministers and Government departments. The said firm has progressed during the tenures of Shri Swaran Singh as Steel Minister, Shri S. K. Patil as Transport and Food Minister and Shri Jagjivan Ram as Railway Minister. They have avoided income-tax to the tune of crores of rupees. When Govt. was asked about it they replied that they have re-opened the case and the firms will have to give 75 lakhs of rupees as income-tax. It is also stated that no penalty was imposed on them for this income-tax evasion. In 1963 the firms assured the then Minister of Steel Shri Subrahramanyam that they would cooperate in the work of industrialisation. In 1963 they also promised in regard to ceramics plant in Kashmir that production in the industry would be started soon but nothing has been done so far. The permits and quotas issued to them were sold by them in the black-market.

अध्यक्ष महोदयः हमें अपने को चर्चा के विषय तक ही सीमित रखना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : This case has been referred to in the report of the PAC and I am speaking on the 4-5 reports which are before the House.

They imported different quality of steel goods, than required, managed to get them rejected and sold them in the black market. They also deceived the Port Commissioner in this manner.

I have been raising the case of State Trading Corporation in regard to defective tyres. It is quite clear that this firm in collusion with the Ministers of Commerce, Defence and Supply had indulged in corrupt practices, which had resulted in great financial loss to the country. The firm has even tried to corrupt our Army. This firm has become so powerful that even the criticism in Parliament and the disclosures by PAC are not having any effect on them. Last year when Shri Patil and Shri Thomas were Ministers, the case of APJ Shipping Company was raised in the Parliament and the manner in which the Company had been decieving the Government and the people was disclosed here. Some action should have been taken against the Company but when recently I asked the Transport Minister as to whether the background of the Company etc. was ascertained before granting them funds form the Shipping Development Funds, I received a reply from the Minister that no doubt regarding the reputation of the Company had been raised in the reports and recommendations made by the Directorate General of Shipping and the Government Director. In clearly means that the concerned officers are under so much influence of the Company that they are not prepared to give correct information.

Mr. Speaker, in the witness given by Shri Patil in the court a few days ago he had stated :

".....मैंने स्वयं से यह बात पूछी कि कांग्रेस दल के सत्तारूढ़ होते हुए अमीनचन्द प्यारे लाल सम्बन्धी इस प्रकार की बदमाशी किस प्रकार हुई। मुझे इस प्रश्न का अपने मन से कोई संतोष-जनक उत्तर न मिल सका।"

He further stated :

"मेरा पुत्र विश्वनाथ पाटिल टाइम्स आफ इण्डिया में सरकुलेशन मैनेजर है....."

यह फर्म कुख्यात साहू जैन ग्रुप की है।

He further added :

"मेरा दामाद पाटकर बिरला के एक दवाई बनाने के कारखाने में काम करता है।"

I have a list with me. I am not going to give all names and have quoted the above only for example to make it clear that the firms, Indian or foreign, give agencies or high

posts to the relatives of the Ministers with a view to please the Ministers so that no action is taken against them when they loot the public money through various corrupt practices.

If one has to go abroad for medical examination he has to produce a letter of recommendation from the civil surgeon for getting P. Form or the foreign exchange but when big persons like Patil have to go abroad they are not required to do any such thing. Sri Patil stated that he went abroad on the expenses of a big businessman Dala Mal. In regard to Dalamal I was told that whenever his house was raided many incriminating objects and documents were seized. He has even cheated the Reserve Bank. I have got many letters as proof, but for want of time I would not read them here. No action has been taken against the person.

During the tenure of office of Shri Jagijiwan Ram as Railway Minister M/s Amin Chand Pyarelal and Jit Parel had obtained loan worth crores of rupees. These people were in collusion with the Minister and the then Chairman of the Railway Board.

The rent of accommodation occupied by the son of Jagjiwan Ram at Calcutta is being paid by Jit Parel.

In the first report of PAC received in November last, the Committee has stated that Major Singh was not only responsible for the purchase of defective tyres but was also answerable for sending them to forward areas. In this regard I had given many documents to the PAC with the request that an inquiry should be held in the case. The Committee recommended for an enquiry into the case but 15 days after the receipt of the report of PAC the said officer was allowed to retire instead of being brought to book and court marshalled. The Public Accounts Committee had also asked the Government to take stringent action against Shri Gupta, Dy. Director, DGS&D. But no action was taken by Government against him till he retired. Both these cases are very strange. In November PAC recommends to take stringent action against Major Singh, but instead of any action against him he is retired after 15 days of the receipt of the Report. This is a question of breach of privilege. It is a case of utter disrespect to the PAC and the House.

It was really strange that no action was taken against Shri Gupta, who was the Deputy Director in the office of the DGS & D. by the Government till he retired despite the fact that the P. A. C. had asked the Government to take stringent action against him.

When a decision to import tyres was taken M/s Ram Krishan Kulwant Rai got the agency to import tyres from Hungary. This firm secured commission both from the suppliers as well as the S. T. C. When the defective tyres were imported, this firm sold these tyres through their influence with the S. T. C., Defence Ministry and the Department of Supply.

The P. A. C. had asked to pay compensation to those who had suffered losses. But despite the recommendation of the PAC, the Panjab Transport has, to our utter surprise, not yet asked for it even after a period of four or five years why ? Because pressure has been exerted on this body not to claim it.

Several cases of tax-evasion involving crores of rupees have been brought to the notice of the Finance Minister. But no action has been taken against the defaulters because there is a connection, there is a chain and so many vested interests are behind the case of corruption and malpractices and the corrupt officials are still in league with them. Wherever we look at we find corruption, malpractice, fraud and hypocrasy. The entire democracy is in danger in the hands of greedy beaurocracy, corrupt ministers and dishonest businessmen.

The purpose of the discussion raised through this motion is to ask the Government to take stringent measures to eradicate corruption, stabilise economy, bring in industrial revolution and improve agro-industry in the country.

In the end, I will urge that a Parliamentary Committee should be constituted to go into all these matters so that the corrupt could be punished.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, the Chairman and Members of the P.A.C. deserve our congratulations for having prepared this report so boldly.

The firm of Amichand Pyare Lal has now gained a countrywide notoriety and the mover of the motion has enumerated a number of their misdeeds.

Sometime back when a question was raised about Park Hotel of M/S Amichand Pyare Lal under construction at Calcutta, the construction work had been temporarily stopped. But recently the work has been again started and the hotel is coming up very fast. The House would like to know as to who gave this permission, who released the foreign exchange and from where they got cement and steel . A Parliamentary Committee should be constituted to go into this and other matters.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : लोक लेखा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस्पात के आयात कर्त्ताओं से इस्पात के आयात पर 147.76 लाख रुपये का सरचार्ज वसूल किया जाना बाकी है लेकिन मालूम हुआ है अभी तक यह राशि वसूल नहीं की गई है।

इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर की गई विभिन्न गलतियों के लिये अमीचन्द प्यारेलाल के मामले में पूरी-पूरी जाँच की जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। समिति ने आगे यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में उसे सूचित किया जाये। लेकिन, आज तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। सम्बन्धित अधिकारी अभी तक अपने पदों पर काम कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जहाँ तक मैसर्स राधकृष्ण कुलवन्त राय द्वारा खराब टायरों की सप्लाई किये जाने का सम्बन्ध है, इस मामले में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब कि यह मामला संसद में उठाया गया था, फिर भी मंत्री जी ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की, शायद इसलिये कि इसके पीछे बहुत-से व्यक्तियों का स्वार्थ निहित है। यही कारण है कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसे अधिकारियों की हेरा-फेरी तथा गलतियों से, जिन्हें मंत्रियों का समर्थन प्राप्त है देश के साथ धोखा किया जा रहा है और उसे करोड़ों रुपयों की क्षति पहुँचाई जा रही है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : While discussing the areas of divergence between the PAC and the Government only relevent issues should be raised. By raising extraneous matters, we would lower the prestige of the Committee.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए । **Mr. Deputy Speaker** in the Chair]

The Public Accounts committee is a miniature House. We should not act in a manner which might not be in accord with the dignity of the Committee.

So far as the question of surcharge on the import of steel was concerned, Government had sent a communication to the Public Accounts Committee. The Committee made no recommendations in regard to this matter becuase the Sarkar Committee was considering it. When the report of the Sarkar Committe is received, then the Public Accounts Committee will make its recommendations.

Certain names have been mentioned by some Hon. Members while making reference to the Defence Ministry. It is not proper to do so.

Shri N. S. Sharma (Domariaganj) : The Public Accounts Committee in their Fourth Report have criticised the Government in connection with the purchase of defective tyres by the

Army. The Committee have stated that they were unable to appreciate why Government waited till 18th April, 1967 to constitute an Inter-Departmental Committee to consider the various recommendations/observations made by the Public Accounts Committee.

We should be told why the Officer Commanding, Malad, against whom the Committee had passed strong strictures and recommended investigation was allowed to retire prematurely from service two weeks after the presentation of the Report.

The Committee had pointed out that M/s Ramakrishan Kulwant Rai had obtained compensation amounting to Rs. 6.19 lakhs from the foreign suppliers. Why action had not been taken to utilise this amount to provide compensation to those who suffered a loss by purchasing the defective tyres.

The Committee have also criticised the State Trading Corporation in regard to this deal. Steps should be taken to improve the working of the State Trading Corporation.

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : लोक लेखा समिति लोकतंत्र का प्रहरी है और इसका प्रतिवेदन सभा की बाइबिल है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार बहुत कम महत्व देती है।

यदि सरकार ने तुरन्त निर्णय नहीं लिया, जानबूझकर उन अधिकारियों के साथ साँठगाँठ की जो दोषी पाए गये, और ऐसे मामलों में देरी की तो सरकार ने उन्हें बच निकलने में मदद दी।

लोक लेखा समिति ने अपने पाँचवें प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की थी कि मंत्रालयों को बार-बार यह सुझाव दिये जाने के बावजूद कि उनके उत्तरों का जवाब तीन मास के अन्दर दिये जाने चाहिये, अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने इस सुझाव पर अमल नहीं किया है। तीन मास की अवधि बढ़ा कर छह मास भी कर दी गई है परन्तु फिर भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। वे केवल कह देते हैं कि "उन्होंने उन्हें देख लिया है।" यह बहुत ही खेद की बात है। सारा लोकतंत्र ही कालाबाजारी करने वालों, बेईमान अधिकारियों तथा भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों में खतरे में है।

टायरों, इस्पात तथा उर्वरक के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गये हैं। जहाँ तक टायरों के मामले का सम्बन्ध है, इस समिति को इसके सामने दिये गये साक्ष्य के दौरान जिस सनसनीखेज बात का पता लगा वह यह है कि मैसर्स कुलवन्तराय आदि को एजेंन्सी नहीं दी गई क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना था कि गैर-सरकारी फर्में कदाचार तथा भ्रष्टाचार करती हैं। राज्य व्यापार निगम ने सीधे चैकोस्लोवाकिया और हंगरी से आयात करना था। फिर भी इन फर्मों को आयात करने दिया गया और ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

उन्होंने दोहरा कमीशन लिया, एक बार राज्य व्यापार निगम से और दूसरी बार हंगरी से और राज्य व्यापार निगम को उसकी सूचना नहीं दी। यह कमीशन करोड़ों रुपये का था। जब समिति ने उनके लेखे देखने चाहे तो उन फर्मों ने विदेशी फर्मों के साथ उनके जो लेखे थे उन्हें दिखाने से इंकार कर दिया। यह बहुत ही विचित्र बात है। सरकार ने इस बारे में क्या किया? क्या सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और वह राशि वसूल नहीं कर सकती थी? यदि 10 वर्ष के बाद कोई समिति नियुक्त की जाती है, तो उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के नाम में यह सब छलबाजी तथा दिखावा समाप्त कर दिया जाये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): My question is very clear and I want a categorical reply in this regard. May I know whether in order to solve this matter and taking a decision in this regard Government would take the assistance of Director Revenue, Intelligence and would also refer this matter to them?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों को बहुत महत्त्व देती है। यह एक संसदीय समिति है जिसमें सब दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और विपक्षी दल के नेता श्री भसानी उसके अध्यक्ष हैं। हम सब मंत्रालयों मेंलोक लेखा समिति की सिफारिशों को बहुत महत्त्व देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभा को सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करना चाहिये।

जैसे ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हम उसकी सिफारिशों को एकत्रित करना आरम्भ कर देते हैं। यदि बाद में लोक लेखा समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उसने कोई विशेष सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो लोक लेखा समिति और सरकार के विचारों को सभा में रखा जाता है तब सभा इस बात का निर्णय करती है कि सरकार ने उसकी सिफारिशों को उच्चतम महत्त्व दिया था नहीं या कोई बात लोक लेखा समिति के ध्यान से रह गई। जहाँ तक वर्तमान चर्चा का सम्बन्ध हैं वह यहाँ तक सीमित है कि क्या लोक लेखा समिति और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में भिन्नता है ?

किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई एक भी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं किया है जिसमें लोक लेखा समिति ने किसी बात की सिफारिश की हो और सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया हो या इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की हो। इस प्रकार के कोई सुझाव या आरोप नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is not a proper reply. The hon. Minister should give a clear reply. We mentioned about Major Singh and Gupta.

श्री स्वर्ण सिंह: अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सभा को लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के प्रति सरकार के रवैये के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिये।

जहाँ तक प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रश्न है उसकी चौथी रिपोर्ट में मेजर सिंह के समय से पूर्व सेवा निवृत' होने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है।

श्री मधु लिमये : आदेश को सूचित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति को उत्तर दे दिया गया है और लोक लेखा समिति उस पर विचार कर रही है।

श्री मधु लिमये: इन्होने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री स्वर्ण सिंह: हमने लोक लेखा समिति की किसी सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है। वास्तव में हमने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में परिणामात्मक कार्यवाही की है जहाँ तक समय से पूर्व सेवा निवृति का प्रश्न है सरकार को इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यह मामला भी रिपोर्ट में ही निहित है और विपक्षी सदस्य महोदय को उसका अध्ययन करना चाहिये।

श्री मधु लिमये : उसे समिति ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री स्वर्ण सिंह: उक्त पदाधिकारी को समय से पूर्व सेवा निवृत्ति करने के प्रश्न को सैनिक सचिव शाखा ने फिर से 7 अक्टूबर को उठाया था। प्रतिरक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों से इस शाखा ने इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है। फाइल में 2 सितम्बर को प्रतिरक्षा सचिव द्वारा की गई टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि सैनिक सचिव शाखा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त पदाधिकारी के आधार की किसी और मामले में जाँच की जा रही थी। उक्त पदाधिकारी के रिटायर करने का प्रस्ताव लोक लेखा समिति की 64वीं रिपोर्ट लोक सभा में

30 नवम्बर 1966 को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जो मंत्रालय में 3 दिसम्बर को प्राप्त हुई थी, प्रतिरक्षा मंत्री ने 1 दिसम्बर, 1966 को स्वीकार किया था।

श्री मधु लिमये : इस प्रकार उनमें सहयोग की कमी है।

श्री स्वर्ण सिंह : "समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के प्रश्न के सम्बन्ध में त्रुटि दूर करने का प्रश्न सैनिक सचिव शाखा ने फिर से उठाया था। इस सम्बन्ध में उपचारणात्मक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और उसका उल्लेख चौथी लोक सभा में प्रस्तुत की गई लोक लेखा रिपोर्ट के पैरा 1,157 उल्लेख किया गया है। यह प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि है और इसके लिये किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अपराध के तीन वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति पर सैनिक न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता" मैं माननीय सदस्य को सरकार के विचारों से सहमत होने के लिये बाध्य नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोक लेखा समिति की सिफारिशों और सरकार के निर्णय में भिन्नता का आरोप लगाया जाता है। उक्त पदाधिकारी ने वह अपराध सेवा निवृत होने से तीन वर्ष पूर्व किया था और सेना अधिनियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। उसके विरुद्ध कुछ विभागीय कार्यवाही की जा सकती थी और वह हमने की। हमने उसकी एक तिहाई पेंशन जब्त कर ली है जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये है।

यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। इस मामले में गुप्तचर विभाग और अपराध जाँच शाखा कार्यवाही कर रहे हैं। जहाँ तक अपराध करने के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने का प्रश्न है उसका कोई अन्त नहीं है।

इस सम्बन्ध में उसे सेवा निवृत्त करने का आदेश पास किया जाना उचित था और वही किया गया।

लोक लेखा समिति द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने से हम संतुष्ट हैं। लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में सरकार का रवैया सहयोगी रहा है।

यह ठीक है कि आन्तरिक विभागीय समिति के गठन में विलम्ब हुआ है। जैसे ही हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हुई हमने एक समिति का गठन किया जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पूर्ति मंत्रालय और लोहा और इस्पात मंत्रालय को प्रधिनिधित्व प्राप्त है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जो इस दस्तावेज का एक अंग है उन्होंने लोक लेखा समिति को भी रिपोर्ट भेजी है।

मेजर सिंह के समय से पूर्व रिटायर किये जाने के सम्बन्ध में दो बार प्रश्न उठाया गया। इसका जवाब भी दे दिया गया था। यह प्रश्न अब सरकार की सिफारिशों के साथ लोक लेखा समिति के सम्मुख है।

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का बहुत महत्व है। हमारा लगातार यही प्रयास रहता है कि हम उसके सुझावों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पूरा सहयोग दें और इस सम्बन्ध में सभा को तब ही कष्ट दें जब लोक लेखा समिति किसी निष्कर्ष पर पहुँचे और इसमें कुछ मत भेद हो और तब सभा इस बात का निर्णय करे कि वह मतभेद उचित है अथवा नहीं।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी): जो दो प्रश्न उठाये गये हैं उनमें से एक इस्पात मंत्रालय से सम्बन्धित है। यह सच है कि इस विशेष मामले में कुछ त्रटियाँ हुई हैं। मंत्रालय ने इसको स्वीकार किया है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि इस मामले में कुछ अनियमितताएँ हुई हैं।

40 मामलों में केवल सात मामलों में इस्पात के आयात आदेश दिये गये और इसमें भी तीन अलग अलग पार्टियाँ शामिल हैं। मैंने लोक लेखा समिति को बताया था कि मंत्रालय ने इस विशेष फर्म के साथ कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया। अनियमितताएँ होती हैं। हमने समिति को आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की जायेगी और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। संतुष्टि के बिना बैंक गारन्टी न लिये जाने और सीमाशुल्क निकासी प्रमाण पत्र दिये जाने और उचित कार्य न करने पर भी प्रमाणपत्र दिये जाने के मामलों में शायद कुछ सहयोग की आवश्यकता थी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि इस सम्बन्ध में किसी ने जानबूझ कर कोई कार्यवाही की होगी तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचायेंगे। सारा मामला सरकार समिति को सौंप दिया गया है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ। इस सम्बन्ध में जाँच अवश्य की गई थी।

मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार की यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जायें, जिनमें यह समिति अपना कार्य न कर सके। मैं "सरकार समिति" के महत्व को समझता हूँ और यह जानता हूँ कि इस प्रकार की जाँच का सार्वजनिक जीवन और सरकारी मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मैंने कार्यभार संभालने के बाद इस मामले से अपने आप को परिचित करने का प्रयत्न किया है और माननीय सदस्यों से जिनमें विरोधी पक्ष के सदस्य भी शामिल है, इस मामले पर विचार विमर्श किया है। 'सरकार समिति' के सदस्यों से भी मैंने बात-चीत की है और मैं वे परिस्थितियाँ बनाना चाहता हूँ जिन में यह समिति अच्छे से अच्छे ढंग से और शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य पूरा कर सके।

जहाँ तक माननीय सदस्य के इस वक्तव्य का सम्बन्ध है कि इस समिति को कागजात आदि उपलब्ध नहीं किये गये, मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार समिति इस बात से पूर्णतया संतुष्ट है कि उसे समय पर आवश्यक दस्तावेज तथा कागजात दिये गये हैं। यह एक स्वतंत्र समिति है। मैंने दोनों सदनों के सदस्यों से उस सम्बन्ध में बातचीत की है और वे इस बात से पूर्णतया संतुष्ट हैं कि इस समिति को विस्तृत जाँच करनी है तथा बहुत से पेचीदा कागजात को देखना है तथा बहुत से व्यक्तियों की गवाही आदि लेनी है। तथापि मैं कहना चाहता हूँ कि इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। इस बात की पूरी कोशिश की गई थी कि इस सत्र में यह रिपोर्ट प्राप्त हो जाये, परन्तु कुछ विलम्ब होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूँ कि आगामी सत्र आरम्भ होने से पहले समिति अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी।

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Mr. Deputy Speaker, so far as the Ministry of Commerce is concerned the Public Accounts Committee had made their observations on various matters. The hon. Members, who have seen the Report of the Public Accounts Committee are aware that many of the recommendations made by the Public Accounts Committee have been accepted by us and investigations are being carried on as suggested by that Committee. So far as the rest of the matters are concerned we are having correspondence with the Public Accounts Committee and I do not want to say anything about them at present. But I want to assure the hon. Members that investigations will be made on the same lines, as suggested by the Public Accounts Committee and proper action will be taken.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्ति विभाग और लोक लेखा समिति के बीच कोई असहमति नहीं है। इस विभाग के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने 13 सिफारिशें की हैं, जिनमें से 9 स्वीकार कर ली गई हैं तथा शेष 4 सिफारिशों की जाँच की जा रही है और उनके बारे में शीघ्र ही लोक लेखा समिति को प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा, ताकि वे इसकी जाँच कर सकें।

जहाँ तक ऋय उप निदेशक का सम्बन्ध है, जो गलत तथा भ्रांतिपूर्ण सूचनायें देने का उत्तर-दायी पाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गलत निर्णय किये गये, उसके विरुद्ध लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले ही कार्यवाही आरम्भ का गई थी। जब हमें लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, तो इस मामले को तुरन्त केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपा दिया गया था और वे इसकी जाँच कर रहे है। परन्तु चूंकि इसमें देर लगने की संभावना है, इसलिये विभागीय कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है। अतः इस मामले में हमारी ओर से कोई ढील नहीं दिखाई गई है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr Deputy Speaker, I want to point out that the statement given by Sardar Sarwan Singh that there was no divergence between the opinion of the Committee and that of the Government, is not correct. It is evident from the report of the Committee that there is divergence, because it has been observed by them that the Committee are not convinced by the explanations advanced by the Ministry of Defence for not taking prompt notice of the specific recommendations made by the Public Accounts Committee in their 64th Report about the lapses on the part of the Officer Commanding COD Malad in regard to purchase of the imported tyres.

So far as the Sakar Committee is concerned I want to repeat may previous demand and the demand made by some other Hon. Members also that a strong and efficient officer should be provided to assist the Committee so that investigations are carried out properly. If that is done, it will statisfy the hon. Members here that proper investigation is being carried out. I hope that the hon. Iron and Steel Minister will give due consideration to my suggestions.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स० कुण्डू (बाला सौर) : मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 29 नवम्बर, 1967/8 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 29, 1967./Agrahayana 8, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.